

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग



हिमाचल प्रदेश

जनजातीय सलाहकार परिषद्

की

44वीं बैठक

का

कार्यवाही विवरण

जो दिनांक 29 जुलाई, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाहन् कॉन्फ्रैंस हाल, आर्मजडेल भवन,
शिमला में सम्पन्न हुई।

केवल कार्यालय प्रयोगार्थ

हिमाचल प्रदेश सरकार
जनजातीय विकास विभाग



हिमाचल प्रदेश¹
जनजातीय सलाहकार परिषद्
की
44वीं बैठक
का
कार्यवाही विवरण

जो दिनांक 29 जुलाई, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह कानकेस हाल आर्मजडेल भवन
में सम्पन्न हुई

विवरणी

पृष्ठां

भाग

मददे

1.	जनजातीय सलाहकार परिषद की 43वीं बैठक की अनुवर्ती मद्दें	3-34
2.	जनजातीय सलाहकार परिषद की 44वीं बैठक की कार्यसूची मद्दें	35-71
3.	हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों बारे वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2013-14 एवं 2014-15	72

जन जातीय सलाहकार परिषद् की 43वीं बैठक की अनुवर्ती एवं 44वीं बैठक के लिए नई मदों व विशेष आमन्त्रितों से प्राप्त नई मदों का विमागवार व्यौरा ।

क्र०	विभाग का नाम	अनुबत्ती मददे	नई मददे
सं०			
1	कार्बिक	42	42,58,59
2	राजस्व	24,	55,56
3	बन	15,16,17,18,19, 20,24,27	1,2, 3,4,5,6 (6)
4	लोक निर्माण	12,26,27,28,29, 30,31,32,33,34, 35,47,48	7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,33 (2,9)
5	जन जातीय विकास	12	19,31,42
6	पिंडुत	26,36,37,38	12,43,44 (4)
7	हिम ऊर्जा		44
8	रवारथ्य	1,2,3,4,5,6,7	41 (7.8)
9	आयुर्वेदा	2	
10	शिल्पा (उच्च)	8,10,11	32,33,34,35,36,37 (1,2)
11	शिक्षा (प्रारम्भिक)	8,9	31,36,37
12	परिवहन		38,39,40 (5)
13	पंचागती राज	13,14	19,57
14	पर्मटन	29	
15	पित्त	21	61 (11)
16	राहकारिता	21	60,61
17	कृषि	22	20,21,22
18	उद्यान	22,23	22,23
19	महिला शिशु, अनु० जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यं रांखाक विकास	25	
20	सीमा राड़क रागठन	31,32,35	8,11,16,17,18
21	सामान्य प्रशारण	39,40,41	48,49,50 (3,1)
22	दूररायर	39,40,41	48,49,50 (3,1)
23	उधोग	43,44	51,52,53,54
24	रिंगाई एवं जन रवारथ्य	45,46,47,48	24,25,26,27
25	साल एवं अपूर्ति	3,49,50	28,29,30
26	लोक सम्पर्क	51	
27	रोगिक कल्याण विभाग	52	
28	गृह		45,46
29	अभिनशन		46
30	योजना		62
31	सूखना एवं प्रौद्योगिकी		
32	उपायुक्त किनार	38	47
33	उपायुक्त वामा		47
34	उपायुक्त लाइल रिपोर्ट		47

जन-जातीय सलाहकार परिषद की 44वीं बैठक के अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री
महोदय का अध्यक्षीय माषपण ।

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, माननीय वन मन्त्री हिमाचल प्रदेश, श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा, श्री रवि ठाकुर, माननीय विधायक लाहौल-स्पिति, जनजातीय सलाहकार परिषद के सभी माननीय गैर सरकारी सदस्यगण, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व समस्त अधिकारीगण ।

1. सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परिषद में महिलाओं की मागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पहली बार चार महिलाओं को Special Invitee नामजद किया । मैं सबसे पहले इन सभी Special Invitee महिलाओं को इस परिषद में नामजद होने पर बधाई देता हूँ और आज की बैठक में उनका स्वागत करता हूँ।
2. जन-जातीय सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान संख्या —4 के अन्तर्गत किया गया है । हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास में इस परिषद की अहम् भूमिका रही है । इस परिषद द्वारा जन जातीय क्षेत्रों के विकास तथा अनुसूचित जनजाति राष्ट्रदायों के उत्थान हेतु नीतिगत गामलों पर सिफारिशों की जाती हैं, जिन पर सरकार गम्भीरता से विचार करती है । इस परिषद की सिफारिशों को सागी विभाग गम्भीरता से लेते हैं । इसके इलावा, माननीय सदस्यों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों व वहां के लोगों की सगस्याएं इस परिषद की बैठक में उठाई जाती हैं जिससे सरकार को इन राष्ट्रस्थाओं को रागझने तथा तुरन्त इनका समाधान करने में बहुत मदद गिलती है । अतः मैं माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहूँगा कि जहां इस परिषद की रादस्यता आपको आदर व गरिमा प्रदान करती है वही आप पर एक जिम्मेदारी डालती है कि आप जन जातीय क्षेत्र रो साम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय इस परिषद में उठायें ताकि उस पर चर्चा उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके तथा सारकार जन जातीय लोगों के विकास व कल्याण के लिए उचित कदग उठाए । यह गी ध्यान रखे कि भविष्य में इन लोगों के कल्याण व उन्नति के लिये नीतिगत गामलों बारे प्रस्ताव ही बैठक में प्रस्तुत करें क्योंकि अन्य राष्ट्रस्थाओं का रागाधान Single Line Administration के अन्तर्गत रथानीय रतार पर रागव है ।
3. राज्य योजना की 9 प्रतिशत राशि जन-जातीय उप-योजना के लिये चिन्हित की जाती है, जिस कारण प्रदेश के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक रतार में काफी खुदार हुआ है । जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर चालू पिता वर्ष 2015-16 में योजना गद्द के अन्तर्गत ₹० ४१६.९७ करोड़ रुपये राष्ट्र गैर-योजना के अन्तर्गत ₹० ५३७.५५ करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं । इस वित्तीय वर्ष में भवन, राज्यक व पुलों के निर्माण हेतु ₹० १७.३६ करोड़ रुपये, शिक्षा व

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मु0 68.01 करोड़ रुपये तथा सिंचाई एवं पेय जल योजनाओं के लिए मु0 36.63 करोड़ रुपये बजट में उपलब्ध करवाये गए हैं।

4. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि समय-समय पर कॉग्रेस की सरकार ने जन जातीय क्षेत्रों व जनजातीय लोगों के विकास हेतु कई अहम फैसले लिये हैं:

- राज्य योजना की 9 प्रतिशत राशि जन जातीय उप-योजना के अन्तर्गत विन्हाकित करने का निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना में लिया गया था जो आज भी जारी है।
- जन जातीय उप-योजना के लिए वर्ष 1981-82 में अलग से मांग संख्या का सृजन किया गया था।
- जन जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए इन क्षेत्रों में वर्ष 1986 में इकहरी शासन प्रणाली (Single Line Administration)लागू की गई जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित उपायुक्तों/आवासीय आयुक्त/अतिठि जिला दण्डाधिकारी को विभागाध्यक्षों की शक्तियां प्राप्त हैं।
- सर्दियों में जन जातीय क्षेत्र गारी बर्फबारी के कारण अन्य क्षेत्रों से कट जाते हैं। इस आपातकाल के दौरान वहां फंसे मरीजों एवं लोगों को लाने व ले जाने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1981-82 से हैलीकॉम्प्टर सेवा प्रदान की जा रही है।

5. जनजातीय क्षेत्र व इसके लोगों ने गेरा विशेष लगाव रहा है। मैं लगातार इन क्षेत्रों का दौरा करता रहा हूँ तथा मैरा यह रादैव प्रथल रहता है कि इन क्षेत्रों की सागस्याओं का सागाधान प्राथमिकता पर हो। जनजातीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान मैंने पाया कि वहां स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों के कारण कठिनाई पेश आती है। अच्छी स्वास्थ्य रोवा एवं शिक्षा सुविधा प्रदान करना हगारी प्राथमिकता है। सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टरों के 47 पद भरे हैं जिनमें 7 विशेषज्ञ शामिल हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि शेष रिक्त पदों को भी शीघ्र भर दिया जाये। शिक्षा क्षेत्र में 5 नये प्राइमरी रकूल खोले गये हैं तथा 6 रकूलों को upgrade कर गिडल, 8 को हाई तथा 9 को वरिष्ठ गार्डिक का दर्जा दिया गया है।

6. मैं रामी गान्धीय रादर्सों व अधिकारीगणों ने आशा करता हूँ कि ऐ इस परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयों पर सरकारात्मक राह्योग देंगे तथा रामी विभाग उचित कार्यवाही आगले में लायेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आज की बैठक सफल तथा लगाप्रद रहेगी।

भाग-1

हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद की 44वीं बैठक जो दिनांक 29-7-2015 को प्रातः 11 बजे कॉफ़ेस हॉल में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण ।

हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद की 43वीं बैठक की अनुवर्ती मद्दें ।

1. Requirement of Specialist Doctors, Pharmacists to fill up the different vacancies, in different Hospitals of Lahaul.

There is total One Regional Hospital, Two CHC and Eleven PHCs and Twenty Six Sub Centers in Lahaul. But due to lack of staff the system of health is not doing well in the Lahaul. Many patients have lost their lives due to lack of medical facilities. We request your honour to fill up the posts of specialists at Regional Hospital Keylong especially Gynecologist and General Surgeon. Besides the vacant lying post of pharmacist should also be filled up on priority basis.

(Pyare Lal, Lahaul)
Health

पिछली बैठक में इस मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि सर्दियों में Doctors/Para Medical Staff को प्रशिक्षण के लिए जन जातीय क्षेत्र से बाहर न भेजें ताकि सर्दियों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके । इसके अतिरिक्त विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि Regional/Disst. Hospital में कम से कम एक-एक Medical Specialist, Surgeon, Gynaecologist और anesthesist तैनात हो ।

विभागीय उत्तर :- जन जातीय क्षेत्रों में सर्दियों में चिकित्सकों को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पी0जी0 रीट से बाहर नहीं भेजा जाता । उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए केवल उन्हीं चिकित्सकों को प्रदेश तथा प्रदेश से बाहर भेजा जाता है, जिन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदन भेजे होते हैं और जो पी0जी0 चॉलिसी के तहत राशी शाही पूरी करते हों । पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए सर्दियों में न भेजने वारे निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

क्षेत्रीय अस्पताल केलाग को अभी हाल ही में विशेषज्ञ डाक्टरों से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु टैलीमैडिसिन की सुविधा शुरू की गई है । यदि यह सुविधा उक्त होत्र में सफल होती है तो यही सुविधा अन्य जनजातीय क्षेत्रों में शुरू की जाएगी ।

निर्णय:- विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के अतिरिक्त अधिकतर रिक्त पद भर दिए गये हैं तथा शेष रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. जिला किन्नौर में स्वास्थ्य विभाग के लिए नीति बनाने वारे।

(i) क्षेत्रीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एलोपेथी, आयुर्वेदिक, होमोपैथी) में विशेषज्ञ डॉक्टरों व तकनीकि कर्मचारियों की शीघ्र तैनाती हेतु नीति बनाने वारे।

(ii) विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति न हो पाने की सूरत में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा क्षेत्रीय चिकित्सकों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति-माह कम बार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करवाने के लिए नीति बनाने वारे।

(अग्र बन्द कल्पा किन्नौर)

स्वास्थ्य/आयुर्वेदा

पिछली बैठक में चर्चा के दौरान प्रधान सचिव (स्वास्थ्य सेवाये) हिमाचल प्रदेश ने बताया कि जिला किन्नौर में अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद भर दिये गये हैं। सभी जन जातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेज दिया गया है परन्तु अभी तक इन क्षेत्रों में इन्होंने अपना पद ग्रहण नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि सभी विशेषज्ञ चिकित्सक जिनको जन जातीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया गया है की ज्वार्डनिंग इन क्षेत्रों में विभाग सुनिश्चित करेगा तथा Orthopaedist और radiologist की तैनाती भी की जाए।

विभागीय उत्तर:-

स्वास्थ्य:- Reginoal Hospital Reckong Peo में वर्तमान से Orthopaedist और Radiologist कार्यरत है।

आयुर्वेदा:- जिला आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिती में विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। प्रदेश में परिषिठ होमियोपैथी चिकित्सकों के पद स्वीकृत नहीं है। यद्यपि होमियोपैथी चिकित्सक को जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में नियुक्त किया गया है। जन जातीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की प्रतिमाह कम बार नियुक्ति सम्भव नहीं है क्योंकि स्वीकृत 18 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पदों के विरुद्ध केवल 5 ही कार्य कर रहे हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माह जून से माह सितम्बर के दौरान विभिन्न केन्द्रों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार विशेष उपचार/प्रशासन हेतु ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा सकता है।

निर्णय :- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत गद को रामाप्त करने का निर्णय लिया गया।

3. जन जातीय क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना की घनराशि से जिला सतरीय कमेटी की शिफारिशों के आधार पर दवाईयां (एलोपेथी, आयुर्वेदा व होमोपैथी) स्वारीद हेतु नीति बनाने वारे, ताकि रामय पर दवाईयां उपलब्ध हो सके।

(अग्र बन्द, कल्पा, किन्नौर)

स्वास्थ्य/खाद्य एवं अपूर्ति

पिछली बैठक में प्रधान राजिय (स्वास्थ्य) ने सूचित किया कि स्थानीय माम के अनुसार 15 प्रतिशत दवाईयां जो essential drug list के बाहर हैं को स्थानीय रार पर सारीदर्दनी की पहले से ही छूट है। Essential Drug List में सभी generic medicines उपलब्ध हैं।

जिन्हें नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदा एवं उपलब्ध करवाया जाना है तथा इस सदर्भ में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध निदेशक, नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करे कि जनजातीय क्षेत्रों में जितनी भी दवाइयों की आवश्यकता है, की आपूर्ति एवं भण्डारण अगले 10 दिनों में उपलब्ध हो ।

विभागीय उत्तर:-

स्वास्थ्य:-— समूचे जन जातीय क्षेत्रों में मांगकर्ता अधिकारियों के औषधि मांगपत्रों के विलम्ब दिनांक 30/09/2014 को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला ने अनुमोदित स्त्रोतों/फर्मों की आपूर्ति आदेश जारी कर दिए हैं तथा उनके विरुद्ध औषधियों की आपूर्ति भी मिलनी शुरू हो चुकी है। उपरोक्त निगम ने सूचित किया है कि सभी सम्बन्धित आपूर्ति कर्ता फर्मों को आपूर्ति शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिनांक 13.10.2014 व 10.11.2014 को पत्र भी जारी किए जा चुके हैं एवम् दूरभाष पर भी लगातार इन फर्मों को आपूर्ति पूर्ण करने के लिए संपर्क साधा जा रहा है।

खाद्य एवं अपूर्ति:-—जन जातीय क्षेत्रों में जन जातीय उपयोजना की धनराशि से जिला स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दवाईयों (एलोपैथी, आयुर्वेद व होम्योपैथी) की खरीद हेतु नीति बनाने वारे निर्णय सम्बन्धित विभाग द्वारा लिया जाता है। निगम केवल राज्य स्तरीय औषध क्य समिति द्वारा अनुमोदित स्त्रोतों से सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त मांग अनुसार आपूर्ति आदेश जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। निविदा वर्ष 2013-14 (01.04.2013 से 30.09.2014) तक समूचे जनजातीय क्षेत्रों से प्राप्त एलोपैथिक औषधियों के मांग पत्रों अनुसार मु0 2,41,57,879.35 रुपये के आपूर्ति आदेश जारी किये गये जिसके प्रति दिनांक 25.02.2015 तक प्राप्त सूचना अनुसार मु0 2,29,63,987.57 रुपये की आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है जोकि खुल जारी आपूर्ति का 95 प्रतिशत है।

निर्णय:-—वैठक में विभाग ने सूचित किया कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं तथा नई दवाईयों की आपूर्ति सितम्बर एवं अक्टूबर तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4 पुराने अस्पताल की जगह सामुदायिक भवन बनाने वारे ।

पूरे गांव में रसायन विभाग को अस्पताल तथा रिहाइश के लिए 8 बीघा जमीन मिली है

जिस पर अस्पताल बन गया है तथा वहाँ अस्पताल खुल भी गया है इसलिए पुराने

अस्पताल को पूरे पंचायत को रथानान्तरित कर वहाँ सामुदायिक भवन बनाया जाए ।

(पीतम घन्द, पूर्ण किन्नौर)
रसायन

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिए कि रसायन विभाग की नई जगह में आवासी के निर्माण को लिए उचित बजट प्राप्तान किया जाए तथा निर्माण के उपरान्त विभाग के स्टाफ को नये नियमित आवासीय भवन में शिफ्ट कर पुरानी ईमारत को ग्राम पंचायत को सामुदायिक भवन के लिए स्तीप दिया जाए ।

विभागीय उत्तर :-— रसायन विभाग पंचायत के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए अपनी जमीन दे सकता है तथा सरकार से अनुरोध है कि रसायन विभाग को उसके बदले इतनी ही जमीन उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।

निर्णय:-—गाननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को पुराने अस्पताल को पूरे पंचायत को रथानान्तरित करने के आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

5 सब सेन्टर खोलने वारे ।

याम नामज्ञा में स्वास्थ्य विभाग का सब सेन्टर खोला जाए । आयुर्वेदा का केन्द्र है । तुरन्त इलाज के लिए पूह आना पड़ता है ।

(पीतम चन्द, पूह किन्नौर)

स्वास्थ्य

पिछली बैठक में घर्षा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने इस मद पर विभाग को पुनः विचार करने के निर्देश दिए ।

विभागीय उत्तर- Opening of Health Sub Centre at Namgia was reconsidered and the same has been rejected as the proposal does not meet the population norms of 3000 for opening of Health Sub Centre.

निर्णय:- माननीय अध्यक्ष महोदय ने नमग्या की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विभाग को नमग्या में स्वास्थ्य विभाग को सब सेन्टर खोलने वारे आदेश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया ।

6 पांगी घाटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किलाड़ व विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में पैरा मैडिकल स्टॉफ व डॉक्टर के पद भरने वारे ।

पांगी घाटी का एक नात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किलाड़ में स्थित है वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर तथा एक्सरे तकनिशियन के न होने के कारण स्वास्थ्य की कठोरी क्षमता नहीं रखती है और आम गरीब आदमी को छोटे मोटे एक्सरे आदि कारबाही के लिए ज़माना तथा कुल्तू जाना पड़ता है । अत महोदय से अनुरोद है कि पांगी घाटी के किलाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पढ़े आवश्यक पदों को शीघ्र अति शीघ्र जनहित में भरने की अनुरोद्धा करें । पांगी घाटी के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में पैरा मैडिकल व डॉक्टरों के पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हुए हैं जिस कारण आम जनता को यहुत जटिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । अत महोदय से अनुरोद है कि पांगी घाटी के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए ।

(किशन चन्द चौपड़ा, पांगी)

स्वास्थ्य

पिछली बैठक में घर्षा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि CHC Killar में विशेषज्ञ चिकित्सक, गुरुज्ञात: surgeon, gynaecologist, anesthetist के पद प्राथमिकता पर भरें ।

विभागीय उत्तर - यत्नगान में सी०एच०टी० किलाड़ में चिकित्सा अधिकारी के ३ लोकुत पदों के विरुद्ध चार विशेषज्ञ चार्यालयी कार्यरत हैं । प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सालयों की भारी घासी है । अत विभाग उभी हातीय चिकित्सालयों में रिहिल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियों हेतु प्रयासरत है । जोसे ही विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किलाड़ में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रयास जिता जायगा ।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को पुनः परीक्षण के आदेश दिए। इस बारे मद संख्या 1 व 2 पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अतः इस मद को समाप्त किया जाता है।

7. Radiographer की तैनाती बारे।

पूछ उपमण्डल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्पीलो व रिबा में लगभग 10-12 वर्ष पहले X-Ray मशीन रथापित की गई है लेकिन विगत काफी सालों से Radiographer की तैनाती नहीं होने के कारण इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थित X-Ray मशीनों के लिए Radiographer की तैनाती कर इस का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया जाए।

(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)
स्वास्थ्य

पिछली थैंडक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि Sub Cadre के तहत खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरें।

विभागीय उत्तरः—विभाग नवीनतम रिति से थैंडक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को आदेश दिए हैं कि रिक्त पड़े पदों को दो महीने के भीतर प्रशिक्षित उम्मीदवारों से भरा जाए। अतः इस मद को समाप्त किया जाता है।

8. Requirement of teachers (JBT, TGT, PGT, C & V) to fill up the vacancies in different schools of the Lahaul.

Almost all the schools of the Lahaul including Senior Secondary Schools, High Schools, Middle / Primary Schools are running short of teaching staff. You are requested to fill up these vacancies in different schools through SMC on priority basis. Besides, at DIET, out of total sanctioned 19 posts 17 are lying vacant. You are requested to fill up these posts soon so that the study of the students at the DIET could not suffer.

(Pyare Lal, Lahaul)
Higher Education/Ele. Education

पिछली थैंडक में विभागीय उत्तर के दृष्टिगत अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि रिक्त पड़े पदों को पदोन्नति व नई भर्ती द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भरें। यदि फिर भी इन क्षेत्रों में रिक्त पद रहते हैं तो उन्हें नई Sub Cadre नीति के तहत भरा जाए।

विभागीय उत्तर :-

शिक्षा:- 33 PGTs have been posted in Tribal area through promotion and two posts of Lecturers in Govt. Sr.Sec. School Udaipur and Govt.Sr.Sec.School Jalma have been filled up through direct recruitment by the department.

प्रारम्भिक शिक्षा— Efforts are being made to fill up the vacant posts of teachers of all categories i.e TGTs, C&V and JBTs in tribal areas on contract basis through Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur & through SMC. At present (2012-14) session there are only 14 students undertaking JBT training at DIET Keylong (L&S). If the number of JBT trainees is increased at DIET Keylong, more Lecturers will be deputed on secondment basis in the said DIET.

निर्णय—माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को रिक्त पदों को सीधी भर्ती या SMC के तहत शीघ्र भरने के आदेश दिए। तदोपरान्त भद्र को समाप्त कर दिया गया।

9. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात अनुसार राशि उपलब्ध करवाने बारे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात अनुसार धनराशि प्रदान की जा रही है जिसके लिए जन-जातीय क्षेत्रों के लिए जन-जातीय उप योजना रो अभाज्य धनराशि के रूप में मुख्यालय को हर वर्ष प्रदान की जा रही है, लेकिन भरमौर जन जातीय क्षेत्र को सरकार द्वारा 19 प्रतिशत मानकानुसार धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अतः सरकार रो अनुरोध है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात अनुसार वर्ष 2007-2008 से 2012-2013 तक कितनी राशि किन कार्यों के लिए प्रदान की गई।

(भजन सिंह ठाकुर, भरमौर)
प्रारम्भिक शिक्षा

पिछली बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक विभाग को यह निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी उपायुक्तों तथा जन जातीय क्षेत्रों में सम्बन्धित आदारीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को विभागाध्यक्ष होने के नाते एस०एस०ए० के अन्तर्गत राशि आवंटन का व्यारे की पूर्ण जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त जन जातीय क्षेत्रों में आदारीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी विभागाध्यक्ष होने के नाते इस आवंटन का व्योरा सम्बन्धित जिला प्रशासन को भी देंगे ताकि कार्य निर्माण के लिए प्रदान की जा रही राशि में *duplicacy* से भी बचा जा सके।

विभागीय उत्तर— सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात के अनुसार राशि वर्ष 2006-07 तक उपलब्ध होती रही है तथा वर्ष 2007-08 के पश्चात् 65:35 के अनुसार अब तक यह धन राशि उपलब्ध हो रही है। यह राशि राज्य परियोजना अधिकारी (एस०एस०ए०) द्वारा प्रदेश के सभी जिला परियोजना अधिकारी को प्रतिवर्ष जिला के गुणात्मक शिक्षा एवं ढाकागत विकास के लिए प्रदान की जाती है जिसमें जन जातीय क्षेत्र भी शामिल हैं।

निर्णय—विभागीय उत्तर के गध्यनजार एवं चर्चा उपरान्त गद को समाप्त करने का निर्णय दिया गया।

10. जन जातीय क्षेत्र के स्कूलों में लागू की गई शिक्षा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने वारे ।

जिला के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं पूर्व पद्धति के अनुसार करने वारे ।

जन जातीय क्षेत्र के स्कूलों में पिछली सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया जाए । इस प्रणाली में कबाईली क्षेत्रों में जो वार्षिक परीक्षाएं दिसम्बर में होती थी व शीतकालीन अवकाश जनवरी, फरवरी माह में होता था, उसी प्रणाली को लागू किया जाए, क्योंकि सर्दियों में लम्बे समयतक बिजली की समस्याओं से परेशानी रहती है तथा बर्फ में बच्चों को आँने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है । अतः महोदय से अनुरोध है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए । जिला के सरकारी स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं पूर्व पद्धति के अनुसार दिसम्बर महीने में करवाने वारे व स्कूल खुलने का समय भी मार्च महीने में करवाने वारे निर्देश जारी करें ।

(शुभ करण, भरमौर)
(प्रीतम सिंह नेही, कल्पा किन्नौर)
उच्च शिक्षा

पिछली बैठक में प्रधान सचिव (शिक्षा) ने सूचित किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से जन जातीय क्षेत्रों में पूर्व पद्धति के अनुसार ही परीक्षाएं ली जाएंगी ।

विभागीय उत्तर:-

उच्च शिक्षा:-— सरकार के दिनांक 12.12.2013 के निर्णय अनुसार जन जातीय क्षेत्र, किन्नौर, पांगी, भरमौर के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश में कक्षा पहली से 9वीं तक वार्षिक परीक्षाएं दिसम्बर माह में होंगी तथा 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं वर्ष 2013–14 से प्रतिवर्ष मार्च माह में ली जाएंगी । इन क्षेत्रों में अवकाश का व्यौरा निम्न प्रकार से हैं:—

1. शीतकालीन अवकाश 01 जनवरी से 26 फरवरी तक ।
2. मानसून अवकाश अगस्त के प्रथम शोमवार से शुक्रवार तक परन्तु दूसरे शनिवार का अवकाश जनजातीय क्षेत्रों में मान्य नहीं होगा ।

निर्णय:-— चर्चा उपरान्त एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

11. कन्या उच्च पाठशाला का दर्जा बढ़ाने वारे ।

जन-जातीय क्षेत्र भरमौर में एक मात्र कन्या उच्च पाठशाला है, जिसमें इस समय 300 छात्राएं अध्ययनरत हैं । जिसमें नौवीं कक्षा की 109 व दसवीं कक्षा की 93 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं । दसवीं कक्षा के बाद उन्हें या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या कहीं दूसरे याहरी कन्या विद्यालयों में जाना पड़ता है । भरमौर में एक Boys वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है जिसमें पहले से ही विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है । अतः सरकार से अनुरोध है कि कन्या माध्यमिक पाठशाला का दर्जा प्रदान किया जाए ।

(मजन सिंह ठाकुर, भरमौर)
उच्च शिक्षा

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले का परीक्षण करने का निर्देश दिया ।

विभागीय उत्तर:-—कन्या उच्च पाठशाला भरमौर को शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए रतरोन्नत कर दिया गया है ।

निर्णय:-—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत गद रागाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

12.

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन शीघ्र बनवाने वारे ।

भारत सरकार द्वारा संचालित की रकूल एकलव्य का भवन आठ वर्षों से अधूरा है, जिस कारण नए बच्चों का प्रवेश हर वर्ष आधा ही हो रहा है, इस भवन को शीघ्र बनवाकर हर वर्ष पूर्ण प्रवेश दिया जाए ।

(जगदीश चन्द्र, निवार, किन्नौर)

लोक निर्माण/जन जातीय विकास विभाग

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन को शीघ्र पूर्ण करें व भविष्य में नए भवन निर्माण sliding zone में न किया जाए । निर्माण कार्य भी निर्धारित समय अवधि एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए जिससे cost escalation से बचा जा सके ।

विभागीय उत्तर:-

लोक निर्माण:- The Construction of Eklavya Residential School at Nichar Distt. Kinnaur H.P.(SH:- balance work of school building i.e site development, WS & SI and rain harvesting tank) का कार्य को करच्छम मण्डल द्वारा दिनांक 30-03-2014 को 2,62,38,866/-रुपये आवंटित किया गया है तथा छत का कार्य प्रगति पर है। बजट उपलब्ध न होने के कारण ठेकेदार का भुगतान लम्बित है। Construction of Eklavya Residential School at Nichar Distt. Kinnaur HP(SH:- C/O balance work of Girls & Boys Hostel (Two Units) Site Development,WS&SI,Septic Tank & rain harvesting tank) का कार्य श्री ज्ञान सिंह ठेकेदार गांव व डाकघर नरेण, तहसील रामपुर जिला शिमला (हिंप्र०) को करच्छम मण्डल के पत्र दिनांक 30-03-2010 के अन्तर्गत मुद्रित रुपये 2,48,13,037 कैवल को आवंटित किया गया है तथा कार्य पूर्ण अवस्था में है। इस भवन को संबंधित विभाग को सौंप दिया जाएगा। उपरोक्त भवन के निर्माण हेतु करच्छम मण्डल में मुद्रित 350.10 लाख रुपये का बजट जमा है जिसमें से अभी तक मुद्रित 366.48 लाख रुपये व्यय-हो चुका है तथा मुद्रित 10,00,000 रुपये की अदायगी करने को है लेकिन बजट उपलब्ध नहीं है।

जनजातीय विकास:- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन व छात्रावासों को निर्माण कार्यों के लिए 350.10 लाख रुपये लोक निर्माण को उपलब्ध करवाए गए हैं जिसके पिरूक्त लोक निर्माण विभाग ने 366.48 लाख रुपए व्यय दर्शाए हैं। इन कार्यों के लिए वर्ष 2015-16 में मु० 32.56 लाख रुपए जनजातीय उप योजना में सुपलब्ध किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग पहले उपरोक्त कार्यों को पूर्ण करें तबोपरान्त ही नए कार्य (प्रधानाचार्य आवास/स्टॉफ क्वाटर्स) के लिए धन उपलब्ध करने पर विद्यार किया जा सकता है।

निर्णय:- चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात् नए कार्यों (प्रधानाचार्य आवास/स्टॉफ क्वाटर्स) के लिए जन जातीय विकास विभाग द्वारा फेराड मैनर में धन उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करेगा। तबोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

- 13 वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को जन जातीय क्षेत्रों में अक्षरशः एवं शीघ्र लागू करने वारे।
14. भारत सरकार द्वारा लागू किए गए एफ.आर.ए.-2006 को प्रभावी तरीके से लागू करने वारे।

अनुसूचित जन जातीय एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को जन जातीय क्षेत्रों में अक्षरशः एवं शीघ्र लागू किया जाए। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए एफ.आर.ए.-2006 को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि जन जातीय क्षेत्र के लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके।

(नवांग बौद्ध, लाहौल स्पिति)
(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)

पंचायती राज

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग समर्त जन जातीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर कमेटी का गठन करेगा ताकि इस अधिनियम के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

विभागीय उत्तर:- वन अधिकार समितियों का गठन ग्राम स्तर पर जिला किन्नौर में 74.83 प्रतिशत और जिला लाहौल स्पिति में 100 प्रतिशत किया जा चुका है।

निर्णय:- माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्राम स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम पर तीन महीने के भीतर प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश जारी किए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

- 15 जिला लाहौल स्पिति में T.D लकड़ी के आबंटन की पुनः समीक्षा करने वारे।
16 टी० डी० पुनः शुरू करने वारे।

जिला लाहौल स्पिति में T.D लकड़ी के आबंटन की पुनः समीक्षा की जाए ताकि पांच वर्ष के अन्तराल से T.D लकड़ी प्राप्त करने की पात्रता बहाल हो।

टी० डी० बन्द होने से जनजातीय क्षेत्र में घर बनवाना बहुत मुश्किल हो गया है। टी०डी० को पुनः बहाल किया जाए, ताकि जन जातीय क्षेत्रों की गरीब जनता इस का पूरा लाभ ले सके।

(नवांग बौद्ध लाहौल स्पिति)
(जगदीश चन्द, निचार किन्नौर)

वन

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया था कि नई टी०डी० नीति बनाई जा रही है जिसमें टी०डी० शर्ते उदार तथा व्यवहारिक कर दी गई है। अभी इस विषय पर महाअधिवक्ता से विचार-विर्माण किया जा रहा है कि क्या इस नई नीति को माननीय उच्च न्यायलय के अपलोकन/मजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाना है या नहीं क्योंकि पहले की नीति माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार ही बनाई गई थी जिससे भविष्य में पुनः कानूनी बाधाओं का सामना न करना पड़े।

विभागीय उत्तर:- सरकार द्वारा नई टी०डी० नीति 2013 में बनाई गई है जिसके प्रावधानों के अनुसार टी०डी० लकड़ी प्रदान की जाएगी जिसकी अधिसूचना की प्रति समर्त ग्राम पंचायती व वन मण्डल अधिकारियों को प्रचार हेतु भेजी जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार रक्षानीय वर्तनदारों को टी० डी० में खड़े वृक्षों के रूप में इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को रागात कर दिया गया।

17. लकड़ी का डिपो खोलने वारे ।

18. बालन लकड़ी व इमारती लकड़ी का डिपो खोलने वारे ।

ग्राम हॉगो तथा चूलिंग में लकड़ी का डीपू खोला जाए, जो दोनों गांवों के बीच में हो । N.H.-5 पर स्थित गांव स्पीलो में एक बालन लकड़ी व इमारती लकड़ी का डिपो खोला जाना अतिआवश्यक है क्योंकि रिकांग पिओ या ज्ञाबुंग-पूह जहाँ पर यालन लकड़ी का डिपो है काफी दूर पड़ता है । लगभग पिओ 40 किमी० व पूह 30 किमी० तथा रारियों के मौख्य में ज्यादातर स्पीलो से आगे पूह की तरफ ठोपन नामक स्थान से आगे पिओ की तरफ लड्डक चढ़ाने व मलवा गिरने के कारण अवरुद्ध ही रहता है । अगर उपरोक्त डिपो स्पीलो में खोला जाता है तो इसका लाभ लगभग 10-11 पंचायतों को मिल सकता है ।

(प्रीतम चन्द, पूह किन्नौर)

(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)

वन विभाग

पिछली बैठक में प्रधान सचिव वन ने बताया कि शीघ्र ही उपयुक्त स्थान पर यालन लकड़ी डिपो खोल दिया जाएगा ।

विभागीय उत्तर:- 17 ग्राम हॉगो व चूलिंग जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय मालिंग (स्थित नाको) से लगभग 15 किमी० की दूरी पर है इन गांव के लोगों को यालन लकड़ी व इमारती लकड़ी की आपूर्ति नाको व लियो में स्थित डिपों से भी जा रही है ।

उत्तर:- 18 स्पीलो में यालन डिपो खोल दिया गया है ।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद 17 व 18 को समाप्त कर दिया गया ।

19. इमारती लकड़ी रियायती दर में उपलब्ध करवाने वारे ।

वर्ष 2008 में नया टी०डी० कानून बनाया गया जिसके अन्तर्गत रथानीय लोगों को इमारती लकड़ी रथानीय जंगलों में Silviculture या salvage उपलब्ध होने पर भी इमारती लकड़ी उपलब्ध यही जाएगी । वह भी 30 सालों में एक ही बार या ताउग्र में एक बार । पूह जैसे रास्ते मरुरथल में जंगल न के बराबर है ऐसे में Silviculture या salvage उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है । परिणाम रवरूप इस खण्ड के लोगों को इमारती लकड़ी से वंचित होना पड़ रहा है । इस खण्ड के लोगों को इंगारती लकड़ी रियायती दरों पर डीपो द्वारा उपलब्ध करवाए जाने का नियेदन किया जाता है ।

(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)

वन विभाग

पिछली बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि सियति, लाहौल, पूह व अन्य जन जातीय उप-मण्डलों में भी प्रदेश के अन्य हींकों की भागी टी०डी० के माध्यम से रियायती दरों पर इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जा रही है, जन जातीय हींकों में जहाँ अधिकार तो है परन्तु वन नहीं है में उसी लागि भी वर से इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी ।

विभागीय उत्तर:- रारकार द्वारा नई टी०डी० नीति 2013 में बनाई गई है जिसके प्रारंभानों के अनुरार टी०डी० लकड़ी प्रदान की जाएगी जिसकी अधिरूपना की प्रति समरत ग्राम पंचायतों व वन मण्डल अधिकारियों को प्रचार हेतु भेज दी जा चुकी है । अधिरूपना के अनुसार रथानीय वर्तनदारों को टी०डी० में खड़े वृक्षों के रूप में इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी ।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने बन विभाग को आदेश दिए कि जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार ईमारती लकड़ी लोगों के घरेलू उपयोग के लिए रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए तथा रियायती लकड़ी **Commercial purpose** के लिए न दी जाए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

20. बन विभाग के निचार स्थित खाली भवनों में **Eco-Tourism** शीघ्र शुरू करने वारे। बन विभाग के खाली भवनों में जो Eco-Tourism की योजना प्रस्तावित है। इसे शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए ताकि इस दोत्र में Tourism को बढ़ावा मिल सके व स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

(जगदीश चन्द्र, निवार, किन्नौर)
बन विभाग

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में बन विभाग को पर्यटन विभाग के साथ विचार विमर्श कर इस complex में टूरिजम यूनिट खोलने के निर्देश दिए।

विभागीय उत्तरः— इस बारे मुख्य अरण्यपाल ने प्राक्कलन तैयार कर लिए हैं तथा मामला टूरिजम विभाग से विचार विमर्श के उपरान्त आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा।

निर्णयः— इस मद को मद संख्या 29 के साथ निर्णय हेतु रखा गया। तदानुसार इस मद को समाप्त कर दिया गया।

- 21 पांगी घाटी के धरवास पुर्थी व सेचु में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक व किलाड़ में पंजाब नैशनल बैंक की शाखा खोलने वारे।

माननीय मुख्य मन्त्री जी पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में सिर्फ एक बैंक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। इसके इलावा कोई भी अन्य बैंक की शाखा किलाड़ में नहीं है। अन्य बैंक न होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक में लोगों को पैसा निकालने में काफी परेशानी आती है तथा समय भी बढ़ाद होता है। अतः महोदय से निवेदन है कि पांगी घाटी के धरवास पुर्थी व सेचु में हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की शाखाएं तथा एक पंजाब नैशनल बैंक की शाखा किलाड़ में खोली जाए ताकि लोगों को बैंक से सम्बन्धित परेशानी से छुटकारा मिल सके।

(राम चरण राणा, पांगी)
वित्त/सहकारी विभाग

पिछली बैठक में प्रधान सचिव (वित्त) ने सूचित किया कि अगली राज्य स्तरीय बैंकर कमेटी में पंजाब नैशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक से साथ में शाखा खोलने के मामले को pursue किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सहकारी बैंक खोलने के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया जाये।

विभागीय उत्तरः—

वित्तः— Lead Bank Officer, Chamba has reported on 24-12-2013 that the survey has been done by the concerned Banks to open the Bank Branches at Dharwas, Purthi, Sechu and Killar of ITDP Pangi and at Chhatradi & Tundah of Bharmour area and sent their survey reports to their controlling offices. As per the direction/guidelines of Reserve Bank of India, New Bank Branches will be opened where it is found necessary and at all left out places the banking facilities will be provided through

the Business Correspondents. The business Correspondents have been appointed by Banks and for banking facilities at village level, the process of appointments of Village Service Provider is under process.

सहकारिता:- Regarding opening of Bank Branches at Dharwas Purhi and Sechu of Pangi area is under process at Bank' level and after completing all codal formalities, the application will be forwarded to Reserve Bank of India(RBI) for obtaining necessary license to open bank's branch there in due course. The response from RBI is still awaited.

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दिया गया ।

22 पौली हाउस के निर्माण बारे ।

जिला लाहौल स्पिति जहां पर अत्यधिक बर्फबारी होती है, के लिए Poly House का निर्माण स्थानीय किसानों के परामर्श से विशेष Design तैयार किया जाए ताकि बर्फबारी में भी यह टिका रह सके ।

(नवांग बौध, लाहौल स्पिति)
कृषि / उद्यान

पिछली बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्यान) ने अवगत करवाया कि लोगों की स्थानीय मांग के अनुसार पौली हाउस के बनाने वारे विचार किया जाएगा ।

विभागीय उत्तर:-

उद्यान :- इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि जिला लाहौल स्पिति तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जहां पर अत्यधिक बर्फबारी होती है, वहां के स्थानीय किसानों तथा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के परामर्श से कृषि विभाग द्वारा उन क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित पौली हाउस जैड-1 व जैड-3 माडल तैयार किए गए हैं। विभाग जिला लाहौल स्पिति के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित पौली हाउस के माडलों का अनुसरण करेगा।

निर्णय:- विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त मद समाप्त कर दिया गया ।

23. Refrigerated Van पर सुगम अभिशीति परिवहन विधि अपनाने बारे ।

लाहौल में ही उत्पादित फल, फूल एवं सब्जियाँ को बाहर की गण्डियों में भेजने के लिए Refrigerated Van का विकल्प के तौर पर सुगम अभिशीति परिवहन विधि अपनाई जाए ।

(नवांग बौध, लाहौल स्पिति)
उद्यान

पिछली बैठक में विभाग ने आश्वासन दिया कि माननीय सदस्य के सुझाव पर परीक्षण किया जाएगा ।

विभागीय उत्तर:- :-लाहौल क्षेत्र में फलों का वार्षिक उत्पादन 1.28 मीट्रिक टन के लगभग है। इस के अतिरिक्त लिलियम एवं टयूलिप के 5 लाख कटे हुए फलों का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। फल उत्पाद का विषयन कुल्लू माकिंट में एवं फूलों का विषयन चण्डीगढ़ एवं दिल्ली की गण्डियों में किया जाता है। उद्यान उत्पाद के विषयन हेतु लाहौल क्षेत्र में कोई सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र में उद्यान उत्पाद के भण्डारण एवं विषयन हेतु माकिंट याड़ सी०८० भण्डार एवं कूल चैन सुविधाओं के सृजन की अत्यन्त आवश्यकता है। यागवानी मिशन के मिनी मिशन-3 के अन्तर्गत माकिंट अधोसरचना जैसे कि टमिनल माकिंट थोक एवं परचून गण्डिया,

पैक हाउस, प्री कूलिंग इकाईयां, शीत भंडारण इकाईयों की स्थापना एवं राफल वैन इत्यादि के क्य हेतु सहायता का प्रावधान है। 5000 मी० टन क्षमता के नियन्त्रित वातानुकूलित भंडार गृहों की स्थापना हेतु अधिकतम रु० 8.80 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 6 मी० टन क्षमता की राफर वैन के क्य हेतु रु० 13.20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध है जिसे लाहौल क्षेत्र के इच्छुक उद्यमी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एच०पी०एम०सी० द्वारा एपिडा (APEDA) के कोल्ड चैन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक तौर पर 2 Refrigerated Van खरीदी गई है जिनकी सेवाएं प्रदेश के सभी फल, सब्जी एवं फूल उत्पादकों को किराए पर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

निर्णयः— चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने उद्यान विभाग को मामले में परीक्षण कर कार्यवाही करने के आदेश दिए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

24. मारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचि के तहत जन जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास व उत्थान के लिए कानून बनाने तथा वर्तमान कानूनों को निलम्बित व संशोधन करने वारे।

भारत के संविधान की अनुसूचि-5 में माननीय राज्यपाल महोदय को जन जातीय क्षेत्रों के लिए कानून बनाने व वर्तमान कानूनों को निलम्बित व संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वन संरक्षण कानून 1980 के कारण जन जातीय क्षेत्रों का विकास रुक गया है और जन जातीय क्षेत्रों में नीतोड़ के हजारों मामले जमीन आवंटन के लिए लम्बित पढ़े हैं। इसी प्रकार दर्जनों सड़कों के कार्य भी इसी कानून के तहत रुके पड़े हैं। अतः जन जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास व उत्थान के लिए संविधान के उपरोक्त प्रावधानों को अतिशीघ्र लागू किया जाए।

(जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष, विधान सभा)

वन

पिछली बैठक में प्रधान सचिव (वन एवं राजस्व) ने बैठक में सूचित किया कि इस विषय पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त हो गया है। अतः विषयगत मामले पर परीक्षण किया जाएगा।

विभागीय उत्तरः—

वन :— प्रदेश सरकार ने दिनांक 17-07-2014 के द्वारा जन जातीय क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को दो साल के लिए रथगित किया है ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को नीतोड़ भूमि दी जा सके। जहाँ तक सड़क निर्माण का सम्बन्ध है उसमें भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को सड़क निर्माण के लिए अधिकृत किया है वर्तमान वन भूमि का क्षेत्र 1 हेक्टर तक हो तथा कटने वाले पेड़ों की संख्या 50 से अधिक न हो।

निर्णयः— इस मद पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस विषय का विस्तृत परीक्षण करना उचित होगा कि क्या ऐसी अधिरूचना जारी की जाए कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 हिंगाचल प्रदेश के अधिरूचिता क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए लागू नहीं होगा। तदानुसार निर्णय लिया गया कि इसका विस्तृत परीक्षण करने के लिए गाननीय वन मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन जातीय विकास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, प्रधान सचिव, विधि तथा प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन (सदस्य सचिव) होंगे। इस कमीटी की अधिरूचना जन जातीय विकास करेगा जिसके बाद पूर्ण कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जाएगी।

25. समस्त कार्यक्रमों के लिए एक समान वार्षिक आय सीमा निर्धारित करने वारे । हिमाचल प्रदेश कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पात्रता हेतु अलग वार्षिक आय सीमा निर्धारित कर रखी है । जैसे कन्यादान योजना के लिए 15000/-, गृह अनुदान के लिए 17000/-, पैशांश के लिए 24000/- एवं सिलाई मशीन के लिए 11000/- अतः सरकार से अनुरोध है कि समस्त कार्यक्रमों के लिए एक समान वार्षिक आय सीमा निर्धारित की जाए ।

(भजन सिंह, ठाकुर, भरमौर)

महिला एवं शिशु विकास तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास पिछली बैठक में अतिथि मुख्य सचिव (सा० न्याय एवं अधि०) ने अवगत करवाया कि विभाग ने सभी योजनाओं के लिए एक समान व्यवहारिक पार्षिक आय सीमा के निर्धारण सम्बन्धी मामले में exercise कर ली गई है और यह मामला मन्त्री मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

विभागीय उत्तर सामाजिक न्याय अधिकारिता :-— माननीय मुख्य मन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट अभिभाषण की अनुपालना में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं गृह अनुदान, अनुवर्ती कार्यक्रम (सिलाई मशीन) सामाजिक सुरक्षा पैशांश व मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना में आय सीमा को समान रूप से बढ़ाकर 35000/- रूपये वार्षिक कर दिया गया है । सरकार द्वारा पैशांश योजना, गृह निर्माण अनुदान योजना में अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।

निर्णय:-— विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया ।

26. होली से चामुण्डा तक सुरंग के सर्वेक्षण वारे ।

होली से चामुण्डा तक सुरंग के सर्वेक्षण के लिए माननीय मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा वर्ष 2007 में HID विभाग को 17 लाख रूपए की धन राशि दी गई थी । HID विभाग से पूछा जाए कि सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने DPR तैयार की या नहीं । यदि की गई है तो इस सुरंग की लम्बाई कितने किलोमीटर है, यदि नहीं की गई है तो उस धनराशि का प्रयोग कहां किया गया । इस सुरंग के निर्माण से होली चामुण्डा के बीच लगभग 240 किलोमीटर की दूरी कम होगी । अतः महोदय से अनुरोध है कि इस सुरंग का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाए साथ ही होली उत्तराला सुरंग का कार्य भी शीघ्र आरम्भ करवाया जाए ।

(शुभ करण, भरमौर)
लोक निर्माण / विद्युत

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने कि लोक निर्माण विभाग को सर्वे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ।

विभागीय उत्तर :-

लोक निर्माण:-— चामुण्डा होली टनल बनाने की (Pre- Feasibility Study Report)

का कार्य M/S SJVNL को दिनांक 9-12-2013 को गुरुव्य अभियन्ता-कम-प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट रोड प्रोजेक्ट द्वारा दिया गया है कार्य प्रगति पर है ।

विद्युत विभाग वर्तुरिधति से बैठक में आवात करवाएगा ।

निर्णयः— चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को मामले में प्राथमिकता के आधार पर सर्वे का कार्य करके ३१०पी०आ०२० तैयार करने के निर्देश दिए । तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया ।

27. न्याग्रां बजोल सड़क निर्माण कार्य P.M.G.S.Y के तहत करवाने वारे ।

न्याग्रां बजोल सड़क निर्माण कार्य P.M.G.S.Y के तहत वर्ष 2009 में एक निजि ठेकेदार को दिया गया था जिसकी अनुमानित राशि 4 करोड़ रुपये है । वर्ष 2010 में ठेकेदार काम छोड़कर चला गया । लोक निर्माण विभाग द्वारा कई बार इसे नोटिस भी दिए गए लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया । इस क्षेत्र में बजोल गरोड़ा धारडी आदि गांव पड़ते हैं जिन्हें कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है । अतः महोदय से अनुरोध है कि इस मामले पर ठोस कदम उठाए जाए । न्याग्रां से बड़ा भंगाल के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव है, परन्तु Forest Clearance न होने की वजह से यह सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है । अतः महोदय से यह भी अनुरोध है कि Forest Department से इस मामले को शीघ्र निपटाने वारे आदेश दिए जाएं ।

(शुभ करण, भरमौर)

वन / लोक निर्माण

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि औपचारिकताएं पूर्ण कर शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए ।

विभागीय उत्तरः—

दनः— न्याग्रां बजोल सड़क निर्माण की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 21-07-2009 को दी गई है तथा बजोल से बड़ा भंगाल के लिए सड़क बनाने का प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार उत्तर क्षेत्रिय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा FRA सर्टिफिकेट एवं under taking of NPV मांगा गया है जोकि लोक निर्माण विभाग से अभी तक अपेक्षित है ।

लोक निर्माणः— इस कार्य का काम ठेकेदार द्वारा पुनः शुरू न करने पर अधिशाखी अभियन्ता, भरमौर मण्डल ने अपने कार्यालय के पत्र सख्त दिनांक 21-02-2014 तथा पत्र दिनांक 29-05-2014 द्वारा एग्रीमेंट को बन्द करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता 7वाँ बृत लोक निर्माण विभाग डलहौजी को लिखा । इसके उपरान्त मुख्य अभियन्ता (कां० क्ष०) पांशुशाला ने अपने पत्र दिनांक 30-09-2014 द्वारा इस कार्य को Clause 52.1 of General Condition of Contract के अंतर्गत एग्रीमेंट terminate करने की रक्कीकृति दे दी । इसके उपरान्त अधिशाखी अभियन्ता भरमौर मण्डल के पत्र दिनांक 01-11-2014 द्वारा इस कार्य के एग्रीमेंट को terminate कर दिया गया, जिसकी सूचना ठेकेदार को भी दे दी गई है । अब इस कार्य को विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त शीघ्रतिशीघ्र निविलाएं लगा कर दोबारा शुरू किया जाएगा ।

निर्णयः— विभाग ने बैठक में आवगत करवाया कि 5 अगस्त, 2015 को पुनः गिविदाएं आमंत्रित कर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । तदानुसार गद को रागाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

28. निचार बांगतू लिंक रोड को खोलने वारे।

निचार जाने के लिए NH-22 से पलिंगी होते हुए 16 KM का रोड है जबकि बांगतू से निचार का रास्ता मात्र 2 KM है। अतः निवेदन यह है कि इस रोडके खुलने से इस क्षेत्र के लोगों को पर्यटन से जुड़ने का मौका मिलेगा साथ ही रिकांगपिओ से आने वाले वाहनों के लिए 30 KM की दूरी भी कम होगी।

(जगदीश चन्द्र, निचार, किन्नौर)

लोक निर्माण

पिछली बैठक में इस कार्य हेतु अगले वित्त वर्ष में बजट उपलब्ध करवाने हेतु विचार किया जाएगा।

विभागीय उत्तर:- भू-स्वामियों द्वारा निजी भू-दान की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। इस बारे प्रधान, ग्राम पंचायत निचार को जल्दी से जल्दी भू-दान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुरोध किया गया है। भू-दान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर वन अनापति का केस तैयार करके रखीकृति के लिए वन विभाग को भेजा जाएगा।

निर्णय:- माननीय सम्बन्धित सदस्य ने बैठक में अवगत करवाया कि भू-स्वामियों ने शपथ पत्र विभाग को सौंप दिया है। विभाग ने अवगत करवाया कि यदि शपथ पत्र विभाग को प्राप्त हुए होंगे तो शीघ्र ही आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

29. निचार में विश्राम गृह बनवाने वारे।

निचार में एकमात्र वन विभाग के विश्राम गृह को छोड़ कर न तो यहाँ पर कोई होटल रात्रि ठहराव के लिए है, न ही दूसरे विभागों के विश्राम गृह निचार में है। अतः निवेदन यह है कि निचार में PWD का Rest House बनवाया जाए।

(जगदीश चन्द्र, निचार, किन्नौर)

लोक निर्माण / पर्यटन

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त मद पर पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय उत्तर:- विश्राम गृह के लिए अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई है भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त और सरकार से रखीकृति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।

निर्णय:- इस मद को मद संख्या 20 के साथ जोड़ते हुए चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य संचिव लोक निर्माण विभाग ने कहा कि यदि यहाँ लोक निर्माण का विश्राम गृह बनाना है तो इसके लिए जनजातीय उप योजना में धन उपलब्ध करवाना होगा। विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह की संभावना तथा पर्यटन विभाग इकको टूरिजम की संभावना तलाश कर जल्द निर्णय पर पहुंचे कि वन विभाग के विश्राम गृह का बेहतर उपयोग क्या रहेगा व तदानुसार आगामी कार्यवाही की जाए।

30. निचार गरादे पूजे लिंक रोड खोलने वारे।

स्थानीय लोगों की मांग है कि गरादे-पूजे के लिए लिंक रोड निकाली जाए। उक्त सड़क के लिए लोगों ने अपनी निजि भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम कर दी है। इस सड़क के लिए

पैसे की कमी आ रही है जिसके लिए धनराशि का प्रावधान किया जाए तथा सङ्क का निर्माण शीघ्र किया जाए ।

(जगदीश चन्द्र, निचार किन्नौर)
लोक निर्माण

पिछली बैठक में विभाग ने सुचित किया कि यह सङ्क 2,500 कि० मी० बननी है तथा अभी तक इस कार्य हेतु लोगों से 75 प्रतिशत गिफ्ट डीड प्राप्त हुई है जब शत-प्रतिशत डीड प्राप्त हो जाएगी कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा । चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए ।

विभागीय उत्तर:- इस सङ्क के लिए निजी भू-मालिकों द्वारा हल्फनामे (Gift Deed) की प्रक्रिया जारी है तथा लगभग 75% भू-मालिकों ने हल्फनामा (Gift Deed) दे दिया है और शेष भू-मालिकों द्वारा हल्फनामा (Gift Deed) देना बाकी है। इस सङ्क का मु० 86,86,800/- का प्राक्कलन जिलाधीश, किन्नौर को आवश्यक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए करण्डुम मण्डल कार्यालय के पत्र संख्या 12556 दिनांक 28-02-2014 द्वारा भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर व समुचित बजट का प्रावधान होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

निर्णय:- चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने पर जन जातीय विकास विभाग इस कार्य के लिए वरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराएगा। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

31 NH-22 की मुरम्मत वारे ।

32. राष्ट्रीय राजमार्ग –22 की खस्ता हालत को जल्द सुधारने वारे ।

NH-22 का सङ्क वांगतू से रिकांगपिओ तक जगह-जगह टूटा व टायरिंग पूरी तरह से जर-जर है जिससे छोटे वाहनों को चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अतः इसे शीघ्र अति शीघ्र मुरम्मत कराने की कृपा करें। नैशनल हाईवे -22 की खस्ता हालत को जल्द सुधारा जाए ताकि जनता को कोई असुविधा न हो ।

(जगदीश चन्द्र, निचार, किन्नौर)
(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा किन्नौर)
लोक निर्माण/सीमा सङ्क संगठन

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले सुधार कार्य के लिए शीघ्र आवश्यक कारगर कदम उठाए तथा धी०आर०ओ० के अधीन सङ्क के सुधार के लिए उनसे पत्राचार करें। भविष्य में धी०आर०ओ० के अधिकारियों को भी जनजातीय सलाहकार परिषद् की बैठक में घुलाया जाए ।

विभागीय उत्तर:-

सीमा सङ्क संगठन:- NH-22 की मुरम्मत का कार्य इस विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस मार्ग का किलोमीटर 336 (वांगतू) से किलोमीटर 368 (पांआरी) तक का भाग दिनांक 19 अगस्त 2014 को लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया गया है।

लोक निर्माण:- वांगतू से काकरथल तक सङ्क की हालत ठीक है। काकरथल से पदारी संधिरथन तक सङ्क दिनांक 19-8-2014 को लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय रुच्च मार्ग)

रामपुर मण्डल को BRO द्वारा हस्तांतरित की गई है। उसके पश्चात सड़क को दर्ररत करने के लिए विभागीय मजदूरों और जेऽसी०धी०१० से लगाकर मुरम्मत की गई है। काक्षश्थल से पवारी सन्धिरथल तक राड़क को पक्का करने के लिये परिवहन मन्त्रालय द्वारा 2013-14 में सड़क को पक्का करने हेतु 2226.22 लाख रुपये की खीकृति दी गई। जिसकी नियिदा आमंत्रित कर तकनीकी बोली (Technical bid) हो रही है जैसे ही यह कार्य आवंटित किया जाता है निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक राड़क को ढौड़ा करने का कार्य है वह रत्ने से लाल ढांक और शौंगटौंग से पवारी सन्धिरथल तक कई जगह पर सड़क की ढौड़ाई अभी नहीं हुई है। वित वर्ष 2014-15 के लिए काक्षश्थल से पवारी सन्धिरथल तक सड़क सुरक्षा के लिए 24 करोड़ का बजट का प्रावधान वार्षिक योजना के अन्तर्गत किया गया है जिसका प्रावक्ललन परिवहन मन्त्रालय को भेजा गया है। पवारी, पिओ कल्पा सड़क के RD 0/00 से 3/00 का भाग जो अधीक्षण अधिक्षण, 11वां वृत लोक निर्माण विभाग रामपुर के अन्तर्गत है निरन्तर यहां रही है जिसे सग्य-समय पर मुरम्मत कर मोटर योग्य किया जा रहा है।

निष्ठा:- विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त मद को तदानुसार समाप्त करने का निष्ठा लिया गया।

33 शिलती सड़क को बाहन योग्य बनाने बारे।

यहां से निर्माणाधीन (शिलती सड़क) रिकांगपियों कब्ज़े का निर्माण कार्य शीघ्र समाप्त कर इस सड़क को बाहन बनाने योग्य बनाया जाए।

(प्रीतम् सिंह नेगी, कल्पा किन्नौर)
लोक निर्माण

पिछली बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि वरसात के दौरान हुए नुकसान तथा sliding zone होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। विभाग कार्य को अगस्त 2014 तक पूर्ण करने के लिए प्रयत्नरत है।

विभागीय उत्तर:- यह सड़क एन०एच०-२२ कर्ज़॑०८००-२२ नामक रथान से एन०एच०-२२ के किमी० ३५३ से शुरू होती है जिसकी कुल लम्बाई कर्ज़॑०८०० से रिकांगपियों तक १२.६२० किमी० है जिसको इन्टरमिडीएट लेन बनाया जा रहा है। १२.६२० किमी० रिंगल लेन बन चुकी है इसमें से ८ किमी० इन्टरमिडीएट लेन भी बन चुकी है १५ से १७ जून २०१३ में भारी बारिश के कारण किमी० २/६७० से २/९०० तथा किमी० ४/७४० से ५/०५० तथा किमी० ५/८२० रो ५/९२० तक लगातार भूमि खिराकने व भारी भलवा सड़क पर आने से सड़क बुरी तरह से दृष्टिग्राता हो गई थी। किमी० २/६७० से २/९०० तक सड़क अभी भी बन्द पड़ी है क्योंकि, शौगठाग में सेना अधिकारियों द्वारा लिखित रूप से इस पर काम बन्द करने हेतु आग्रह किया गया है क्योंकि किमी० २/६७० से २/९०० के ऊपर शिलती गाँव है और नीना रानी कागांलय है सारा भलवा उनके केम्प के ऊपर जाता है जिस तक पहाड़ी वज्र खिराकना पूरी तरह बन्द नहीं हो पाता तग तक सड़क पर गार्य कर पाना बहुत गुरुशक्त है। जैसे ही पहाड़ी का खिराकना बन्द हो जाएगा सड़क को शीघ्रतिशीघ्र खोल दिया जाएगा।

निष्ठा :- विभागीय उत्तर एवं विस्तृत चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त करने का निष्ठा लिया गया।

34. मुद भावा सड़क के निर्माण बारे।

मुद भावा सड़क का निर्माण जल्द किया जाए तथा इसके निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस सड़क के बन जाने से कम से कम 90 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है जिससे रिप्टि उपगण्डल की आम जनता को काफी लाभ मिल सकता है।

(सोहन सिंह, काजा)

लोक निर्माण

पिछली बैठक में चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि यह सड़क राज्य महत्व के साथ-2 राष्ट्र महत्व की भी है। इस सड़क के बनने से inter connectivity के साथ-2 सीमा क्लेन की दूरी भी 95 किमी 0 तक कम हो जाएगी। अतः इस सड़क का निर्माण उच्च प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु यदि आवश्यकता हो तो विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाए जो इस कार्य का कार्यान्वयन(execute) कर सके।

विभागीय उत्तर:- इस सड़क का नाम अतरगू मुद भावा है। इस सड़क की कुल लम्बाई 106.330 (61.930+44.400) किमी 0 बनती है इसमें से 61.930 किमी 0 की लम्बाई काजा मण्डल व 44.400 किमी 0 की लम्बाई करच्छम मण्डल के अधीन पड़ती है। काजा मण्डल के अधीन पड़ने वाली सड़क में से किमी 0 0/0 से 33/500 तक राष्ट्र सोनर योग्य बहु है। शेष सड़क 33/500 से 61/930 तक का भाग पिन बैली नेशनल पार्क वाइल्ड लाईफ के अन्तर्गत आती है तथा यह क्षेत्र वाइल्ड लाईफ फोरेस्ट डिविजन काजा के अन्तर्गत पड़ता है जिसका निर्माण (Central Empowered Committee)- सुप्रीम कोर्ट से आज्ञा गिराने के बाद हो सकता है। काजा मण्डल के अधीन पड़ने वाली सड़क का एक०८०ी०८० केस अभियानी अभियन्ता काजा ह्वारा वाइल्ड लाईफ फोरेस्ट डिविजन काजा को गंज दिया गया है और इसे छौ०५००३०० वाइल्ड लाईफ फोरेस्ट डिविजन काजा के ह्वारा बन विभाग के उच्च कार्यालय को उनके पत्र संख्या-187 दिनांक 02-05-2014 ह्वारा आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। करच्छम मण्डल के अधीन पड़ने वाली सड़क की लम्बाई 44/400 किमी 0 सड़क पड़ती है जिसमें से किमी 0 0/0 से 0/135 वन भूमि तथा 0/135 रो 0/290 (155 भी 0) निजि भूमि 0/290 रो 7/00 तक वन भूमि एवं 7/00 से 44/400 तक भावा वाईल लाईफ सैन्ययूरी पार्क वाइल्ड लाईफ डिविजन राराहन के अन्तर्गत पड़ती है। इस सड़क में आने वाली निजि भूमि आर०८० न० 0/135 रो 0/290 तक भू-र्खामियों ह्वारा आनापति एवं पत्र प्राप्त हो चुके हैं। करच्छम मण्डल के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के रायुक्त निरीक्षण हेतु यन मण्डलाधिकारी, वन्य प्राप्ति मण्डल राराहन को वनस्पति मण्डल के कार्यालय पत्र दिनांक 12-06-2014 व रमरण पत्र दिनांक 25-06-2014 ह्वारा अनुरोध किया गया है। रायुक्त निरीक्षण के पश्चात रिपोर्ट को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जाएगा। वन भूमि हररातरण की रवीकृति आने पर सड़क यन निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

निर्णय:- चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष गहोदय ने लोक निर्माण विभाग को गामले में परीक्षण कर आगामी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के आदेश दिए। तदोपरान्त गद को समाप्त कर दिया गया।

35. सीगा सड़क संगठन के बारे।

इस बारे यह कहना है कि रिप्टि उपगण्डल गे मुख्य राष्ट्र के कार्य इस समय सीगा सड़क संगठन के माध्यम से करवाई जा रही है, लेकिन रिप्टि उपगण्डल के रामरत गांवों

के बीच से सड़क बनाई हुई है। इस सड़क को डबल लाईन करने पर स्पिति के गांवों को थोड़ी रियायत देने वारे केन्द्रीय सरकार से मुददा हिमाचल सरकार के माध्यम से उठाया जाए।

(सोहन सिंह काजा)

सीमा सड़क संगठन / लोक निर्माण

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मामला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से उठाया जाए।

विभागीय उत्तर:-

सीमा सड़क संगठन:- स्पिति उपमंडल में सड़क सुमदौ—काजा ग्राम्य को डबल लेन करने का प्रस्ताव सीमा सड़क विकास मंडल, नई दिल्ली की कार्य योजना में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इस सड़क का रखा—रखाव एवं मुरम्मत का कार्य उपलब्ध धनराशि के अन्दर पूर्ण तत्परता से किया जा रहा है। अन्य कोई मुदा यदि हिमाचल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर इस विभाग द्वारा उचित कार्यवाही हेतु विचार विमर्श किया जायेगा।

लोक निर्माण:- इस कार्यालय द्वारा इस बारे मुख्य अभियन्ता दीपक परियोजना से पत्राचार किया गया जिसके उत्तर में उन्होंने निवेदन किया है कि सड़क के डबल लाईन करने से प्रभावित गांव की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए ताकि यथासम्भव कदम उठाने का प्रयास किया जा सके।

निर्णय:- मुख्य अभियन्ता, दीपक परियोजना ने गाननीय सदस्य को आश्वासन दिया कि सीमा संगठन मामले में पुनः परीक्षण करेगा। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

36. जिला किन्नौर में सुचारू विद्युत आपूर्ति में तीव्र सुधार हेतु।

- i) 66 के 0वी० ट्रॉवर लाईन जो निर्माणाधीन है समदो तक समय सीमा के भीतर पूर्ण करना।
- ii) भौजूदा 22 के 0वी० लाईन व भिन्न-भिन्न गांवों में छोटी विद्युत लाईनों सुरक्षित जगहों पर पोल लगवा कर गुणवत्ता पूर्ण तार (counductor) लगवाना।
- iii) दोगढ़, आकपा के नजदीक व जरूरत के आधार पर समय सीमा के भीतर उपकेन्द्रों की स्थापना करना।
- iv) आधुनिक उपकरणों सहित भिन्न भिन्न स्थानों पर जरूरत के आधार पर नियन्त्रण यिन्दु स्थापित करना।
- v) जिला किन्नौर में विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजनाओं से मुख्य लाईन क्षतिग्रस्त होने पर आपदा के समय विद्युत आपूर्ति करने पर साध्य पर जुर्मानों का प्रावधान करने वारे नितिगत फैसला।
- vi) जिला किन्नौर में आजतक लगभग 33 सी मेगावाट विजली उत्पादन होता है तथा भविय में अधिक, उत्पादन की सम्भावना है। अतः जिला किन्नौर में घरेलू रवास्य, शिक्षा व अन्य सामाजिक महत्व वाले संरथान में घरण्यद्वारा तरीके से निःशुल्क विद्युत मुहेया करने वी नीति वारे।

(राम रिंद नेगी, रोपा, किन्नौर)
विद्युत

पिछली बैठक में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि लाहौल में निर्मित विद्युत प्रोजेक्ट उद्घारणतथः थिरोट परियोजना में भी कभी भी अपनी निर्धारित 4 मैगावॉट क्षमता के मुताबिक विद्युत उत्पादन नहीं किया। बैठक में अवगत किया गया कि शायद विद्युत बोर्ड को अन्य उद्यमी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वह इस परियोजना से 14-15 मैगावॉट विजली उत्पादन कर सकता है जिसका एक हिस्सा पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण के लिए रखेगा व शेष विजली घाटी में रथानीय आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध करवायेगा। प्रधान सचिव विद्युत ने सुझाव दिया कि घाटी की आवश्यकता पूर्ण होने के पछात जो विजली बचेगी व बतौर निर्माण कार्य के रूप में दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय ने विद्युत बोर्ड की कार्य प्रणाली पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की और खेद प्रकट किया कि यह कार्य कई वर्षों से अधूरे पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महादेय ने इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला किन्नौर में विजली की समस्या की चर्चा के दौरान यह अवगत करवाया गया कि यहां आपूर्ति grid के माध्यम से की जाती है तथा इसके अवरुद्ध होने पर लोगों को काफी कठिनाइओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस स्थिति में विजली आपूर्ति Stand Alone System(Isolation System) से की जानी चाहिए। प्रबंध निदेशक, हिंप्र०३० रा० विद्युत निगम लिमिटेड ने आश्वासन दिया इस माध्यम से विजली आपूर्ति एक महीने के भीतर प्रदान कर दी जाएगी।

विभागीय उत्तर:- स्थिति उपमण्डल के लिए किन्नौर से लोअर तक 22 के०वी० लाईन 66 के०वी० टावरों पर निर्माण हेतु कार्य की स्थिति निम्न है:-

1. बोखटू से अकपा लाईन:- बोखटू से अकपा तक 13.8 किलोमीटर 22 के०वी० लाईन को 66 के०वी० टावर पर बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इस लाईन को दिसम्बर, 2006 में चालू कर दिया गया है। दिनांक 16.06.2013 से 18.06.2013 भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदा के कारण इस लाईन के टातर संख्या 18 से 20 तक 3 टावर एवं लाईन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस क्षतिग्रस्त कार्य को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए दिनांक 16.12.2013 को मैरार्ज हेम पावर निर्माण गांव व डाकखाना टापरी जिला किन्नौर को 96.87 लाख रु० में आवंटित किया गया है तथा इस कार्य को पूरा करने की आवधि 4 मास प्रदान की गई है। इस क्षेत्र के कार्य केवल मई / जून में ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस समय कार्यरथल पर वर्षा पड़ी हुई है।

2. अकपा से पूह लाईन:- अकपा से पूह तक 22 के०वी० लाईन को 66 के०वी० टावरों पर बनाने के लिए सभी 110 टावरों को खाड़ा कर दिया गया है तथा 34.67 किलोमीटर लाईन में से 28.680 किलोमीटर लाईन में तारे विछाई दी गई हैं। शेष 6.00 किलोमीटर में तारे विछाने का कार्य प्रगति पर है। अकपा से र्पीली तक तागभाग 14 किमी० लाईन चालू कर दी गई है। दिनांक 16.06.2013 से 18.06.2013 भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदा के कारण इस लाईन के 14 टावर एवं लाईन, टावर संख्या 55 से 105 के बीच क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस क्षतिग्रस्त कार्य को पूर्ण करने के लिए 116.40 लाख रुपये का प्राकलन रवीकृत किया गया है तथा इस कार्य को शीघ्र ही आवंटित कर दिया जाएगा। इस क्षेत्र के कार्य केवल मई / जून में ही शुरू कर सकते हैं क्योंकि इस समय कार्यरथल पर वर्षा पड़ी हुई है।

3. पूह से काजा लाईन:- पूह से काजा तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 107.00 किलोमीटर लाईन बनना प्रस्तावित है। जिसमें से वी०८०डी०पी० तथा 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत योजनाएं रवीकृत हुई हैं जिनकी भौतिक उपलब्धियां निम्न हैं:-

(क) पूह से काजा तक (गलेशियर जोन):- इस लाईन की कुल लम्बाई 12.345 किमी० है जोकि वी०८०डी०पी० के अन्तर्गत रवीकृत है। जिसमें खाल से का तक 3.9 किलोमीटर पांह

से सिचलिंग तक 5.995 किलोमीटर तथा लिंगटी से लिदांग तक 2.45 किलोमीटर का प्रावधान है। इस लाईन के निर्माण कार्य के लिए कुल 42 टावरों में से 29 टावर खड़े कर दिए गए हैं तथा 13 टावरों को खड़ा करने का कार्य जारी है। 9.445 किलोमीटर लाईन को चालू भी कर दिया गया है। शेष लाईन का कार्य प्रगति पर है।

(ख) पूह से काजा तक (स्लाईडिंग जोन) :— इस लाईन की कुल लम्बाई 28.52 किमी 0 है जोकि 13 वें वित्त आयोग से स्वीकृत है। जिसमें पूह से खाव तक 10.47 किलोमीटर, का से चॉगो तक 13.3 किलोमीटर तथा समदो से हुरिलिंग तक 4.75 किलोमीटर का प्रावधान है। इस लाईन के निर्माण कार्य के लिए कुल 102 टावरों का प्रावधान है। इस लाईन का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पूह से समदो तथा समदो से लिदांग तक फौरेस्ट कलीरैन्स केस तैयार किया गया है तथा वन विभाग के पास प्रक्रियारत है। FCA के अन्तर्गत फौरेस्ट कलीरैन्स स्वीकृति प्राप्त होने के बाद NPV charges / Forest Charges लगभग 11.50 करोड़ रुपये वन विभाग में जमा होंगे उसके बाद ही उपरोक्त लाईनों का कार्य किया जाएगा।

(ग) पूह से काजा तक (गलेशियर एवं सलाईडिंग जोन को छोड़कर) :— गलेशियर एवं सलाईडिंग जोन को छोड़कर शेष लाईन की कुल लम्बाई लगभग 66.00 किलोमीटर है। सर्वेक्षण के अनुसार चांगो से समदो 13.00 किलोमीटर, हुरलिंग से पोह 33.00 किलोमीटर सिचलिंग से लिंगटी 8.00 किलोमीटर तथा लिदांग से काजा 12 किलोमीटर लाईन बनाना प्रस्तावित है। इस लाईन के निर्माण कार्य के लिए अभी तक जन जातीय विकास विभाग से धन भी उपलब्ध नहीं हुआ है।

4. काजा से लोसर लाईन :— काजा से लोसर तक लगभग 50 किमी 0 लाईन बनाने के लिए सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(ii) जन जातीय जिला किनौर में 13वें वित्त आयोग से वी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत 22 केमी 0 एच0टी0 लाईन, पुराना पूह 22 केमी 0 कंट्रोल प्वाईट प्याला नाला से जगीं तक, प्याला नाला गलेशियर प्वाईट से 6 पोल रस्तेकर स्पीलो तक व 22 केमी 0 फीडरों की पुनरस्थापना, खारो से अकपा व पवारी से काशंग के मध्य 22 केमी 0 लाईनों को सुरक्षित व उचित जगहों पर पोल लगवाकर गुणवत्ता पूर्ण उच्च क्षमता की तार लगवाने के निर्माण कार्य के प्राक्कलन तैयार किए जा चुके हैं तथा निविदाएं प्रक्रिया जारी हैं विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 22 केमी 0 वी0 कंट्रोल प्वाईट रिकांगपिओं में पुराने ब्रेकरों को नये आधुनिकतम ब्रेकरों के साथ बदलने का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सापनी के गांव वटूरी कडां में वचे हुए घरों के विद्युतिकरण हेतु किए जाने वाले कार्यों की निविदाएं आमत्रित की जा चुकी हैं व शीघ्र ही कार्य आवंटित कर दिया जाएगा। नाथपा से रिकांगपिओ तक के लिए शौंगटौंग कडचम परियोजना द्वारा जमा राशि से तारे बदलने का कार्य भी प्रगति पर है तथा 14 वें वित्त आयोग में भी विभिन्न गांवों के लिए प्रस्तावित विद्युत लाईनों का प्रावधान रखा गया है।

(iii) वोगटू से 220/66/22 केमी 0 राव-स्टेशन का निर्माण कार्य HPPCL द्वारा किया जा रहा है। अकपा से 66/22 केमी 0, 1x6.3 एमीए राव-स्टेशन के निर्माण हेतु हिंगाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिंग द्वारा 781.00 लाख रु0 की रकीम स्वीकृत की है। इस योजना की प्रशासनिक अनुगोदन एवं व्यय रकीकृति दिसंग्रह 2010 में प्रदान की गई है। अकपा में सब रटेशन के निर्माण हेतु गूमि अधिग्रहण कर ली गई है। निर्माण कार्य के लिए गूमि 21.10.2013 को फर्म को दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है।

(iv) 22 के0वी० के नियन्त्रण केन्द्र थांगथंग, स्पीलो, सांगला व टापरी के अतिरिक्त 22 के0वी० लाईनों की पुर्नस्थापना के निर्माण कार्यों को 14वें वित्त आयोग में प्रस्तावित किया गया है जिसे सरकार के अनुमोदन उपरान्त ही शुरू किया जाएगा।

यह सत्य है कि 4.5 मैगावाट थिरोट परियोजना में कभी भी अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट को 23.44 मिलियन यूनिट सालाना विद्युत उत्पादन के हिसाब से डिजाइन किया गया है तथा इसमें वर्ष 1995 से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। केवल वर्ष 1997-98 में अधिकतम 12.41 मिलियन यूनिट का उत्पादन हो पाया है। इसका मुख्य कारण जून 1996 में इसकी जल संचालक प्रणाली(Water Conductor System) के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होना रहा।

जल संचालन प्रणाली के बार-बार क्षतिग्रस्त होने व परियोजना की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थाई समाधान हेतु 1175.30 लाख रुपये की योजना बोर्ड द्वारा 7/2006 में स्वीकृत की गई है। जिसमें 2.50 मीटर व्यास की 1338 मीटर लम्बी सुरंग के निर्माण के अलावा ट्रैच वेयर की आवश्यक मुरम्मत का कार्य भी किया जाना है। अब नई सुरंग तैयार हो चुकी है। और 12-7-2012 से नई जल संचालक प्रणाली (Water Conductor System) सुचारू रूप से कार्य कर रही है परन्तु ट्रैच वेयर की मुरम्मत का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि घाटी में सर्दियों में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है जिसमें काम करना असम्भव होता है और सिर्फ नवम्बर व दिसम्बर माह में ही काम हो पाता है तथा गर्मियों में स्त्रोत में पानी बहुत बढ़ जाने के कारण ट्रैच वेयर की मुरम्मत का कार्य सम्भव नहीं है इसलिए अभी पानी की उपलब्धता के अनुसार पावर हाउस में प्रतिदिन विद्युत उत्पादन हो रहा है। जैसे ही ट्रैच वेयर की मुरम्मत का कार्य पूरा होगा स्त्रोत का पूरा पानी विद्युत उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा जिससे पावर हाउस में पूरी क्षमता से विजली का उत्पादन होगा।

परन्तु 33 के0वी० मनाली कारबा फीडर जो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा इस पावर हाउस से उत्पन्न विजली(स्थगनीय खपत के बाद शेष) शिल्ड में ढाली जाती है सर्दियों के भीसम में प्रायः बन्द रहता है। अतः उस समय थिरोट पावर हाउस की पूरी क्षमता का दोहन सम्भव नहीं होगा। बहुत से रखतन्त्र उर्जा उत्पादक (Independent Power Producers) जो लाहौल घाटी में अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं हिमाचल सरकार से अभ्यावेदन (Representation) कर रहे हैं कि 4.5 मैगावाट थिरोट प्रोजेक्ट को इसकी स्थापित क्षमता (Installed Capacity) पर लाने के लिए जीर्णद्वारा (Revovation) हेतु उन्हें सौंप दिया जाए। इन रखतन्त्र उर्जा उत्पादकों को प्रोजेक्ट निर्माण हेतु आवाध उर्जा उपलब्ध रहे इसके लिए वे इसकी क्षमता को भी 4.5 मैगावाट से 9 मैगावाट तक करना चाहते हैं। इस प्रताव को दिनांक 04.02.2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

इस प्रोजेक्ट की देखरेख व परिचालन (O&M) हेतु इसे आऊट सोर्स (Out Source) करने के लिए दिनांक 17.01.2014 को अलग से प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूर किया कि आरम्भिक आऊट सौर्सिंग (Out Sourcing) पांच साल के लिए ओपन टेंडर विडिंग (Open tender bidding) द्वारा की जाए।

निम्न उर्जा उत्पादन अवधि में थिरोट प्रोजैक्ट में केवल इतनी ही बिजली पैदा होती है जिससे घाटी के लोगों की जरूरत ही पूरी हो पाती है। अतः इस अवधि में स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकों को उनकी परियोजनाओं के निर्माण हेतु बिजली उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा।

जिला किन्नौर में बिजली की आपूर्ति grid के माध्यम से की जाती है। यदि grid System में खराबी आ जाती है उस स्थिति में बिजली की आपूर्ति रॉगटॉग,लिंगटी व टिटौग पादर हाऊस (Isolation System) से की जाती है।

निर्णय:- विभाग ने बैठक में आश्वासन दिया कि पूह तक का शेष कार्य अक्तूबर मास तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि अतिरिक्त मुख्य संचिव, विद्युत काजा तक बिछने वाली लाईन के लिए शेष कार्य बारे विस्तृत रिपोर्ट विभागीय नस्ति पर 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। विस्तृत चर्चा उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य की प्रगति और शेष कार्य की समीक्षा मुख्य संचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाए शेष कार्य के प्रत्येक भाग को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम सम्बन्ध समय अवधि निश्चित की जाए जिसमें विद्युत बोर्ड को यह कार्य पूरा करना होगा। अध्यक्ष महोदय ने लाईन बिछाने का कार्य (दोनों ओर पूह से काजा तथा काजा से पूह) करने के निदेश दिए ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके।

- 37 सतलुज जल विद्युत निगम (NJPC) के प्रभावित क्षेत्रों को 1.1% रायल्टी देने बारे। विद्युत नीति 2008 के पास होने के बाद जो प्रावधान प्रभावित क्षेत्र के लोगों को 1.1% रायल्टी देने का है NJPC प्रभावित क्षेत्रों में भी इसे शुरू किया जाए, क्योंकि यह नीति 2008 में आई जबकि परियोजना का उत्पादन 2004 से शुरू हुआ। इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। अतः निवेदन यह है कि 1.1% रायल्टी की विद्युत नीति इन प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र तारू करने हेतु विचार किया जाए।

(जगदीश चन्द्र, निचार, किन्नौर)

विद्युत

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया कि मामले पर उच्च न्यायालय ने रोक (स्टै) लागाई है तथा अन्य IPPs भी इस केस में शामिल हो गये हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात उचित कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय उत्तर:- विभाग नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णय:- बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि मामला अदालत में विचाराधीन है तथा GOI से स्पष्टीकरण Power Policy 2008 के अन्तर्गत प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर गस्ते को शुलडाया जाए। तदोपरान्त मद को रामाप्त कर दिया गया।

- 38 Local Area Development Policy, 2011 में परियोजना बनाने वाली कम्पनियों को छूट देने के परिणामस्वरूप जन जातीय क्षेत्रों के लोगों का जो नुकसान हुआ है, की भरपाई करने बारे।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने वर्ष 2011 में लाडा (LADA Policy) में भारी संशोधन व परिवर्तन किया। जिससे परियोजना निर्माण कम्पनियों को LADF में धन जमा किए गिना उनके द्वारा तथाकथित प्रभावित क्षेत्रों में कार्यों को समायोजित करने की छूट दी गई। जिससे LADF में पैरा जगा किए गिना कम्पनियों को करोड़ों रुपये का

की छूट दी गई, जिससे LADF में पैसा जमा किए थिना कम्पनियों को करोड़ों रुपये का फायदा मिला है जो न्याय संगत नहीं है। अतः इसे ठीक किया जाए।

(जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष विधान सभा)

विद्युत/उपायुक्त किन्नौर

पिछली बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त उपायुक्त किन्नौर को यह निर्देश दिए कि उपायुक्त किन्नौर इस विशय पर निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करवाएः—

1. Funds allocated out of affected areas in Distt. Kinnaur by power projects.
2. Funds utilised out side Distt. Kinnaur.
3. List of works executed under LADF.

विभागीय उत्तर— उपायुक्त किन्नौर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्य अभियन्ता उर्जा/विद्युत ने निम्न प्रकार से नवीनतम समेकित उत्तर दिया हैः—

1. विद्युत परियोजनाओं द्वारा कोई भी Funds जिला किन्नौर के बाहर स्वीकृत नहीं किया गया।
 2. LADF से मु0 2,00,000/- की राशि जिला किन्नौर से बाहर खर्च की गई है।
 3. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कार्य सूची से पाया गया कि मु0 2,41,57,960/- रुपये की राशि ऐसे कार्यों को स्वीकृत की गई है जो कार्य सरकार की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि नीति निर्देश दिनांक 05-10-2011 के अन्तर्गत नहीं आते हैं।
- निर्णयः— चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विद्युत विभाग को मु0 2,41,57,960/- रुपए की राशि किन-किन कार्यों के लिए खर्च की गई की विस्तृत रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर विभाग माननीय मुख्य मंत्री महोदय को विभागीय नस्ति पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

39. दूरसंचार सुविधा में सुधार की तीव्रता बारे।

मोबाईल टॉवर लगाने के नाम पर जिला किन्नौर में लगभग टेलीफोन (exchange) बन्द हैं, लैण्डलाईन फोन बन्द पड़े हैं, केवल लाईन भी पूर्ण क्षतिग्रस्त रिथ्ति में हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण व आम आदमी की सुविधा हेतु पूरे टॉवरों को सेटलाईट से जोड़ा जाए।

(राम सिंह नेगी, रोपा, किन्नौर)

सामान्य प्रशासन/दूरसंचार

पिछली बैठक में इस मद पर यह निर्णय लिया गया कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग BSNL के अधिकारियों से शीघ्र कार्यवाही करने वारे अनुरोध करें तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा दी जा रही दूरसंचार सुविधा में सुधार लाने वारे TRAI से भी मामला उठाएं।

विभागीय उत्तर

दूरसंचार— लैड लाईन दूरभाष के बंद होने का मूल कारण केवल चोरी एवं रोड कटिंग में 300एफ0सी0 का यार-यार खराब होना है। किन्नौर और स्पिति क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 44 मोबाईल टॉवर लगाए गए हैं। मोबाईल रोपा टॉवरों को सेटलाईट कनेक्टिविटी देने के लिए विभाग को सालाना सेटलाईट स्पैक्ट्रम शुल्क के तौर पर भारी राशि अदा करना पड़ती है। यदि यह व्यय ट्राईवल राव प्लान के अंतर्गत जन जातीय निधि से मुहूर्या करवाया जाए तो जन जातीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है।

निर्णयः—अध्यक्ष महोदय ने सचिव सामान्य प्रशासन को प्राईवेट कम्पनियों द्वारा लगाए गये टॉवर तथा अव्यवस्थित दूरसंचार सुविधा बारे मामला द्राय से उठाने का निर्देश दिया। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

40. B.S.N.L की मोबाइल व लैण्ड लाईन सेवा को सुचारू करने बारे।

(प्रीतम सिंह नेमी कल्पा किन्नौर)

सामान्य प्रशासन / दूरसंचार

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि BSNL जिला किन्नौर में रथापित सभी मोबाइल टावरों पर सोलर पैनल रथापित करने के लिए तुरन्त मामला उठाएं।

विभागीय उत्तरः—

दूरसंचार :— रिकांग पिओ के मध्य मिनि लिंक ने कार्य करना शुरू कर दिया है। नाकों, नामगिया, ताबो, काजा और पूह में सोलर पैनल कार्य कर रहे हैं। तादो और सगनम में सोलर पैनल लगाने का कार्य प्रगति पर है। दुर्गम जन जातीय क्षेत्रों में सभी जगह सोलर पैनल लगाने के लिए भी ट्राईबल फेंड मुहैया करवाया जाए ताकि बिजली के अभाव में भी सुचारू संचार सुविधाएं प्रदान की जा सके।

सामान्य प्रशासनः—विभाग नवीनतम रिथति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन विभाग को मोबाइल टावरों पर सोलर पैनल बारे मामला TRAI से उठाने के निर्देश दिए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

- 41 पांगी घाटी में Broad Band सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।

पांगी घाटी में दूरसंचार व्यवस्था तो है परन्तु ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे सरकारी कार्यालयों व रथानीय लोगों को इन्टरनेट से ई-मेल भेजने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि पांगी घाटी में ब्रॉड बैंड की सुविधा उपलब्ध करवानी आते आवश्यक है ताकि पांगी घाटी के कार्यालयों से सम्बन्धित ई-टेलिरिंग, ई-समाजिन, पी0 एम0 आई0 एस0 व अन्य सेवाओं से काम हो सके।

(किशन चन्द चोपड़ा, पांगी)

सामान्य प्रशासन / दूर संचार

पिछली बैठक में इस मद पर यह निर्णय लिया गया कि सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विभागीय उपरान्त मामले को appropriate authority से मामला उठाए।

विभागीय उत्तरः—

दूरसंचार :—पांगी घाटी में ब्रॉडबैंड सुविधा को सुचारू करने के लिए आर्टीकल फार्मूलर मीडिया व उचित क्षमता वाला सेटलाईट भीडिया का होना आवश्यक है। लेकिन रेलव्युर-किलाल के मध्य भूमिगत ३००एफ०री० विछाने की योजना को आंशिकारियों की एक समिति द्वारा विए पर सर्वेक्षण में तकनीकी रूप से असाध्य घोषित किया है। किलाल की तीरा से ३००एफ०री० कोवल के माध्यम के लिए तकरीबन 105 किलोमीटर ३००एफ०री० कोवल विछाने की जरूरत पड़ेगी जिसका विछाने और लोक निर्माण को सड़क के साथ काम करने की अनुगति के लिए लागत बहुत अधिक है। राज्यियों में सार्ग के बर्फ की बजह से अवरुद्ध रहने और इलाके के भूरसालना रावेदनशील होने की बजह से ३००एफ०री० का रखतरखात अत्यन्त बहुत है। दुर्गम जन जातीय क्षेत्रों के लिए सेटलाईट माध्यम से संचार करनेवाली सर्वसे सुदृढ़ माध्यम है। किलाल के लिए अतिरिक्त ४ एम०री० क्षमता वाला आई०डी० आर० भी रवीकृत है। जन जातीय क्षेत्रों में सातार

सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए आगर जन जातीय निधि से सहायता और सैटेलाईट स्पैक्ट्रम शुल्क में छूट मिले तो जन जातीय क्षेत्रों को पर्याप्त क्षमता के सैटेलाईट उपकरणों से जोड़ा जा सकता है।

सामान्य प्रशासन विभाग नवीनतम रिश्ते से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः— माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन विभाग को मामला TRAJ से उठाने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

42 जनजातीय क्षेत्र से स्थानान्तरण बारे।

जिला किन्नौर में सरकारी विभागों से पद सहित स्थानान्तरण पर रोक की आवश्यकता है जैसे कि सिंचाई एवं जन स्वारथ्य, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग व अन्य विभागों में मस्टरोल व ठंडे पर लगे कर्मचारी नियुक्त होने पर पद सहित जिला से बाहर स्थानान्तरित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप जल व विद्युत आपूर्ति पूर्णतः प्रभावित हो रही है क्योंकि विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का अभाव है। इसलिए इस विषय में नीति बनवाई जाए।

(राम सिंह नेगी, रोपा, किन्नौर)
कार्मिक

पिछली दैठक में इस विषय पर धर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिए कि यदि माननीय सदरस्य के पास ऐसी सूचना है तो वे इसे उपलब्ध करवाये ताकि सम्बंधित विभागों द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

विभागीय उत्तरः— समेकित मार्गदर्शी सिद्धान्त 2013 के पैरा 12 में Hard/Difficult/Remote/Hard क्षेत्रों के नियुक्ति बारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट प्रैटीशन सं0 1105 / 2006 में दिनांक 27-08-2007 को दिये गये निर्णय के अनुरूप प्रावधान प्रावधित किए गए हैं। पैरा 13 में जनजातीय/कठिन क्षेत्रों को रथानान्तरित अधिकारियों/ कर्मचारियों को भारमुक्त करने की प्रक्रिया दी गई है। इन सिद्धान्तों में पद सहित रथानान्तरण बारे कोई प्रावधान निहित नहीं है। सभी विभागों द्वारा रथानान्तरण आदेश जारी करते समय इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

निर्णयः— माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य से जो भी अधिकारी/ कर्मचारी पद सहित जिला से बाहर स्थानान्तरित हुए हैं उन की सूची पद सहित उन्हें उचित कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आग्रह किया है ताकि इस विषय पर परीक्षण पश्चात् उचित कार्यवाही की जाए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

43 खनन नीति बारे :-

निजि उपर्यांग के लिए रथानीय हक्कदारों को रेत वज्री रातलुजा ताट रो लोने के हक्क के ताँ हैं लेकिन याहन द्वारा ले जाने पर चालान होता है। अतः यदलारों परिवेश में रथानीय लोगों को अपने उपयोग तथा विकासात्मक कार्य के लिए दुलाई की अनुगति प्रदान की जाए।

(अगर चन्द, कल्पा, किन्नौर)
उच्चोग

पिछली दैठक में धर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने कि निजि भूमि/ सरकारी भूमि जहा पाइये-ऊल-अर्ज में हक हक्क किया हो वहाँ रथानीय लोगों के व्यवितागत आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से खनन नीति यो व्यवहारिक बनाए जाने को विभाग को निर्देश दिए।

विभागीय उत्तर :— इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायतें) संशोधित नियम, 1971 के नियम-3(11) के अन्तर्गत कोई भी प्रार्थी अपने घरेलू प्रयोग हेतु अपनी निजि भूमि/ सरकारी भूमि जिसमें वाजिब-ऊल-अर्ज में प्रार्थी के हक हकूक निहित हों से लघु अवधि परमिट दो माह की अवधि के लिए प्रदान करने का प्रावधान है तथा खनिज ले जाने हेतु प्रयोग किए गये जाने वाले वाहन का चालान नहीं किया जा सकता। वशाँ उसके पास निर्यात पत्र होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति वन भूमि से घरेलू प्रयोग हेतु खनिज निकालता है व खनिज वाहन द्वारा ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो इस स्थिति में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध खनन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है तथा वाहन इत्यादि का चालान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खनन नीति को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है तथा हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में नई हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी-2013 के नाम से लागू की है जिसमें प्रदेश की बहुमूल्य खनन सम्पदा को बनाए रखने के लिए व उसके वैज्ञानिक व सुव्यवसित दोहन के लिए तथा अवैध खनन पर नियन्त्रण करने के लिए प्रभावी प्रावधान किए गये हैं। इस नई खनन नीति-2013 की प्रमुख विशेषता यह भी है कि उक्त पॉलिसी में स्थानीय लोगों की निजि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि पत्थर व स्लेट के दोहन के लिए निजि भूमि में से खनिज को उठाने की अनुमति जो कि पहले तीन मास थी, से बढ़ाकर छः मास से तीन वर्ष तक की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त नीति में नदी-नालों के कटाव को रोकने के लिए व पानी के बहाव को सुनियोजित करने के लिए भी निजि भूमि में 1-00 हैक्टेयर क्षेत्र तक रेत निकालने का प्रावधान रखा गया है ताकि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। परन्तु माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 5-8-2013 को पारित आदेश के अनुसार नदी-नालों में रेत व खनन कार्य पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के कारण उक्त प्रावधान को अरथाई रूप से स्थगित किया गया है तथा जैसे ही इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश पारित होते हैं तो प्रदेश में स्थानीय लोगों को उक्त नीति के अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजि भूमि में से खनिज को निकालने की अनुमति प्रदान की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को असुविधा न हो।

निर्णय:- चर्चा एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

44 उद्योग विभाग के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में दिए जाने वाले अनुदान बारे।

उद्योग विभाग की ग्रामीण दरतकार योजना/ ग्रामीण औद्योगिक योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षणार्थियों/ लाभार्थियों के छात्रवृति मानदेय अनुबती अनुदान एवं अन्य संघटकों की राशि दरों में वृद्धि हेतु नीति घनाई जाए।

(अगर वन्द, कल्पा, किन्नौर)
उद्योग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग विषयगत भाग में परीक्षण करें।

विभागीय उत्तर :— ग्रामीण दरतकार योजना/ ग्रामीण औद्योगिक योजना के पुनः निर्माण हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत छात्रवृति व मानदेय की राशि घोषणे का भी प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना की Revamping हेतु प्ररताव सरकार

के अनुमोदन हेतु भेजा गया है जिस पर निर्णय उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा।

निर्णयः— चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने उद्योग विभाग को मामले में पुनः परीक्षण कर आगामी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने के आदेश दिए। तदोपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

45 पेयजल की कमी बारे।

पूह गांव में सिंचाई एवं पेयजल की कमी को देखते हुए मौसुमा ऋषि दोगरी से साईफन विधि द्वारा पानी लाने पर विचार किया जाए।

(प्रीतम चन्द्र पूह, किन्नौर)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

पिछली बैठक में प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, ने अवगत करवाया कि डी०पी० आर० बनाई जा रही है तथा मई, 2014 तक तैयार हो जाएगी।

विभागीय उत्तरः— मौसुमा ऋषि दोगरी स्त्रोत से पूह गांव सिंचाई एवं पेयजल योजना बनाने के लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा 04/07/2014 और 05/07/2014 को ग्राम पंचायत सदस्य श्री देव लोकटस, सोनम एवं सनद्धुप के साथ सर्वेक्षण किया गया था। यह स्त्रोत झुबलिंग पुल (NH-5) से लगभग 20 कि०मी० की दूरी पर जोकि समुद्रतल से लगभग 4300 मीटर ऊचाई पर स्थित है तथा इसी स्त्रोत पर आधारित ऋषि दोगरी कूहल वर्ष 1991-92 में डी०डी०पी० के अन्तर्गत निर्मित की गई थी। स्त्रोत के चारों तरफ गलेशियर पॉइंट तथा स्त्रोत के घंसने वाले क्षेत्र (Loose fragile strata) होने के कारण इस कूहल से सिंचाई नहीं हो रही है। ऋषि दोगरी स्त्रोत के तकनीकी रूप में अव्याहारिक पाये जाने के कारण पूह गांव के लिए पेयजल योजना अन्य source तीतन खण्ड के Power house की tailrace से योजना बनाने का कार्य out source किया गया है।

विभाग डी०पी०आर० बनाने की नवीनतम स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः— अध्यक्ष महोदय ने विभाग को अगस्त के प्रथम सप्ताह में साई प्रौजेक्ट के अधिकारियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का दौरा करने के निर्देश दिए तथा गद को समाप्त कर दिया गया।

46 मल निकासी बारे।

ग्राम नामझा में मल निकासी की योजना बनाई जाए।

(प्रीतम चन्द्र, पूह किन्नौर)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विभाग कार्य की feasibility हेतु परीक्षण करें।

विभागीय उत्तरः— ग्राम नामझा के लिए मल निकासी योजना बनाने के लिए पेयजल योजना का सम्बंधन कार्य भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में इस योजना द्वारा केवल 70 LPED ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि मल निकासी योजना बनाने के लिए कम से कम 120 LPED पानी की मात्रा की आवश्यकता है। इस योजना को बनाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता मण्डल पूह द्वारा 02/09/2014 को प्रधान ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया है कि वह

पैदल योजना के सम्बर्धन हेतु स्ट्रोत का अनापति प्रमाण पत्र तथा मल निकासी लाईन और संयंक्र लगाने के लिए अपनी सहमति तथा जमीन उपलब्ध करवाएं, जौकि अभी तक अपेक्षित है। विभाग द्वारा इस योजना के सर्वेक्षण तथा अनवेषण का कार्य out source किया गया है। योजना की डी०पी०आ०२० बनाने का कार्य पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र तथा सहमति और जमीन उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही बनाई जाएगी।

निर्णयः— विभाग को पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है तथा प्रावकलन भी तैयार हो चुका है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जन जातीय विकास विभाग विभाज्य राशि में इस कार्य के लिए घनराशि का प्रावधान करेगा।

47. पी० डब्ल्यू० डी० विभाग आई०पी०ए८० विभाग में ई० टैन्डर प्रक्रिया समाप्त करने वारे।

पी० डब्ल्यू० डी० विभाग एवं आई०पी०ए८० विभाग से इस जिला में ई० टैन्डर प्रक्रिया समाप्त की जाए।

(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा, किन्नौर)

लोक निर्माण / सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

पिछली बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त विश्यागत मामले में यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितिओं, technical manpower, internet connectivity तथा विजली आपूर्ति समस्या को ध्यान में रखते हुए tendering की दोनों प्रणालियों (E-tendering तथा manual) निर्धारित राशि तक लागू करेगा ताकि tendering प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाया जा सके।

विभागीय उत्तरः—

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्यः— जनजातीय क्षेत्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 26-11-2013 को जारी निर्देशानुसार 30 लाख रुपये व इससे कम दर के टैण्डर हेतु दोनों प्रणालियों अधीत E-tendering तथा Manually से इन क्षेत्रों में विकल्प के प्रावधान से कार्य किया जा रहा है।

लोक निर्माणः— हिनायल सरकार के पत्र संख्या PBW(B) F(2)3/2012 दिनांक 20-09-2014 द्वारा e-tendering व्यी प्रक्रिया 10 लाख और इससे ऊपर वाले कार्य के लिये निर्धारित बीं गई है। 10 लाख के नीचे की राशि वाले कार्य के टैण्डर manual प्रणाली द्वारा लगाये जा रहे हैं।

निर्णयः— विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मामले को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

48. टैन्डरों के फार्म छोटे करने वारे।

टैन्डरों के फार्म छोटे किए जाए ताकि C व D विभाग वाले को भी काम मिल सके।

(प्रीतम सिंह नेगी, कल्पा, किन्नौर)

लोक निर्माण / सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

पिछली बैठक में जारी उपरान्त विश्यागत मामले में पुनः परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय उत्तरः—

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य— किसी एक क्षेत्र / जिला के लिए टैन्डरों के लिए निर्धारित गापदण्डों में विवरण लाना व्यवहारिक नहीं समझा।

लोक निर्माणः— कार्य को सहाय अधिकारी द्वारा Split-up करने का प्रावधान पहले ही है द्वारा गोई भी action लेने की आवश्यकता नहीं है।

निर्णयः— विभागीय उत्तर एवं चर्चा अनुसार तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

49. LPG गैस का गोदाम भी स्पीलो में खोलने वारे ।

LPG गैस का गोदाम भी स्पीलो में खोला जाना अति आवश्यक है वयोंकि गैस सिलैंडर स्पीलो होते हुए लगभग 30-35 किमी पूर्व के गोदाम में ले जाया जाता है। जहाँ से इसे वितरण के लिए वापिस नेसंग स्पीलो कानम् लावरग नुरंग व ठंगी आदि पंचायतों को भेजा जाता है जिसके कारण उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भाड़ा चुकाना पड़ता है।

(नरेश कुमार, स्पीलो, किन्नौर)

खाद्य एवं आपूर्ति

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि जन जातीय क्षेत्रों में रियायति दरों में मिलने वाले 9 LPG cylinder की आपूर्ति जन जातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत रखते हुए जन जातीय क्षेत्र के लोगों को उनकी सुविधानुसार आगामी वर्षों के लिए मामला भारतीय तेल निगम से उठाए ताकि वे सर्दियों से पूर्व या अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में बचे cylinder जो उन्हें सर्दियों में उपलब्ध नहीं होता, को प्राप्त कर सकें।

विभागीय उत्तर— जन जातीय क्षेत्रों में रियायती दरों पर मिलने वाले 9 LPG घरेलु सिलैंडरों के स्थान पर सरकार द्वारा वित वर्ष 2014-15 के माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को भी सरकार की नीति अनुसार वर्ष 2014-15 हेतु 12 सिलैंडरों की मांगानुसार आपूर्ति की जाएगी।

निर्णयः— माननीय अध्यक्ष महोदय ने LPG गैस का गोदाम स्पीलो में खोलने वारे विभाग को पुनः परीक्षण के आदेश दिए।

50. पांगी घाटी में पैट्रोल पम्प खोलने वारे ।

पांगी घाटी में पैट्रोल पम्प का होना अति आवश्यक है क्योंकि घाटी में इस समय सरकार ने इथानीय लोगों के पास गाड़ियों की संख्या अधिक है जिस कारण छौजल व पैट्रोल भरने के लिए घाटी से तादी, मनाली, किश्तवाड़ जाना पड़ता है। इति नहोदय से अनुरोध है कि घाटी में एक पैट्रोल पम्प खोला जाए।

(किशन चन्द चौपड़ा, पांगी)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

पिछली बैठक में अध्यक्ष महोदय ने विभाग को यह निर्देश दिए कि पांगी घाटी में भी पैट्रोल पम्प काजा में इथानीय पैट्रोल पम्प के pattern पर खोलने वारे विभाग तुरन्त पर उठाए।

विभागीय उत्तर— आवारीय आयुक्त पांगी द्वारा भूमि का उद्यन कर लिया गया है परन्तु भारतीय तेल निगम के पत्र दिनांक 20-11-2013 व निर्देशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश के पत्र सख्त एफ०डी० एस० एच०(4) 7 / 93-10-247 दिनांक 6-1-2014 के अनुसार माननीय लुच्च न्यायालय हिं० प्र० में दायर याचिका सख्ता CWP 3723/2010 के निर्णय में यथा स्थिति रखने के दृष्टिगत फिलहाल मामला संग्रहीत रखा गया है।

निर्णयः— माननीय अध्यक्ष महोदय ने आवारीय आयुक्त पांगी को पांगी घाटी में पैट्रोल पम्प खोलने हेतु समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात दस्तावेज रामबन्धित विभाग को सौंपने के आदेश दिए। तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

51. पांगी किलाड़ में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी का पद सूचित करने वारे।
किलाड़ में लोक सम्पर्क विभाग का कार्यालय कार्य कर रहा है इस कार्यालय में एक कार्य देखने हेतु मात्र एक चतुर्थ श्रेणी तथा सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी जोकि लोक सम्पर्क विभाग डलहौजी से अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया है परन्तु अब उसे वापिस डलहौजी भेजा गया है और यहां पर कार्यालय बन्द हो गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि किलाड़ में एक सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी का पद सूचित किया जाना जरूरी है।

(राम चरण राणा, पांगी)

लोक सम्पर्क

पिछली बैठक में विभाग ने सूचित किया कि विषयगत मामले को पुनः वित्त विभाग से उठाया जाएगा।

विभागीय उत्तर:- पांगी उपमण्डल में सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के पद को सूचित करने का मामला विभाग ने पुनः वित्त विभाग से उनकी सहमति हेतु उठाया गया था परन्तु इस मामले पर वित्त विभाग ने आपनी असहमति व्यक्त की है।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

52. पांगी घाटी के किलाड़ में भारतीय सेना भर्ती केन्द्र खोलने वारे।

पांगी घाटी के कोई भी नौजवान भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए हैं क्योंकि यहां पर नौजवानों को भरती के बारे कोई भी सूचना नहीं मिलती है तथा भर्ती होने के लिए पालमपुर जाना पड़ता है। महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले किलाड़ में भारतीय सेना के अधिकारी नौजवानों की भर्ती के लिए आते थे परन्तु अब इसे बन्द कर दिया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में भारतीय सेना का भर्ती केन्द्र खोला जाए।

(राम चरण राणा, पांगी)

सैनिक कल्याण विभाग

पिछली बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विषयगत मामले को सेना बी परिचयभी कमाण्ड से उठाया जाए।

विभागीय उत्तर:- (A) In the present system where recruitment is carried out through open rallies the location of an ARO has no bearing on recruitment process, as rallies are conducted away from permanent location and it is ensured that each District is covered at least once, if not twice in a recruitment year.

(B) Area of Killar of Pangi Valley is adequately covered by Chamba District and Chamba District is located under the jurisdiction of Army Recruitment Office(ARO),Palampur. Candidates from these Districts are being recruited regularly. Presently, there is no difficulty in meeting the recruitment target from this area and setting up of an additional ARO is not under consideration,

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

भाग—2

जन जातीय सलाहकार परिषद् की 44वीं बैठक हेतु कार्यसूची मददें।

I CAT Plan के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के बारे।

जिला किन्नौर में CAT Plans के बजट को अन्य इलाकों में divert होने से लोगों में भारी रोष है। शोंगटोंग-कड़छम CAT Plan को मु0 20 करोड़ रुपये ECO Battalion जो कि मण्डी जिला में तैनात है को divert किया गया जबकि नियमानुसार CAT Plan एवं specific होता है और उसका पूरा बजट कैचमेट एवं इसी में ही व्यय किया जाता है।

CAT Plan के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में User Group व परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सहयोग व सहमति से योजना बनाने व अनुमोदन जिला योजना समिति से करने वारे।

क्षेत्र की आवश्यकताओं के मध्यनजर उपरी सीमा कुल बजट में से निर्धारण न करने वारे विचार विमर्श।

- (ii) किन्नौर जिला के CAT Plan की धनराशि किन्नौर जिला में ही व्यय करने तथा जिला से बाहर व्यय न करने वारे।
- (iii) पूँह खण्ड विशेषकर पूँह तहसील व हुंगरंग उप तहसील के लोगों को ₹10₹10 के बदले अनुदानित दर पर (Subsidized Rate) इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाने वारे।

जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष, विधान सभा
राम सिंह नेगी, रोपा, किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर –प्रदेश सरकार द्वारा कैट प्लान बनाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कैट प्लान में Eco Battalion के लिए विशेष व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया है। इसी के अनुरूप शोंगटोंग कड़छम कैट प्लान में 21.40 करोड़ रुपये Eco Task Force (ETF) हेतु रखे गये हैं शोंगटोंग कड़छम कैट प्लान के सन्दर्भ में यह बताना उपयुक्त होगा कि इस कैट प्लान के लिए उपलब्ध धनराशि कुल 60.40 करोड़ रुपये थी जबकि इसके कैचमेट में जो कार्य किए जा सकते थे उनका कुल खाच 39 करोड़ ही बनता था। इसलिए शेष 21.40 करोड़ रुपये को Eco Task Force के बजट हेतु व अन्य स्थानों पर Comprehensive Cat Plan को कार्यन्वयन हेतु कैट प्लान में ही प्रावधित किया गया है। इसी के अनुरूप इस 21.40 करोड़ रुपये Eco Task Force पर खाच किया जा रहा है। Eco Task Force की A कम्पनी सतलुज कैचमेट में ही कार्यरत है। कंघल B कम्पनी घास कैचमेट में कार्यरत है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जब तक ETF के लिए बजट के वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था नहीं होती तब तक इसको बजट का प्रावधान बताना की कैट प्लानों से ही किया जाना है। CAT Plan एक तकनिकी दस्तावेज होता है जो प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बनवाया जाता है तथा वन विभाग में विभिन्न स्तरों पर पहलाल के पश्चात अनुमोदित किया जाता है। इसका मुख्य

उददेश्य जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार करना होता है ताकि स्थानीय परिस्थिती को सुदृढ़ बनाकर परियोजना को न्यूनतम गाद वाला पानी सतत मिलता रहे। जल ग्रहण क्षेत्र परियोजना के बांध/Diversion Point से ऊपर का क्षेत्र होता है जहाँ परियोजना का साधरणतः कोई निर्माण कार्य नहीं होता फिर भी जल ग्रहण क्षेत्र में रहने वाली आबादी पर यदि परियोजना का कोई पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव पड़ता है तो उसके निराकरण के उपाय CAT Plan में रखे जाते हैं। कई कैट प्लान का क्षेत्र एक से अधिक जिले में भी पड़ता है। वर्तमान में कैट प्लान को जिला योजना समिति से अनुमोदित कराने से कोई सार्थक परिणाम अपेक्षित नहीं है।

(i) प्रदेश सरकार द्वारा कैट प्लान बारे जारी दिनांक 30.09.2012 के दिरानिर्देशों के अनुसार कैट प्लान का size कुल परियोजना व्यय का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत होना अनिवार्य है लेकिन अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है तथा क्षेत्र में वास्तविक रूप से जो कार्य करवाये जाने वाचित है उनका समावेश किया जा सकता है परन्तु यहाँ यह लिखना उपयुक्त होगा कि यह 2.5 प्रतिशत भी परियोजना प्रस्तावना (Project Proponents) व उर्जा विभाग द्वारा अधिक बताए जा रहे हैं क्योंकि इससे परियोजना की आर्थिक क्षमता (Economic Vialility) कर असर पड़ता है। मामला नीतिगत है एवं सरकार को निर्णय लेना है।

(ii) कैट प्लान की राशि कैटप्लान दरस्तावेज के अनुरूप ही खार्च की जाती है। कुछ कैट प्लान के उपचार क्षेत्रों में और अधिक कार्य करवाए जाने की संभावना नहीं होती। ऐसी दशा में उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि को अन्य व्यापक कार्यों पर खार्च किया जाता है। यहाँ यह लिखना भी उपयुक्त होगा कि वन विभाग द्वारा सतलुज बेसिन के लिए Comprehensive Cat Plan (CCP) बनाई गई है ताकि कैट प्लान को परियोजना विशेष (Project specific) न रखा कर बेसिन बार व्यापक टूटिकोण अपनाया जाए ताकि पूरे बेसिन में जहाँ परियोजना नहीं भी है वहाँ भी परिस्थितिक संतुलन हेतु कार्य किए जा सके। इस CCP के कार्यान्वयन हेतु धन परियोजना विशेष Cat Plans के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि को Pool करके ही प्राप्त हो सकता है CCP को किस प्रकार कार्यान्वयित किया जाए यह विषय विभाग के विचाराधीन है।

(iii) सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जारी की गई १००% नीति में लोगों को १००% के बदले अनुदानित दर (Subsidized rate) पर इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है।

निर्णय:-(i) विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार गद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(ii) बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष गहोदय ने वन विभाग को मामले में पूँँँ: जांच करने के निर्देश दिए। तदानुसार गद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(iii) विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार गद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. रिकांग पिओ के बालन लकड़ी डिपो में लकड़ी उपलब्ध न होने वारे।

रिकांगपिओ के बालन लकड़ी डिपो में लकड़ी उपलब्ध करवाई जाए।

प्रीतम रिंह, कोठी किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— बालन डिपो रिकांगपिओ में बालन लकड़ी पर्याप्त नात्रा में उपलब्ध है ।
निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

3. कोमिक गांव में लकड़ी का डिपो खोलने वारे ।

ग्राम पंचायत लांगचा के कोमिक गांव में एक लकड़ी यितरण का डिपो खोला जाए ताकि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी न हो । यह डिपो सर्दियों से पहले खोलने की कृपा करें ।

दोरजे छोपेल, काजा लाहौल स्पृति
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— यह मामला विभाग के विधाराधीन है ।

निर्णयः— इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 17 एंव 18 पर हो चुकी है ।
तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

4. Tribal Status बहाल करने वारे ।

पूह उपमण्डल के वन विभाग के अकपा, पूह व यंगथूंग फोरेस्ट रैज को जनजातीय रिष्टि (Tribal Status) बहाल करने वारे ।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— जन जातीय-11 पूह उपमण्डल के अकपा (मूरंग) पूह व मालिंग वन परिक्षेत्र पहले ही जन जातीय क्षेत्र का भाग है परन्तु इन वन परिक्षेत्रों में पौधारोपण व उनके रख सखाव के कार्यों पर जन जातीय -1 के मानक (Norms) के आधार पर बजट आवंटित किया जा रहा है जबकि इन क्षेत्रों में वर्ष 2010-11 से पहले जन जातीय-11 शुष्क क्षेत्र (Dry Zone) के मानक लागू होते थे । इन मानकों को पुनः बहाल करने हेतु मामला विधाराधीन है ।

निर्णयः—बैठक में विभाग ने सूचित किया है कि माननीय सदस्य द्वारा जैसा चाहा गया है विभाग मागले में कार्यवाही कर रहा है । तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

5. Forest Road निचार से पानवी को चौड़ा करने वारे ।

निचार पानवी पैदल पथ कई जगहों से कटा है व काफी वर्षों से मुरम्मत नहीं होने से पैदल चलना मुश्किल हो गया है इसकी तुरन्त मुरम्मत की जाए ।

जगदीश नेगी, निचार, किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर :— यह सत्य है कि निचार से पानवी पैदल पथ (Forest Path) को कई वर्षों से मुरम्मत नहीं किया गया है जिस कारण यह जब कई जगहों से कटा हुआ है तथा इसे मुरम्मत किया जाना आवश्यक है । अतः इस कार्य द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में उचित धन राशि का प्रावधान रखा जाएगा ।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

6. Forest Road निचार को पक्का करने हेतु धन मुहैया करवाने वारे ।

निचार लिंक रोड जिसे पीइंट से फोरेस्ट रैस्ट हाउस निचार करीब एक किमी० कच्चा रोड

है इसे शीघ्र पक्का करना जरूरी है इसे पक्का किया जाए।

जगदीश नेगी, निचार, किन्नौर
वन विभाग

विभागीय उत्तर वन:- निचार लिंक रोड, जिसे पॉइंट से FRH Nichar करीब एक कि0मी0 कच्चा रोड को पक्का करने व मुरम्मत हेतु इस वर्ष NJPC Cat Plan के अन्तर्गत 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

7. उरनी ढांक के नीचे से एक छोटी सुरंग के निर्माण करने वारे।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22(5) टापरी से चोलिंग तक उरनी ढांक में भूमि कटाव के कारण बाधित है। उरनी ढांक के नीचे से एक छोटी सुरंग जिसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर तक की होगी, का निर्माण करना जनहित व सीमा रक्षा बल के लिए बहुत आवश्यक है। अतः केन्द्र सरकार से इस कार्य के लिए उचित धनराशि के प्रावधान हेतु आग्रह किया जाए।

जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष विधान सभा
लोक निर्माण विभाग

विभागीय उत्तर :- राष्ट्रीय उच्च मार्ग -22 (नया रा० उ० मा०-05) जो उरनी नामक स्थान पर दिनांक 16 व 17 जून, 2014 से लगातार बन्द है, का निरीक्षण भूतल एवं परिवहन मन्त्रालय के कार्यालय एवं हिप्र० लोक निर्माण के उच्च अधिकारियों द्वारा 11 एवं 12 अक्टूबर, 2014 को किया गया। भू-स्खलन की रोकथाम तथा सड़क को खोलने के लिए सलाहकार के साथ विस्तृत विचार कर उसे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए कहा गया है और कार्य जारी है। इसी भू-स्खलन के साथ एक छोटी सुरंग निर्माण वारे भी विस्तृत चर्चा की गई जिसका निर्माण परिवहन मन्त्रालय द्वारा निर्णय के बाद अमल में लाया जाएगा।

निर्णय:- माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि इस कार्य के लिए सलाहकार (consultant) नियुक्त करें तथा इस मामले का परीक्षण करवायें तथा स्थानीय लोगों को भी इसमें भागीदार बनाया जाये और एक युक्ति संगत तरीके से पुनः निरीक्षण करवा कर मामला भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से उठाया जाये।

8. राष्ट्रीय राजमार्ग न०-५ को वांगतू से लेकर खाब तक दरुस्त करने वारे।

राष्ट्रीय राजमार्ग न०-५ को वांगतू से लेकर खाब तक दरुस्त किया जाए। खास कर करछम से लेकर खारो व आगे जंगी से लेकर खाब तक N.H No-5 की हालत बहुत ही खराब है इस सड़क पर छोटे व भारी बाहनों को चलाना बहुत ही जोखिम भरा है तथा खराब सड़क की यजह से पर्यटन पर भी इस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहां - जहां भी B.R.O द्वारा सड़क चीड़ा करने का कार्य पूर्ण किया गया है उसको शीघ्र ही पक्का किया जाए।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर
लोक निर्माण / सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :-

सीमा सड़क संगठन:- It is intimated that the road sector from Km 336.00(Wangtu) to KM 368.00(Poari) has been handed over to State

PWD on 19 Aug 2014. At present responsibility of maintenance of roads helds with state PWD. The road sector from Km 368.00 to Km 424.00 has been properly maintained. However land slides take place at certain location due to fresh formation cutting and rainfall which are being cleared on regular basis. Regular maintenance of road sector being carried out to facilitate the smooth movement of traffic. The road sector where formation works completed, surfacing works are under progress.

लोक निर्माणः— इस विषय में सूचित किया जाता है कि यह सड़क काक्षयल से पवारी सन्धिस्थान तक दिनांक 19-08-2014 को लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) रामपुर मण्डल को BRO द्वारा हस्तांतरित की गई है। उसके पश्चात् सड़क को दरुस्त करने के लिए विभागीय मजदूरों और जोरीमोरी को लगाकर मुरम्मत की गई है। काक्षयल से पवारी सन्धिस्थान तक सड़क को पक्का करने के लिये परिवहन मन्त्रालय द्वारा 2013-14 में सड़क को पक्का करने हेतु मु 0 2226.22 लाख रुपये की स्थीकृति दी गई। जिसकी निविदा आमंत्रित कर तकनीकी बोली (Technical bid) हो रही है। जैसे ही यह कार्य आवंटित किया जाता है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य है वह रली से लाल ढांक और शौगढ़ंग से पवारी सन्धिस्थान तक कई जगह पर सड़क की चौड़ाई अभी नहीं हुई है। आगामी वित वर्ष 2014-15 के लिए काक्षयल से पवारी सन्धिस्थान तक सड़क सुरक्षा के लिए 24 करोड़ का बजट का प्रावधान वार्षिक योजना के अन्तर्गत किया गया है जिसका प्राक्कलन परिवहन मन्त्रालय को भेजा गया है तथा शेष भाग पवारी सन्धिस्थान से आगे को सड़क का निर्माण व रख-रखाव BRO द्वारा किया जा रहा है।

निर्णयः— इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 31 एवं 32 पर हो चुकी है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

9. PWD के J.E का हैंडकर्फाटर निचार में करने वारे।

पौंड से J.E हैंड कर्फाटर पलिंगी जाने के कारण निचार व निचार के लिंक रोड से सम्बन्धित कार्य नहीं हो पा रहे हैं। निचार में PWD के दो J.E आफिस व ऐजिडेन्स क्वार्टरज अभी हैं। लोगों की मांग है कि J.E. निचार से ही कार्य करें।

**जगदीश नेगी, निचार किन्नौर
लोक निर्माण विभाग**

विभागीय उत्तरः— इस मद के सदर्भ में सूचित किया जाता है कि जोरीमोरी का हैंडकर्फाटर निचार कर दिया गया है।

निर्णयः— माननीय सदस्य ने अवगत करवाया कि यदि गुख्यालय स्थानान्तरित हो गया है परन्तु J.E. निचार में नहीं बैठते अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि विभाग J.E. वा निचार में बैठना तथा वहां से कार्य करना सुनिश्चित करेगा। तदानुसार मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

10. किलाड में मैकेनिकल का सब डिविजन खोलने वारे।

महोदय जी पांगी घाटी के किलाड में मैकेनिकल का सब डिविजन नहीं है तथा यहां पर एक कमिट्टी अभियन्ता है जो कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल के अधीन है। अतः

महोदय जी से निवेदन है कि पांगी घाटी के किलाड़ में मैकेनिकल का सब डिविजन खोला जाए।

किशन चौपड़ा पांगी लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :— किलाड़ में इस समय लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मैकेनिकल विंग का अनुभाग है। गण्डल के आधीन 4 जीपे, 3 टिपर, 2 जेओरीओवी, 2 डोजर, 3 रोड रोलर, 1 होट मिक्स प्लाट, 1 रसोन कशर तथा 15 एयर कम्प्रेशर हैं। उक्त मशीनों को समय-समय पर विशेष मुरम्मत के लिए चम्बा या कुल्लू में लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला या निजि कार्यशाला में काम करवाना पड़ता है। अतः अगर किलाड़ में लोक निर्माण विभाग का यात्रिक उप मण्डल खोल दिया जाता है तो इस मण्डल में कार्यरत मशीनरी के रख रखाव में आसानी होगी तथा कार्य के स्तर में भी प्रगति आयेगी।

निर्णय:—बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले का परीक्षण करके वित्त विभाग से उठाने के आदेश दिए। तदानुसार मद्द को समाप्त कर दिया गया।

11. एनोएच०-२१ सड़क की मुरम्मत व जल्द ठीक करवाने वारे।

एनोएच०-२१ सड़क की हालत ठीक नहीं है। राहनी नाला से लेकर कोकसर के बीच सड़क की हालत बहुत खराब है। कई जगह सड़के टूटी पड़ी हैं, कुछ जगहों में टारिंग की गई है और कुछ जगहों पर टारिंग का नामोनिशान तक नहीं है। कोकसर से आगे रालिंग गांव तक 93 किलोमीटर तक टारिंग वर्ष 2011-12 में हो चुकी है। उससे आगे केलांग तक टारिंग का काम नहीं हो पाया है और सड़कों के किनारे बजरी आदि ढेर लगा रखा है जिससे सड़क तंग हो गई है और कई जगह टूटी फूटी होने की वजह से आम आदमियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इन सड़कों को शीघ्र ठीक करवाया जाए।

नवांग बौद्ध लाहौल रिप्प्टि लोक निर्माण/सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :—विभाग वस्तुरिथिति से बैठक में अकगत करवाएंगे।

निर्णय:—मुख्य अधियन्ता सीमा सुरक्षा बल एवं दीपक प्रोजेक्ट ने बैठक में बताया कि उनके पास भी सीमित कार्य क्षमता के मध्यनजर सभी सड़कों में कार्य करना सम्भव नहीं होता परन्तु जहाँ-जहाँ भी वन विभाग की रवीकृति (clearance) प्राप्त है उन स्थानों पर सड़क की गुरम्मत कर दी गई है। 7 किमी की (clearance) गिली है जिस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक रामब छोगा सड़क को Trafic योग्य बनाया जाएगा। विभागीय उत्तर एवं चर्चा उपरान्त तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

12. अन्दरलाग्रा को सड़क से जोड़ने वारे।

महोदय के ध्यान में लाया जाता है कि होली से तत्तापानी अन्दरलाग्रा सड़क वर्ष 1986-87 से बंद है। जिस स्थान से सड़क का सर्वे हुआ था उस स्थान पर होली प्रोजेक्ट का कार्य चल पड़ा और उस समय विभाग ने अन्दरलाग्रा वासियों को आश्वासन दिया कि जो 350 मी० ढांक है उस स्थान पर विभाग हिंद्रो राज्य विद्युत बोर्ड पाइप को underground कर देगा। 1995-96 में हिंगाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने ढांक को छोड़कर आगे का कार्य शुरू कर दिया लेकिन 1997 में सरकार यदल गई और हिंद्रो राज्य विद्युत बोर्ड ने हमारी एक भी नहीं

सुनी और पाईप को ओपन ही डाल दिया जिस कारण गांव अन्दरलाग्रां के लोग आज तक सड़क से वंचित है। हि०प्र०० लोक निर्माण विभाग ने जो 350 मी० ओपन पाईप डाली है उसके ऊपर लैंटर डाल कर रोड बनाने वारे प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति हि० प्र० राज्य विद्युत बोर्ड से दिलाने की कृपा करें ताकि गांव अन्दरलाग्रां के लिए सड़क की सुविधा मिल सके।

शुभकरण सिंह, भरमौर चम्बा
लोक निर्माण / विद्युत

विभागीय उत्तर:-

लोक निर्माण:- यह सत्य है कि अन्दरलाग्रां सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1986-87 से बजट में सम्मिलित है। उक्त सड़क के मध्य होली-बजोल पावर प्राइवेट ने पाईप लाईन बिछाने का कार्य आरम्भ किया और राज्य विद्युत बोर्ड ने आश्वासन दिया था कि उक्त Transmit line को अन्डरग्राउंड कर दिया जाएगा। अतः इस विभाग ने उक्त को छोड़कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, परन्तु यह भाग अभी तक सड़क निर्माण से वंचित है। यद्यपि इस विभाग द्वारा उक्त भाग के 350 मीटर ओपन पाईप के ऊपर लैंटर डालकर सड़क बनाने हेतु प्राक्कलन तैयार करके इसको अग्रिम स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है। इस सड़क के निर्माण कार्य में भूमि मालिकों की निजि भूमि आ रही है जिसके लिए Gift Deed लैने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु अब तक लोगों ने अपनी निजि भूमि Gift Deeds के रूप में उपलब्ध नहीं कराई है।

विद्युत:- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन होली-जल विद्युत परियोजना का कार्य जल अन्वेषण-मण्डल भरमौर द्वारा अप्रैल 1996 में शुरू किया गया था तथा इसमें 27-11-2004 से उत्पादन शुरू हो गया था। प्रार्जेक्ट के कार्य के दौरान पाईप को अडरग्राउंड करने के आश्वासन के बारे में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास कोई लिखित जानकारी/दस्तावेज नहीं है। होली जल विद्युत परियोजना में पाईप को प्रोजेक्ट की स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार ही डाला गया है। जहाँ तक होली परियोजना के पाईप के ऊपर सड़क बनाने हेतु सलैंब डालने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि इसमें 150 मीटर खुली नहर यनी हुई है तथा शेष 200 मीटर पाईप विछी हुई है। अगर इसको भूमिगत किया जाता है और ऊपर से सड़क बनाई जाती है तो किसी भी प्रकार की खरावी आने पर इसकी मुरम्मत नहीं की जा सकती है। इसलिए यह कार्य तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है।

निर्णय:- बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सम्बन्धित सदस्य से भूमि मालिकों से Gift Deeds ले कर विभाग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। बैठक में माननीय सदस्यों ने अवगत करवाया कि Gift Deeds दे दी गई है। विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

13. त्यारी से कल्लाह वस योग्य सड़क के कार्य बारे।

महोदय के ध्यान में लाया जाता है कि त्यारी से कल्लाह वस योग्य राडक का कार्य तीन वर्षों से बन्द पड़ा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि लोक निर्माण विभाग को इसे जल्द रो जल्द बनवाने के आदेश विभाग को जारी करें। इसके अन्तार्गत कल्लाह रो गणीमहेश खच्चर योग्य राडक का भी कार्य गत वर्षों से बन्द पड़ा है इसे भी अतिरिक्त बनवाने की कृपा करें।

शुभकरण रिंह भरमौर चम्बा
लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :- इस सड़क की कुल लम्बाई 8.000 कि०मी० है जिसमें ०/० कि०मी० से ४/० कि० मी० तक बस योग्य सड़क बन चुकी है तथा कि०मी० ०/२०० पर बस योग्य पुल का निर्माण जरूरी है जिसके लिए missing bridge PMGSY के अन्तर्गत revised DPR अधिशाषी अभियन्ता भरमौर मण्डल हि०प्र० लो०नि०वि० भरमौर द्वारा बनाई जा रही है तथा स्वीकृति के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जा रहे हैं। इस सड़क के निर्माण कार्य में बन भूमि आ रही है तथा जिसका मामला तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्रतिशीघ्र यह स्वीकृति हेतु बन विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

निर्णय:- विभागीय उत्तर तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

14. विच्वम पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने वारे।

ग्राम पंचायत किल्वर में किल्वर व चिच्वम को जोड़ने वाले पुल को शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों व ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिए जाए।

**दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्थिति
लोक निर्माण**

विभागीय उत्तर :- इस पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सब स्ट्रेक्चर का कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा तथा सुपर स्ट्रेक्चर का कार्य अगले वित्त वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

निर्णय:- बैठक में निर्णय लिया गया कि चिच्वम पुल के सब स्ट्रेक्चर का कार्य पूर्ण करने हेतु जन जातीय विकास विभाग द्वारा धन राशि वरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाने का पर्याप्त करेगा। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

15. अलवास-किलाड (सॉच पास) सड़क को खोलने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने वारे।

माननीय मुख्य मन्त्री जी, पांगी घाटी में अलवास किलाड सॉच पास सड़क सर्दियों में भारी बर्फ घारी के कारण बन्द हो जाती है तथा गर्मियों में इस सड़क को खोलने के लिए कम से कम दो से तीन करोड़ धनराशि का खर्च आता है जिससे पांगी क्षेत्र के लिए आवंटित जन-जातीय उप-योजना में धनराशि कम हो जाती है। मैं महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए जो कि जन-जातीय उप-योजना से अलग हो।

**राम वरण राणा पांगी
लोक निर्माण**

विभागीय उत्तर :- अलवास किलाड सॉच पास सड़क की लम्बाई 67 किलोमीटर है तथा सर्दियों के मौसम में यह सड़क भारी बर्फबारी के कारण बन्द हो जाती है। इस सड़क पर लगभग 1 मीटर से 20 मीटर तक बर्फ को काट कर यातायात के लिए बहाल करना पड़ता है। सड़क से बर्फ को हटाने के लिए लगभग 2 करोड़ राशि का खर्च आता है जो कि जन जातीय उपयोजना में आवंटित धनराशि से नहीं होता है। अतः उक्त कार्य के लिए हर वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपये का प्रावधान मुरम्मत के लिए आवश्यक है।

निर्णय:- चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि विभाग इस कार्य के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। तदानुसार गद्द को समाप्त कर दिया गया।

16. समदो ग्राम्फू रोड़ को समय पर खोलने बारे।

सरकार से अनुरोध है कि समदो ग्राम्फू जो कि BRO के अधीन है उसे समय पर खोला जाए क्योंकि रोहतांग दर्रा मई माह में यातायात के लिए BRO द्वारा खोल दिया जाता है जबकि समदो ग्राम्फू सड़क को इस वर्ष जुलाई के अन्त में खोला गया। यह सड़क स्थिति वैली के लोगों की जीवन रेखा तो है ही परन्तु सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

सोहन सिंह, काजा, लाहौल स्थिति
सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर:- Efforts will be made to open the road at the earliest during next year. At present extensive maintenance work has been carried out on the road and road is in good condition.

निर्णय:- इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 35 पर हो चुकी है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

17. लियो Bye pass खोलने बारे।

चौंगो—लियो Bye pass को शीघ्र अति शीघ्र खुलवाने की कृपा करें ताकि स्थिति के लोगों को सफर कम तय करना पड़े जिससे समय व धन की भी बचत होगी। अतः महोदय इसको खुलवाने का प्रयत्न करें।

दोर्जे छोथेल, काजा लाहौल स्थिति
लोक निर्माण/सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :-

लोक निर्माण:- लियो By pass सड़क का कार्य सन 2005-06 में शुरू किया गया था। प्रारंभिक सर्वे के अनुसार इस सड़क की कुल लम्बाई 10/070 किमी0 थी। इस सड़क को बनाने के लिए 1981.73 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस सड़क का कार्य 8.200 किमी0 तक पूर्ण कर लिया गया है भगवर विस्तृत सर्वे का कार्य निष्पादन के दौरान में इस सड़क की कुल लम्बाई 11/500 किमी0 पाई गई तथा इसको बनाने के लिए 2170 लाख रुपये की राशि खर्च कर ली गई है। बजट का प्रावधान न होने के कारण इस सड़क का दोबारा 3194.10 लाख रुपये का प्रावक्तव्य बनाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय काजा को पुनः (Revised A/A& E/S) रवीकृति के लिए भेजा गया था लेकिन इस सड़क में पैसे का प्रावधान न होने के कारण इस सड़क का प्रावक्तव्य अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय काजा द्वारा अधिशासी अभियन्ता काजा मण्डल को वापिस भेज दिया गया है। अब इस सड़क के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए नावांड के तहत 300पी0आर० तैयार की जा रही है।

सीमा सड़क संगठन विभाग वस्तुरिधति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णय:- चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि मामले का पुनः परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें विभाग ने अवगत करवाया कि

नाबाड़ के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु Tender प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ कर दी जाएगी। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

18. कहडू नाला—किलाड़—संसारी सड़क का सुधार व कार्य ग्रैफ द्वारा शुरू करवाने वारे। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहडू नाला से संसारी तक सड़क ग्रैफ अथोरिटी के अधीन है जिस पर अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं है और न ही सड़क का सुधार हुआ है जो निम्न प्रकार से है:—
 - (क) छोउ ढांक के पास ऊंचाई कम होने के कारण बड़ी गाड़ियाँ (एल०पी०) पुर्झी से किलाड़ नहीं आती हैं। गत वर्ष ग्रैफ द्वारा इस ढांक को काटने का प्रयास किया था परन्तु उसके बाद इस ढांक को नहीं काटा गया है। अतः छोउ ढांक को दुबारा से काटा जाये ताकि बड़ी गाड़ियाँ किलाड़ पहुंच सकें।
 - (ख) चौरी बंगले के पास सॉन्च जगह पर बने पुल की हालत ठीक नहीं है जो कि जगह—जगह से टूट गया है तथा गत वर्ष भी इस पुल पर गाड़ियाँ नहीं चल सकी थीं। अतः इस पुल की मुरम्मत या नया पुल बनाया जाये।
 - (ग) किलाड़ में ग्रैफ का कैम्प/डैट खोला जाये जिसमें मरीने व तेल भण्डारण रखा जाये ताकि सर्दियों में किलाड़ से संसारी नाला सड़क पर बर्फ डाटाने का कार्य सुचारू रूप से चल सके।
 - (घ) केहडू नाला—किलाड़—संसारी सड़क पर जगह—जगह पर गढ़दे व सड़क उबड़ खाबड़ होने के कारण गाड़ियाँ चलाना मुश्किल है। अतः इस का सुधार किया जाए। अतः माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस बारे में ग्रैफ अथोरिटी को उचित दिशा—निर्देश दें ताकि सड़क का सुधार व कार्य शुरू किया जा सके।

राम चरण, राणा पांगी
सीमा सड़क संगठन

विभागीय उत्तर :— Under the said road stretch, improvement work between Km 86.00 and Km 96.00 already in progress and in balance stretch of the road, maintenance work in all respect are being carried out and all the point raised under this para are being addressed on priority during the maintenance of the road. Functioning of a dett. Is already, in operation at Killar and operation of another dett. In that area is not felt necessary.

निर्णय:— विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि BRO जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली राड़क जो हिमाचल के हिस्से में आती है, कि Alignment व strengthening को प्राथमिकता पर ठीक करेगा तथा किलाड़ तक Single lane पर metaling करने का भरपूर प्रयत्न करेगा।

19. अनुरूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू करने वारे। अनुरूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है पर यह धीमी गति से किया जा रहा है इसे

शीघ्रतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। अर्थात् अभी तक इस अधिनियम के प्रावधानों का किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा है।

नवांग बौद्ध लाहौल स्पिति
जनजातीय / पंचायती राज

विभागीय उत्तर:-

जन जातीय विकास:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 समर्त प्रदेश में लागू कर दिया गया है। जिसके लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति (SLMC) जिला स्तरीय समितियों (DLCs) उप स्तरीय समितियों (SDLCs) का गठन कर लिया गया है।

पंचायती राज:- जनजातीय क्षेत्रों के 465 राजस्व गांवों में से 413 (89 प्रतिशत) गांवों में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों (FRCs at village level) का गठन किया जा चुका है। परियोजना क्षेत्र-वार व्यौरा निम्न प्रकार रहे हैं:-

परियोजना क्षेत्र	राजस्व गांवों की संख्या	राजस्व गांवों की संख्या जहाँ वन अधिकार समितियों का गठन कर लिया गया है।
किन्नौर	139	104
लाहौल	100	100
स्पिति	77	77
पाली	53	53
भरगीर	96	79
कुल योग	465	413

ग्राम स्तर पर शेष वनाधिकार समितियों के गठन व बैठक वारे पंचायती राज विभाग वस्तुतः इसे दैटक में आवगत करवाएगा।

निर्णय:- यद्यपि उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

20. जिला किन्नौर में कृषि विभाग द्वारा पॉली हॉउस न लगवाने वारे।

जिला किन्नौर में कृषि विभाग द्वारा पिछले वर्ष से पॉली हॉउस नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके लिया जाए।

प्रीतम सिंह कोठी किन्नौर कृषि विभाग

विभागीय उत्तर :- कृषि विभाग द्वारा डॉ० वाई० एस० परमार किसान स्वराजगार योजना (पॉली हॉउरा) वर्ष 2014-15 से आरम्भ ची गई है। अब तक 27 आवेदन पॉली हॉउरा निर्माण हुए प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 12 किसानों को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर गें प्रशिक्षण दे दिया गया है तथा शेष किसानों को जून 2015 में वागवानी विश्वविद्यालय नौणी, जिला रोलन में प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आवेदकों को पॉली हॉउस निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा सेवा प्रदाताओं के साथ agreement हो चुका है। वर्ष 2015-16 में 30 पॉली हॉउस 690 वर्गमीटर क्षेत्र पर स्थापित करने के लिए 12.88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अब तक जिला किन्नौर में पॉली हॉउरा निर्माण हेतु कुल

37.28 लाख रूपये का बजट आवंटित किया गया है। मौसम की अनुकूलता के अनुरूप कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा जो कि 2-3 मास में पूर्ण हो जाएगा।

निर्णयः—विस्तृत चर्चा एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

21. लाहौल स्पिति में पौली हाउस का वर्गमीटर बढ़ाने बारे।

कृषि विभाग द्वारा जिला लाहौल स्पिति में पौली हाउस का जो निर्माण किया जाता है वह काफी छोटा है। इस को करीब सौ वर्ग मीटर तक बढ़ाया जाए और सीनीय किसानों के परामर्श से विशेष आकार तैयार किया जाए।

नवांग बौद्ध लाहौल स्पिति
कृषि विभाग

विभागीय उत्तर :—कृषि विभाग द्वारा जिला लाहौल स्पिति में 40 वर्गमीटर आकार के पौली हॉउसों का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में 100 वर्गमीटर तक के पौली हॉउसों का निर्माण भी किया जा सकता है यदि किसान इसके लिए आवेदन करे। अब तक 6 वर्गमीटर की पौली टनल के लिए 251.40 वर्गमीटर के पौली हॉउस के लिए 291 तथा 100 वर्गमीटर के लिए केवल 1 ही आवेदन प्राप्त हुआ है। 30 पौली हॉउस निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 10 पौली हॉउसों का निर्माण 400 वर्गमीटर के क्षेत्र पर पूरा हो चुका है। किसानों की मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 2014-15 के लिए 66.35 लाख रूपये बजट आवंटित किया गया है तथा वर्ष 2015-16 के लिए 50 पौली हॉउस 1320 वर्ग मीटर क्षेत्र में रखापित करने के लिए 25.45 लाख रूपये का बजट प्राप्तिकारण किया गया है। भौराम की अनुकूलता के अनुरूप कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा।

निर्णयः— बैठक में चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

22. किसानों एवं बागवानों को दी जाने वाली दवाईयों की किस्मों बारे।

बागवानी व कृषि विभाग द्वारा किसानों बागवानों को आवंटित की जा रही दवाईयां मानकों के अनुरूप नहीं हैं। अतः अच्छी किरम की दवाईयां किसानों व बागवानों को दी जाएं। बर्तनान में इन विभागों द्वारा निम्न गुणवत्ता की दवाईयां किसानों और बागवानों को दी जा रही हैं। यह मामला कई बार पहले भी उठाया गया है कि जब बाजार में अच्छी गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध हैं तो निम्न गुणवत्ता वाली दवाईयां क्यों वितरित की जा रही हैं।

जगत सिंह नेगी उपाध्यक्ष विधान सभा
उद्यान विभाग / कृषि विभाग

विभागीय उत्तर :—

उद्यानः— बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा कलों में लगने वाली घिमारियों व कीटों की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार की पौधा रोकथान दवाईयां प्रदेश के बागवानों को 50 प्रतिशत (स्थिर) अनुदान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग द्वारा बागवानों को उही दवाईयां दी जाती हैं जो केन्द्रीय कीटनाशक अधिनियम, 1968 के गानकों के अनुरूप विभिन्न कीट व व्याधियों की रोकथाम हेतु अनुमोदित हैं और विभाग व बागवानी विश्वविद्यालय सोलन द्वारा राष्ट्रकृत रूप से तैयार की गई धार्षिक छिड़काव सारणी में रुकाई गई है। विभाग द्वारा इन दवाईयों को सारीदर्ने से पहले इनकी गुणवत्ता की पूर्ण जांच भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से करवाई जाती है तथा वही दवाईयां बागवानों गे वितरित की जाती हैं जिनकी गुणवत्ता सही पाई जाती

है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रशिद्ध फर्मों से कथ करके बागवानों में वितरित की जा रही कुछ दवाईयों की सूची निम्नलिखित हैः—

क्र०स०	फर्म का नाम	दवाई का नाम
1.	बायर कॉप साईरिस	एन्ट्रोकाल, एलान्टा
2.	इन्डोफिल इण्डस्ट्रीज लि०	इन्डोफिल एम-45, इन्डोफिल जैड-78, यूरोफिल
3.	सिन्जेन्टा इंडिया लि०	स्कोर, क्यूकान-एल
4.	कोहिनूर इंडिया लि०	सिलेट, मैजस्टिक
5.	रेलिज इंडिया लि०	कैपटीफ, कर्सोफ
6.	बयोरेटैड इंडिया लि०	रोको, मेडन
7.	यूनाइटेड फॉर्मोररा लि०	यूथेन एम-45
8.	एफ०एम०री० लि०	डरमेट
9.	कोरोमण्डल इन्टरनैशनल लि०	साईथियोन
10	एक्सल कॉष कंयर लि०	गलाइरेल

कृषि:-— कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय द्वारा टैरट किए हुए व कृषि उद्योग निगम द्वारा जारी की गई दर संविदाओं (Rate Contract) के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषकों की मांग अनुसार ही पौध संरक्षण दवाईयां उपलब्ध करवाता है। विभाग इनकी खारीद से कूर्च इनके predespatch रैपल लेकर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जांच प्रयोगशालाओं तथा विभाग की राज्य रत्तरीय पेरटीसाइड टेरिटिंग प्रयोगशाला से भी जांच सुनिश्चित करवाता है। जो सैपल सभी मालकों पर सही पाए जाते हैं उसी batch की दवाईयां कथ करके कृषकों की मांग अनुसार विभिन्न जिलों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। विभाग केवल generic दवाईयां ही उपलब्ध करवाता है जो गुणवत्ता में branded दवाईयों के ब्लाबर होती है।

निर्णय:-— बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने विभाग को समय सीमा के भीतर पौध संरक्षण दवाईयों की आपुर्ति के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

23 जन जातीय क्षेत्र भरमौर में कोल्ड स्टोर का निर्माण बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर की लगातार 70% लोग सेव के कारोबार से जुड़े हैं और अधिकतर भाग में रोब की ऐदावार हो रही है। जाव कराल तैयार हो जाती है तो यागवानों को राष्ट्र के अनुसार हेंडेंटों को या मण्डियों में न चाह बर मी गाल थेचना चढ़ता है और भरमौर की 29 पन्नायती में कहीं पर एक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो जाए तो यागवान सेव के रेटोंज करके रामायानुसार मण्डियों में उचिक दाम पर वेच सकता है जिससे और याकी रहती लोग भी इस घटकाय से जुड़ कर अपनी अजीविका रुदृढ बर राखती हैं।

भजन ठाकुर, भरमौर चाचा
उद्धान विभाग

विभागीय उत्तर :-— एच०र्धी०एम०री० द्वारा वर्ल्ड वैक परियोजना के अन्तर्गत जिला चाचा के रोपां। एवं भरमौर नामक रथानों पर 1500 टन क्षमता प्रति इकाई के दो री००० रस्टोर एवं एक हाउसों का निर्माण प्ररतःित है।

निर्णय:-— चर्चा उपरान्त तदानुसार मद को रागाप्त कर दिया गया।

24. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 90 दिन Muster-roll पर श्रमिकों को लगाने बारे।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 90 दिन Muster-roll पर लगे श्रमिकों को Muster-roll के आधार पर ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए।

राम सिंह नेगी, रोपा किन्नौर

सिंचाई स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर :— इस क्षेत्र में बर्फबारी होने के कारण छः महीने ही काम होता है तथा कार्य पूर्ण होने पर व बर्फबारी होने पर इन श्रमिकों को काम से हटा दिया जाता है। पूह उपमण्डल में ऐसे 16 श्रमिक हैं जिनको कार्य अवधी (Working Season) में काम पर लगाया जाता है तथा बर्फबारी होने पर या कार्य बंद होने पर हटा दिया जाता है। काजा मण्डल के अन्तर्गत 235 श्रमिक हैं जिन्हें (Working Season) के दौरान कार्य पर लगाया जाता है तथा बाद में बर्फबारी होने के कारण इन्हें हटा दिया जाता है।

निर्णयः— अध्यक्ष महोदय ने विभाग द्वारा इस विषय का परीक्षण पश्चात उन्हें मामला विभागीय नस्ति पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

25. भरमौर में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य का मण्डल कार्यालय खोलने बारे।

भरमौर जन जातीय क्षेत्र आई0पी0एच0 मण्डल चम्बा के अन्तर्गत आता है। चम्बा नण्डल चम्बा क्षेत्र इतना बड़ा है, जिसकी एक सीमा चुराह क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर राज्य को छूती है तो दूसरी भटियात क्षेत्र की ओर कांगड़ा जिला को वही भरमौर के कुगती की ओर लाहौल जिला को छूती है। चम्बा मण्डल का बड़ा आकार होने की वजह से भरमौर जन जातीय क्षेत्र में न तो सिंचाई रखीमों की व्यवस्था हो पाई है और न ही दूर-दराज में पानी की रखीमें ठीक से चल पा रही हैं तथा जो विकास विभाग द्वारा किया जाना था क्षेत्र की गौणोत्तिक परिस्थिति से पूर्ण रूप से कियान्वित नहीं हो सकता है। अतः भरमौर क्षेत्र में अधिशारी अभियन्ता आई0पी0एच0 का कार्यालय खोला जाना अनिवार्य है।

ताकि क्षेत्र के लोगों को विभाग की मूल-भूत सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल सके।

मजन ठाकुर, भरमौर चम्बा

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर — भरमौर में सिंचाई सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल के सूचना द्वारा प्रसारित सरकार द्वारा दिनांक 23-07-2014 को अस्तीकरण कर दिया गया है।

निर्णयः— चर्चा उपरान्त तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

26. पूह गांव में सिंचाई एवं पेयजल की कगी को देखते हुए गौसुमा ऋषि दोगरी नामक रक्षान रो साईफन विधि द्वारा पानी लाने बारे।

पूह गांव में सिंचाई एवं पेयजल की कगी या देखते हुए गौसुमा ऋषि दोगरी नामक रक्षान रो साईफन विधि द्वारा पानी लाने के लिए पहले घैडक में सर्वे का हुक्म हुआ। अब विभाग उत्तर ग्रामीण दोनों का निरीक्षण हो चुका है कार्य तो गति देने की कृपा करें।

प्रीतग चन्द नेगी पूह किन्नौर

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर — मौरमा ऋषि दोगरी रक्षान रो पूह गांव सिंचाई पेयजल योजना बनाने के

लिए अधिशासी अभियन्ता द्वारा 04/07/2014 और 05/07/2014 को ग्राम पंचायत सदस्य सर्व श्री देव लोकटस सोनम एवं सनद्दुप के साथ सर्वेक्षण किया गया था। यह स्त्रोत बुबलिंग पुल (NH-5) के बीस 20कि० मी० दूरी जोकि समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तथा इसी स्त्रोत पर आधारित ऋषि दोगरी बूद्धल 1991-92 में डी०डी०पी० के अन्तर्गत निर्मित की गई थी। स्त्रोत के चारों तरफ गलेशियर पाईंट तथा स्त्रोत के धरने वाले धोन्ह (Loose fragile Strata) होने के कारण सिंचाई नहीं हो सकती है। ऋषि दोगरी स्त्रोत तकनीकि रूप से अव्याहारिक पाये जाने के कारण पूह गांव के लिए पैदल योजना अथवा Source तीतन खड्ड Power house की tailrace से योजना बनाने का कार्य out Source किया गया है। इसकी डी०पी०आर० 31 जनवरी 2015 तक बना दी जाएगी। पूह गांव को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य अभियन्ता (शिमला होने) को युनिवर्सिटी राम्भावनाएँ तलाशने के निर्देश दिनांक 4 अक्टूबर, 2014 को जारी कर दिये गये हैं। पूह गांव को पैदल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टिकु नाले से पानी उठाने के लिए स्थानीय निवारी एवं ग्राम पंचायत पूह से अनापरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं जैसे ही प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा आगामी कार्यवाही अवसर में लाई जाएगी।

निर्णयः— इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 45 पर हो चुकी है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया

27. सतलुज का जल स्तर घटने पर नदी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ने वारे।

पूह सप्तमल में रीती से तर्फ 2000 व 2005 में रातलुज नदी में आई बाढ़ व वर्ष 2010 में स्पिति के विभिन्न नालों में बातल फैलने के कारण आई बाढ़ व वर्ष 2013 के जून माह में आई भारी बारिश एवं बर्फबारी के कारण रातलुज में अत्यधिक गाद भरने के कारण रातलुज नदी का जल स्तर लगभग 4-5 मीटर उठ गया है जिसके कारण रातलुज नदी का बहाव स्पीतो की तरफ हो गया है तथा करला नाले से आगे भूमि कटाव हो रहा है जिसके कारण स्पीतो ग्राम पोटा भौहलला ये खतरा हो गया है तथा आउंग रीती से लेकर ऐक कैम्प व रुमरा एरिया तक भारी भूमि कटाव होने के कारण रोक बादाय खुमानी व अन्य फल पीढ़ी तथा खेत हो गई है। अगर इसी प्रकार भूमि कटाव में जल स्तर बढ़ता रहा तो यहां के रिहाईसी मकानों को भी खतरा हो राकता है। अतः यही बात जो से विवेदन किया जाता है कि रातलुज का जल स्तर घटने पर नदी का बहाव दूसरी तरफ भोजा जाये व इसमें भर रहे यजूरी को भी निकाला जाए ताकि नदी का रहर नी भिन्न किया जा सके। करला नाले व रुमरा तक तटितरण का कार्य करनेवाला आर० री०पी० में किया जाये ताकि भूमि कटाव को रोका जा सक तथा भविष्य में होने वाले भारी गुफराने को भी रोका जा सके।

**नरेश कुगार नेता, स्पीतो किंवौर
सिंचाई एवं जल रवारथ्य विभाग**

विभागीय उत्तर :— करला नाले के रुद्धना तक नदी की ऊंचाई लगभग 1.50 मीलीमीटर है। यदि इसी नदी के बिनारे ही Dumping किया जाए तो तेज़ बहाव के कारण यह कट कर दूसरी जगह बैठ जाएगा और वहां पर जल स्तर बढ़ने का खतरा हो सकता है। जिसी रेत और यजूरी भारी हीमों के कारण रातलुज नदी का बैल लैपल उठने के कारण सतलुज का जल रतर उपर होने के कारण भूमि कटाव हो रहा है। यहां तक रातलुज रो रेत व यजूरी को निकालने का प्रयत्न है, इसकी अनुमति खाना विभाग द्वारा की जानी है। तटीयकरण के बारे में निर्णय बैठ संघरण नीते ही जाने के लप्पता ही लिया जा सकता है।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग को मामला उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से उठाने तथा समस्या का निदान करने के निर्देश दिये। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

28. पूह गांव में डीजल एवं पैट्रोल पम्प खोलने वारे।

जिला किन्नौर में रिकांगपिओ से काजा तक लगभग 230KM के ढीच कोई भी डीजल एवं पैट्रोल पम्प न होने के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। अतः पूह गांव के N.H. पर पैट्रोल एवं डीजल पम्प अतिशीघ्र खोला जाए।

प्रीतम चन्द नेगी पूह किन्नौर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय उत्तर :— इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि पूह जिला किन्नौर में डीजल एवं पैट्रोल पम्प खोलने वारे मामला भारतीय रोल निगम से उठाया गया था जिस बारे उनके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का आवेदन प्रक्रिया में है एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित जमीन का मुआइना कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूह विकास खण्ड के स्पीलो एन०एच० 22 जिला किन्नौर में भी पैट्रोल पम्प खोलने हेतु माह जुलाई 2014 में विज्ञापन जारी किए गए थे, परन्तु प्राप्त आवेदन अयोग्य (ineligible) पाये गये हैं।

निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

29. LPG गैस का स्वीकृत कोटा पूरा सप्लाई करने वारे।

LPG गैस घिछते काफी दिनों से रेगुलर नहीं है। गोदाम खाली है। किसी भी गांव में पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। जितना LPG का पूह डिपो में स्वीकृत कोटा है उतना नहीं आ रहा है। इस बजह से किसी भी गांव को गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है।

प्रीतम चन्द नेगी पूह किन्नौर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागीय उत्तर :— पूह क्षेत्र में गैस रिफिल की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई है। कभी-कभी स्ट्रोत से गैस आपूर्ति वाधित होने तथा जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण राष्ट्रीय संस्कर्क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे गैरा रिफिल की आपूर्ति वाधित हो जाती है। परन्तु रिप्टि सामान्य होने पर गैस की आपूर्ति उपभावताओं को सुनिश्चित कर दी जाती है।

निर्णयः—बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूह डिपो में LPG गैस की आपूर्ति स्वीकृत कोटा के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तदानुरार गद को सामाप्त करने का निर्णय लिया गया।

30. जन जातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पुरानी पद्धति पर राशन उपलब्ध करवाया जाये।

जन जातीय क्षेत्रों में विशेषकर गरमांर, पांगी में वर्ष भर में एक फसल की पैदावार वर्ती जाती है। प्रति हैक्टर पैदावार भी इतनी कम होती है कि गरीबों का गुजारा मुश्किल रो होता है। शिवाई की व्यवस्था न होने की वजह से भी कुदरत पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर रामय पर वर्षी न हो तो अवगत जैसी रिप्टि पैदा हो जाती है। इन सब वर्षों को मध्यनजार रखते हुए

जन-जातीय क्षेत्रों में राशन की पुरानी पद्धति बहाल की जाये इसमें दालों इत्यादि में कटौती करके आटा व घावल पूर्ण मात्रा में दिये जायें अन्यथा गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो जायेगा।

भजन ठाकुर, भरमौर चम्बा
खाद्य एवं आपूर्ति

विभागीय उत्तर :- जन जातीय क्षेत्रों में गैर जन-जातीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में जन जातीय क्षेत्रों के ४०पी०एल० उपभोक्ताओं को भी पहले की भाँति ३५ किंग्रा० राशन माह सितम्बर, २०१४ से उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है जबकि ६०पी०एल० उपभोक्ताओं को भी ३५ किंग्रा० खाद्यान माह दिसम्बर, २०१३ से निलंबने आरम्भ हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्तींदय व अन्य पात्र प्राथमिक गृहरिथयों को एन०एफ०एस०ए०(NFSA) के प्रावधानानुसार ही सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

31. जन जातीय क्षेत्र भरमौर में स्कूलों के लिए कोयले के प्रबन्ध बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर में सरकार द्वारा स्कूलों में कोयले का वितरण बन्द कर दिया है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके लेकिन सरकार से अनुरोध है कि जन जातीय क्षेत्र भरमौर में सार्दी के दौरान विजली की आपूर्ति याधित रहती है जिस कारण विजली वाले हीटर से प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को यह सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में सरकार ने LPG हीटर खरीदने के लिए दिशा निर्दश दिए हैं लेकिन रीमिट बजट हीमें के कारण रकूलों में इतने ज्यादा LPG हीटर प्रदान नहीं किए जा सकते। अतः सरकार से अनुरोध है कि जन जातीय क्षेत्र भरमौर के लिए सार्दी के दौरान कोयले की खारीद को लिए अनुमति प्रदान करें ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

भजन ठाकुर, भरमौर चम्बा
जनजातीय विकास / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :-

प्रारम्भिक शिक्षा:- Hot and cold weather charges पर व्यय हेतु जन जातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ITDP योजना के अन्तर्गत बजट का आवधन किया जाता है। सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी आवश्यकता अनुसार यस्तुओं का कथ सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार करते हैं। यालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में चम्बा जिले के भरमौर क्षेत्र को जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मु० १२०० लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसमें से मु० ५०० लाख रुपये प्रारम्भिक तात्त्व मु० ७०० लाख रुपये माध्यमिक पाठशालाओं के लिए आवंटित है। पाठशालाओं के लिए कायला कथ के मामले का निपटारा सम्बन्धित जिला के उपायुक्त/आयासीय आयुक्त द्वारा किया जाता है।

जनजातीय विकास :- सर्वप्रथम शिक्षा विभाग माननीय राजस्व के सुझाव पर उचित निर्णय ले। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से इस कार्य के लिए अतिरिक्त धन राशि जो कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। मार्ग संख्या ३१ की अन्तार्गत एस०एस०ए०/आर०एम०एस०ए० में काफी धन राशि उपलब्ध है। अतः शिक्षा विभाग एस०एस०ए०/आर०एम०एस०ए० की अन्तार्गत इस कार्य के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि इस गद में प्रयोग करें।

निर्णय:- विभागीय उत्तर एवं चर्चानुसार गद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

32. संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर में जन जातीय छात्रावास, में बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने वारे।

संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर में जन जातीय छात्रावास का निर्माण हुआ है। इसमें जन जातीय बच्चे ठहर रहे हैं। उनके लिए एक चारपाई, टेबल व अलमारी का प्रावधान किया जाए जिसकी अनुमानित लागत लगभग दस लाख रुपये बनती है, उपलब्ध करवाने वारे।

प्रीतम सिंह कोठी किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :- संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरनगर ने दूरभाष द्वारा सूचित किया है कि फर्नीचर काकरी छात्रावास में माह अक्टूबर, 2014 में उपलब्ध करवा दी गई है।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

33. नवोदय विद्यालय लरी के भवन को शीघ्र पूर्ण करने वारे।

नवोदय विद्यालय के नए भवन जो लरी में बन रहा है को शीघ्र पूर्ण करवाने की कृपा करें ताकि घटी के बच्चे एक सुरक्षित व सुसज्जित भवन में शिक्षा ग्रहण कर सकें इसके लिए ठेकेदार को सख्त दिशा निर्देश दिए जाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति
उच्च शिक्षा / लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :-

उच्च शिक्षा:- इस सम्बन्ध में उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा, लाहौल स्पिति केलांग व स्पिति काजा, जिला लाहौल स्पिति, हिंप्र० को पत्र दिनांक 05/09/2014 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग वरतुर्स्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णय:- लोक निर्माण विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि उक्त कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार के साथ झागड़ा होने के कारण कार्य अधूरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को इस मामले का विस्तृत परीक्षण कर CPWD से उठाने के निर्देश दिये। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

34. Project Sr.Sec.School भावानगर को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाने वारे।

Project Sr.Sec.School भावानगर को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाने वारे पिछली बार काग्यें सरकार ने ही कदम उठाया था परन्तु आज तक इसे शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया है। अतः इसे शीघ्र शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाया जाए ताकि भावानगर के आस पास के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।

जगदीश नेही, निचार किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :- इस सम्बन्ध में उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा किन्नौर को इस निदेशालय के पत्र दिनांक 26-09-2014 के द्वारा विरत्त सूचना उपलब्ध करवाने वारे लिखा गया है।

निर्णय:- अध्यक्ष महोदय द्वारा लग्नित प्रशासनिक ग्रालों के निदान पश्चात इस विषय में आवश्यक कार्यवाही के निदेश दिये। तदानुसार मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

35 DPS School भावानगर का दर्जा बढ़ाने वारे।

N.J.P.C. द्वारा संचालित DPS School काफी वर्षों से पांचवीं कक्षा तक ही है स्थानीय लोगों की मांग है कि इसे कम से कम दसवीं तक किया जाए।

जगदीश नेगी निचार किन्नौर
उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर:- इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पाठशाला के संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है परन्तु सम्बन्धित पाठशाला से इस निदेशालय में 10वीं तक तक की पाठशाला के संचालन हेतु कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत गद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

36. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवास, सेचू व पुर्थी में साईंस अध्यापकों को पद व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ में ढी०पी०इ० के पद सूजित करने वारे।

महोदय जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवास, सेचू व पुर्थी में अभी तक भी साईंस की कक्षाएं नहीं चलती हैं तथा इन स्कूलों को खुले हुए कम से कम 15 लाल हो गये हैं। इन स्कूलों के बच्चों को साईंस की पढ़ाई के लिए कम से कम 30 कि० मी० दूर किलाड़ आना पड़ता है या पांगी घाटी से बाहर चम्पा जाना पड़ता है। किलाड़ में ढी०पी०इ० का पद भी सूजित नहीं है जिससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक शिक्षा के घरे में कोई श्री जानकारी नहीं मिलती है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि इन स्कूलों में साईंस अध्यापकों के पद व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ में ढी०पी०इ० का पद सूजित किये जाएं।

राम चरण राणा पांगी
उच्च शिक्षा / पारम्परिक शिक्षा

विभागीय उत्तर :-

उच्च शिक्षा:- सरकार द्वारा युवितकरण को जापिस ले लिया है तथा बहेमान शिथिति को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। नए नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही नए नियम की प्रक्रिया सम्पन्न होगी वैसे ही पांगी विधान सभा होठ में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाली वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में साईंस एवं शाँगरों के पाठ्यक्रम डारम्ब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राजकीय वरिष्ठ नायनिक पाठशाला किलाड़ में ढी०पी०इ० के पद सूजित करने सारे मामला वित्त विभाग से उठाया गया था। इस विभाग द्वारा चाहीं गई सुचना निदेशक उच्चतर शिक्षा से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

पारम्परिक शिक्षा विभाग यस्तु रिक्ति से वित्त में अवगत करवाएगा।

निर्णय:- विभागीय उत्तर एवं वर्षों उपरान्त गद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

37. लाहौल के विभिन्न स्कूलों में रिक्त पढ़े पदों को S.M.C. के द्वारा भरने के लिए Permission के बारे।

महोदय, लाहौल के सभी स्कूलों में लगभग 154 अध्यापकों राष्ट्रीय पार्स (T.G.T & J.B.T teachers) के पद खाली पड़े होने के कारण छात्रों की घटाई पर बहुत मुश्किल पड़ रहा है।

अतः महोदय आप से निवेदन है कि इन पदों को S.M.C. के द्वारा भरने की अनुमति दी जाए।

प्यारे लाल लाहौल स्पिति
उच्च शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा

विभागीय उत्तर:-

उच्च शिक्षा:— दिनांक 17-07-2012 में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के सभी रिक्त पदों को उप शिक्षा निदेशक S.M.C. द्वारा भर सकते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा:—विभाग द्वारा प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापकों को रिक्त पदों को भरने हेतु छात्र अध्यापक मानकों के अनुसार युक्तिकरण प्रक्रिया (Rationalization) प्रारम्भ की गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं में अधिशेष तौर पर कार्यरत अध्यापकों को अध्यापकों की कमी वाली पाठशालाओं में समायोजित कर रिक्त पदों को भरा जायेगा। जहाँ तक अध्यापकों को रिक्त पदों को S.M.C. के माध्यम से भरने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 22-12-2014 को मनोरमा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका में दिये गये आदेश के अनुसार मामला सरकार के साथ आगामी आदेशाधी उठाया गया है। इस सन्दर्भ में सरकार से प्राप्त आदेश के उपरान्त ही प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए जायेंगे।

निर्णय:— इस मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 8 पर हो चुकी है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

38. रिकांगपियो डिपो की एक बस वाया लुहरी-शिमला चलाने वारे।

रिकांगपियो डिपो की एक बस वाया लुहरी-शिमला चलाने वाली बूपा करे।

प्रीतम चन्द नेगी, पूह किन्नौर
पथ परिवहन निगम

विभागीय उत्तर :— वर्तमान में लुहरी शिमला एवं बापसी के लिए निम्नलिखित बस सेवाएं चलाई जा रही हैं जोकि यहाँ की जनता को परिवहन सुविधा प्रदान कर रही है—

क्रम संख्या	रूट का नाम	समय	दोत्र
1	ज्यूरी- घमीशाला	06.15	मण्डी
2	बागीपुल- कुल्लू	06.15	कुल्लू
3	रामपुर-आनी	07.15	रामपुर
4	रामपुर- रिवालसर	08.15	रामपुर
5	रिकांगपियो- मण्डी	09.30	सुन्दरनगर
6	रामपुर- आनी	09.30	रामपुर
7	रामपुर- कुल्लू	09.45	रामपुर
8	रामपुर- छातरी	12.30	रामपुर
9	रामपुर- करसोग	13.00	रामपुर
10	रामपुर - दलाश	14.00	रामपुर
11	सागला- मण्डी	16.00	मण्डी
12	रिकांगपियो- घमीशाला	19.00	पियो

13	रिकांगपियो—धर्मशाला	20.00	पियो
14	रिकांगपियो —जामला	21.30	केलांग
15	रामपुर —आनी	17.15	आमपुर
16	आनी —कुल्लू वाया शिमला	06.15	कुल्लू
17	सराहन— शिमला	08.15	लोकल
18	कराणा —चण्डीगढ़	09.00	रामपुर
19	सिद्धधार— हरिद्वार	10.30	तारादेवी

अतः रिकांगपियो डिपू द्वारा बस वाया लूहुरी निगम हित में नहीं है क्योंकि रिकांगपियो डिपों प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है तथा अकसर सड़के अवरुद्ध रहती है।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

39. स्पिति उपमण्डल में बस डिपो खोलने वारे।

स्पिति उपमण्डल में बस डिपो खुलवाने की कृपा करें ताकि यहां पर बस सुविधा अच्छी हो तथा लोगों को इसका लाभ मिल सके।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्पिति परिवहन

विभागीय उत्तर परिवहनः— चर्तमान में चलाए जा रहे रुटों को देखते हुए स्पिति उपमण्डल में बस डिपो खोलने की कोई आवश्यकता इस समय अनुभव नहीं की जा रही है। भविष्य में जब ऐसी आवश्यकता होगी तो डिपो खोलने पर विचार किया जाएगा।

निर्णयः— बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निगम को काजा में उप डिपो खोलने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया ।

40. H.R.T.C केलांग डिपो में चार मिनी बसें व टेक्नीकल स्टॉफ की कमी वारे।

महोदय केलांग डिपो के द्वारा लाहौल पांगी व प्रदेश के कई हिस्सों के लिए बसें चलाई जा रही हैं लेकिन लाहौल के कुछ गाँव जैसे चोखांग, नैनगाहर, भुजूड़, मयारनाला के लिए रोड की तर्जी के कारण बड़ी बसें नहीं चलाई जा सकती हैं और इन रुटों के लिए मिनी बसें ही एक मात्र साधन हैं। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि सम्बन्धित अधिकारियों को लाहौल केलांग डिपो के लिए 4 मिनी बसें भिजवाने के आदेश दिये जायें। इसके अतिरिक्त टेक्नीकल स्टॉफ की भी वहुत कमी है और इसे तुरन्त भरा जाए।

प्यारे लाल लाहौल स्पिति परिवहन विभाग

विभागीय उत्तर :—चर्तमान में केलांग क्षेत्र के पास केवल एक मिनी बस है जिसे किलाड़ क्षेत्र में चलाया जा रहा है। जहां तक केलांग की जनता की मांग अन्य मार्गों पर मिनी बस चलाने वारे हैं, चर्तमान में मिनी बसों की उपलब्धता न होने के कारण मिनी बस चलाना सम्भव नहीं है। जैसे ही मिनी बसों की खारीद होगी तो इन पहाड़ी रास्तों पर मिनी बस चलाने की हर सम्भव कोशिश की जाएगी। केलांग में 22 तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध हैं जोकि 58 बसों के रख रखाव के लिए प्याप्त हैं।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार समाप्त कर दिया गया ।

41. निगुलसरी में PHC खोलने वारे

भावानगर से आगे चौंरा तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल नहीं है। यहां के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगुलसरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ज़रूरी है।

जगदीश नेगी, निचार किन्नौर
स्वास्थ्य विभाग

विभागीय उत्तर :-—प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जनसंख्या मानकों के अनुसार नहीं है। यहां की कुल जनसंख्या 2500 है जबकि मानकोंके अनुसार जनसंख्या 20,000 होनी चाहिए। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है।

निर्णय:-—बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को उपरोक्त स्थान पर एलोपैथिक डिस्पैसरी खोलने के आदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

42. आवासीय आयुक्त पांगी को विभागाध्यक्षों द्वारा सरकारी कार्य से सम्बन्धित प्रतिलिपि न भेजने वारे।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी, पांगी घाटी में आपके द्वारा इकहरी प्रशासनिक प्रणाली 1986 में घलाई गई थी तथा पांगी में आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। महोदय जी आवासीय आयुक्त, पांगी को विभागाध्यक्षों द्वारा जो भी नई नियुक्ति होती है, विभागाध्यक्षों द्वारा बजट आवंटन, स्थानांतरण इत्यादि की प्रतिलिपि पांगी को नहीं भेजी जाती है। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस बारे में विभागाध्यक्षों को उचित निर्देश दें ताकि सरकार से सम्बन्धित कार्यों के बारे में प्रतिलिपि आवासीय आयुक्त पांगी को प्राप्त हो सके।

राम चरण राणा, पांगी
कार्मिक / जन जातीय विकास

विभागीय उत्तर :-

जन जातीय — इस सम्बन्ध में समस्त प्रशासनिक सचिवों को इस विभाग ने दिनांक 30-01-2015 द्वारा अनुरोध किया गया है कि जन जातीय क्षेत्रों में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली (Single line Administration) वर्ष 1986 से लागू है जिसके फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों को विभागाध्यक्षों की शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए जो भी सरकारी दिशा-निर्देश एवं अधिसूचनाएं समय-समय पर सरकार द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेपित की जाती है उसकी प्रतिलिपि जन जातीय क्षेत्रों में कार्यरत आवासीय आयुक्त/जिलाधीश/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को भी प्रेपित करने वारे अनुरोध किया है।

कार्मिक विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अनुगत करवाएगा।

निर्णय:-— निर्णय लिया गया कि कार्मिक विभाग भी इस विषय में सभी विभागों को निर्देश जारी करेगा। तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

43. महालू नाला पावर हाउस फेस 2 की स्वीकृति वारे।

माननीय मुख्य मन्त्री जी आपके कर कमलों द्वारा वर्ष 1995 में महालू नाला पावर हाउस का उदघाटन किया गया था जिसकी कामता 300 किओवा है। महोदय जी, इससे घाटी में विद्युत आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि महालू नाला में फेस 2 के

निर्माण की स्वीकृति देने की कृपा करें।

किशन चौपड़ा, पांगी

विद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं

विभागीय उत्तर :- हिमाचल प्रदेश सरकार के महालू नाला पर दो परियोजनाएं अपर महाल (9 मैगावाट) एवं लोअर महाल (8 मैगावाट) चिन्हित की हैं जिन्हें 31/10/2014 को Pre-Bid के लिए लागाया गया है।

निर्णय:- बैठक में विभाग ने अवगत करवाया कि उक्त कार्य की प्रगति संतोषजनक है तथा कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

44. जिला किन्नौर में आगामी भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं पर पावन्दी लगाने वारे। जिला किन्नौर में आगामी भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं पर पावन्दी लगाने वारे तथा वैकल्पिक तरीके से जल विद्युत दोहन वारे विचार विमर्श किया जाए।

अमर चन्द्र कल्पा, किन्नौर

विद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं विभाग / उर्जा

विभागीय उत्तर :- जिला किन्नौर में आगामी भूमिगत जलविद्युत परियोजनाओं पर पावन्दी लगाने से समर्थ्य का निवारण नहीं होगा। यदि निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाए तो पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव व नुकसान को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। जिसके सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण प्रभावों का विस्तृत अंकलन करने हेतु प्रदेश की सभी पांच मुख्य नदी होतों का CEIA अध्ययन करने हेतु विभिन्न उच्च दर्जे की कम्पनियों/Consultancy Firm को Engage किया है। सातलुज नदी होता का CEIA अध्ययन ICFRI & HFRI द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा सरकार रिपोर्ट में ही गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वयित करने हेतु प्रयासरत है।

I. प्रत्येक जल विद्युत परियोजना में एक भूजल निगरानी प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है जो यह स्थापित कर सके कि सुरंग निर्माण का भूजल, जल स्रोतों और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए अच्छी तरह से परिभाषित व नियमानुसार सुरंग कियान्वयन की आवश्यकता है।

II. हर पन पिंडुता परियोजना के लिए एक व्यवसिधत योजना बनाई जाए जो नदी और झरनों के पूरा डाटा परियोजना निर्माण से पहले और बाद में एक लम्बी अवधी के लिए हो ताकि इसके प्रभावों को सही तरीके से अंकलित किया जाए।

III. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ब्लास्टिंग की घजह से भूसखलन/रिलप न आये और घरों व सामुदायिक संम्पत्ति को नुकसान न हो। इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाए।

IV. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूकम्पी विशेषज्ञों और साईट टीयार करने वाले विशेषज्ञों के माप-दण्डों के निर्देशों का पनविद्युत उत्पादक कंडाई से पालन करें।

V. अगर ब्लास्टिंग की जगह हम टी०यी०एम० का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों व नुकसान को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। परन्तु जिला किन्नौर में रेतिले पहाड़ होने के कारण इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल केवल कठोर पत्थर वाले पहाड़ पर ही किया जा सकता है।

निर्णयः—चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग को आदेश दिए कि यह नीति गत मामला है इसे पुनः निरीक्षण करें। तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

45. पूह ब्लॉक के अकपा नामक स्थान पर स्थापित इनर लाईन चैक पोस्ट को डुबलिंग या चांगो शिफट करने वारे।

पूह ब्लॉक के अकपा नामक स्थान पर जो इनर लाईन चैक पोस्ट स्थापित किया गया है उसे डुबलिंग या चांगो शिफट किया जाए क्योंकि जिन सुरक्षा कारणों से इस चैक पोस्ट को स्थापित किया गया है उसके लिए यह स्थान उचित नहीं है।

नरेश कुमार नेगी, स्पीलो किन्नौर
गृह विभाग

विभागीय उत्तर :-(a) In this connection, the comments from SP Kinnaur were sought. He has informed that as per letter dated 17-3-2011 of MHA, Foreign Division Govt. of India, "the part of Himachal Pradesh falling between the inner line and international border has been declared as a Protected Area under the Foreigners (Protected Area) Order 1958. No foreigner can enter or stay in the Protected Area of the state without obtaining a permit from the competent authority. However, foreign tourists in a group consisting of two or more persons, duly sponsored by a recognized travel agency in India with a pre-drawn itinerary, can be allowed to visit some places for 30 days, after obtaining a protected area permit from the competent authority".

- (b) In view of these instructions and to ensure that no foreigner enters in the PAP areas without valid permit, an Inner Line Check Post has been established at Akpa. In case the existing check post situated at Akpa is shifted to Dubling bridge, then movement into the Protected Areas namely:-Pooh,Labrang,Shyso,Sunnam,Giabong,Taling,Ropa,Rushkulang, Kanam,Thangi, Lambar Kunu,Charang, Lippa, Asrang and Nesang will remain unchecked.
- (c) In order to ensure that no foreigner enters the above PAP areas without valid permit, the existing Check Post at Akpa is the appropriate location. The movement of foreigners in the entire PAP area of Kinnaur district can easily be monitored from this check post.
- (d) In order to promote rural tourism in district Kinnaur and to facilitate the movements of local people, if the present check Post is shifted to Dubling bridge, then the following issues would be required to be addressed:-
- (i) Ammendment in PAP regime is to be done by deleting 13 villages from Protected Area under the Foreigners (Protected Area), Order 1958. However, some villages fall on the right bank of Satluj river and there is a

natural barrier of Satluj river between the international border and NH and other link roads connecting these villages.

- (ii) Villages situated on the left bank of Satluj i.e Moorang, Gramang, Tobaring, Khokpa ,Shiling, Ruwang, Thangi and Lambar would also be required to be exclude from Protected Area.
- (iii) For the remaining villages before Dubling bridge i.e Kunu, Charang and Nesang, ITBP has already been deployed in this area and the task of checking permits and keeping vigil upon the movement of foreigners can be entrusted to ITBP.

निर्णयः—बैठक में चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गृह विभाग मामले का पुनः निरीक्षण कर तथा इस बारे प्रस्ताव मामला भारत सरकार से उठाए।

46. अग्निशमन केन्द्र किलाड़ में खोलने बारे।

भानीय गुरुख्यमन्त्री जी अग्री तक किलाड़ में अग्निशमन केन्द्र नहीं है तथा यहाँ पर रितारम्बर से लेकर दिराम्बर तक आग की काफी घटनाएं होती हैं जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान होता है। अतः महोदय जी से गिरेदन है कि पांगी में अग्निशमन केन्द्र खोलने की कृपा करे।

किशन चौपड़ा पांगी

गृह एवं अग्निशमन विभाग

विभागीय उत्तर :—फायर रेटेशन खोलने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। किलाड़ में अग्निशमन केन्द्र खोलने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण न करने व वित्तीय अभाव के कारण इस समय में दमकल केन्द्र खोलना समझ नहीं है।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार समाप्त कर दिया गया।

47. जन जातीय क्षेत्र में Family Quarter की सुविधा बारे।

जन जातीय क्षेत्र में वर्ष 2011–2012 में Family Quarter की सुविधा थी लेकिन 2012–13 में यह सुविधा हटाई गई जिसे काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिस भी अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण जन जातीय क्षेत्र में होता है तो आवारा न होने के कारण अधिकारी / कर्मचारी जन जातीय क्षेत्र में अपने से इन्कार कर देता है और अपनी Adjustment कही और करके लेता है जिससे जन जातीय क्षेत्र में सिक्ति पदों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि जन जातीय क्षेत्र में Family Quarter की सुविधा बहाल की जाए।

शुभकरण सिंह, भरपौर चम्बा
उनायुक्त, चम्बा / किन्नौर / लाहौल स्पिति

विभागीय उत्तर :—

आवासीय आयुक्त पांगी :—पांगी के गुरुख्यालय किलाड़ में इस समय जनरल पुल के टाइप-2 के आठ आवास हैं। इसके इलावा सभी विभागों के कर्मचारी रहते हैं इसके इलावा सभी विभागों के अपने अलग आवारा यने हैं। जिसमें उनके विभाग के अधिकारी व कर्मचारी रहते हैं। वित्ती वर्ष 2015–16 में एक ट्रॉजिट आवारा का निर्माण भी किया जाना है जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रह राहते हैं।

जिलाधीश किन्नौर:- अतिरिक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला के कार्यालय के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा यह सुविधा बहाल कर दी गई है। उपायुक्त लाहोल एवं स्पिति वस्तुरिधिति से बैठक में अवगत करवाएंगे।
निर्णय:- चर्चा उपरान्त तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

48. दूरभाष केन्द्र किलाड़ की क्षमता बढ़ाने वारे।

माननीय मुख्यमन्त्री जी पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में जो दूरभाष केन्द्र है वह काफी कम क्षमता का है। इस वारे में आवासीय आयुक्त पांगी ने दूरसंचार निगम के मुख्य प्रबन्धक से इस मामले को उठाया था तथा मुख्य प्रबन्धक ने IRD की क्षमता 8MB से 32 MB करने के लिये भारत दूर संचार निगम लिमिटेड कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली को खारीदने के लिए दिनांक 29-04-2014 को पत्र भेजा था परन्तु अभी तक भी यह मशीनरी पांगी के मुख्यालय किलाड़ में नहीं पहुंची है। जिस कारण पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में फोन करने में छष्टा लग जाते हैं तथा अधिकतर समय यह दूरभाष केन्द्र खाराब रहता है। अतः महोदय जी से अनुरोध है कि किलाड़ मुख्यालय के दूरभाष केन्द्र की क्षमता को बढ़ाया जाये तथा सन्दर्भित अधिकारियों को निर्देश दें कि इस मशीनरी वो जल्दी से जल्दी किलाड़ दूरभाष में स्थापित करें। ताकि आगे जनता को समझा का सामना ना करना पड़े।

**किशन चोपड़ा पांगी
सामान्य प्रशासन/दूरसंचार**

विभागीय उत्तर :

दूरसंचार :- दूरभाष केन्द्र किलाड़ में स्थापित आई0डी0 आर0 की वर्तमान क्षमता 8 एम0डी0 की है इसके लिए एक अतिरिक्त 8 एम0डी0 वाली क्षमता का आई0डी0आर0 रखीकृत भी है। जन जातीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अगर जन जातीय निक्षि से सहायता और सैटेलाईट स्टेट्रेस शूट्स में छूट मिले तो जन जातीय क्षेत्रों को पर्याप्त इगता की सैटेलाईट उपकरणों से लोड़ा जा सकता है।

सामान्य प्रशासन वस्तुरिधिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णय:- चर्चा उपरान्त तदानुसार गद को समाप्त कर दिया गया।

49. पांगी घाटी के याम प0 भिधल व चलौली में स्थापित टावर कार्य न करने वारे।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जी पिछले दो वर्ष पहले पांगी घाटी के भिधल व चलौली गांव में भारत राजार निगम लिमिटेड द्वारा टावर स्थापित किये गये हैं तथा आज तक भी यह टावर कार्य नहीं कर रहा है जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड बैन्ड किलाड़ इन दोनों टावरों के दिजलों की अदायगी हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम किलाड़ वो हर महीने दे सह दे। अतः महोदय जी रो अनुरोध है कि इन दोनों टावरों को चलाया जाये ताकि पांगी घाटी की आठ पंचायतों को दूर-संचार मोबाइल की सुविधा मिल सके।

**किशन चोपड़ा पांगी
रागान्य प्रशासन/दूरसंचार**

विभागीय उत्तर

रागान्य प्रशासन:- चलौली बी0डी0 एस0 दिनांक 17-10-2014 व भिधल बी0डी0एस0 ने दिनांक 18-10-2014 रो रुचारु रुप रो कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

दूरसंचार वस्तुरिधिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णय:- विभागीय उत्तर के दृष्टिगत गद को तदानुसार रागाप्त कर दिया गया।

50. लाहौल में दूरसंचार व्यवस्था के बारे।

महोदय लाहौल से दूर संचार व्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है। पिछले धार महीनों से न तो भोजाईल काम कर रहे हैं और न ही इंटरनेट सुधिला काम प्रेरणा है। इसकी वजह से राष्ट्रीय कार्यालयों में काम ठप पड़ जाते हैं और आम पब्लिक को भी काफी परेशानी का रामना करना पड़ता है। महोदय से निधेदन है कि सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे कर इसे तुरन्त ठीक करवाया जाये।

प्यारे लाल लाहौल स्पिति
सामान्य प्रशासन / दुररांचार

विभागीय उत्तर ।

दूरसंचार :— लाहौल क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था के बारे में सूचिता किया जाता है कि लाहौल घाटी में रास्क चौड़ी करने का कार्य चल रहा है जिस कारण प्रायः ३००एफ०सी० कट जाता है और ३००एफ०सी० रुट शीघ्र यहात नहीं हो पाता है तथा यार-यार ३००एफ०सी० कटने पर उसे पुनः जोड़ने से जगह-जगह जोड़ पड़ गये हैं जिस कारण गिलिया रिथर नहीं हो पाता इसके साथ-साथ हिमपात के दौरान यदि ३००एफ०सी० कट जाती है तो उसे पुनः जोड़ना अप्रैल-मई तक संभव नहीं होता है। दुर्गम जन जातीय धोत्रों के लिए ऐटेलाइट यात्राम से रांगार करनेविट्टी सबसे सुदृढ़ यात्रा है। कैलांग के लिए अप्रिलिका ४ एम०सी० क्षमता जाना आई०ली०आर० भी सहीहै। जन जातीय धोत्रों में संगार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अगर जन जातीय निधि से रहायता और रोटेलाइट रेफेक्ट्रम शुल्क में छूट मिले तो जन जातीय धोत्रों को पर्याप्त क्षमता के सैटेलाइट उपकरणों से जोड़ा जा सकता है।

सामान्य प्रशासन विभाग वरतुरिथति से वैदेतक में अवगत करवाएंगा।

निर्णयः— इस पद पर चर्चा अनुचर्ती पद संख्या 40 पर हो चुकी है। तदानुसार पद को समाप्त कर दिया गया।

51. खादी बोर्ड के द्वारा ऊन पिजाई मशीन को पुनः चालू करने वारे।

खादी योर्ड द्वारा उन पिजाई गशीन जौ काजा में बन्द पड़ी है को पुनः खाले किया जाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल स्थिति
उद्योग

विमार्शीय उत्तर :—उन पिजाई मशीन को सुरक्षा करना ली गई है परन्तु यहाँ पर अभी तक रक्षाई कर्मचारी को ऐसी नहीं हो पाई है। इसलिए इस केंद्र वा अलिंगिक प्रभार उन पिजाई वांच पूह के प्रवारी को दिया गया है, जो रामय-रामय पर भीरा के अनुकूल रहने पर उपर केंद्र के हिए प्रबोध करता है।

निर्णयः—गाननीय अध्यक्ष महोदय ने विमान/लोड को निर्देश दिए कि काजा में रथाइ कर्मचारी की नियमिती की जाए। तदानंतर गुद को रामाप्त कर दिया गया।

52. Board of Director गे जन जातीय क्षेत्र के सदस्य नियुक्त करने वारे।

खाई बोर्ड और हथकरघा नियम से सम्बन्धित वीड़ियो को कार्रा करते हैं उन्हें उक्त नियम के Board of Directors से विद्री एक जग भारीय द्वावर से सारदस्य शिक्षा लाए।

दोरजे छोपेल काजा लाहौल रिपति
उच्चय

विभागीय उत्तर :- बोर्ड के निदेशक मण्डल के सदस्यों, निदेशकों का मनोबन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड के Board of Director में श्री उमेश नेगी को सदस्य नियुक्त किया है, जो जिला किन्नौर के वासी है।
निर्णयः-विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

53. खादी बोर्ड विकाय केन्द्र को चालू रखने वारे।

खादी बोर्ड विकाय केन्द्र को चालू रखा जाए।

दोरजे छोपेल, काजा लाहौल स्पिति
उद्योग

विभागीय उत्तर :- बोर्ड के काजा रिथत विकाय केन्द्र को चालू कर दिया गया है तथा उन पिंजाई मशीन की मुरम्भत भी करवा ली गई है, परन्तु वहां पर अभी तक रथाई कर्मचारी की तैनाती नहीं हो पाई है। इसलिए इस केन्द्र का अतिरिक्त प्रभार ऊन पिंजाई केन्द्र पूह के प्रभारी को दिया गया है जो समय-समय पर मौसम के अनुकूल रहने पर उक्त केन्द्र के लिए प्रदास करता है।

निर्णयः- इस मद पर चर्चा मद संख्या 51 पर हो चुकी है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

54. निचार पंचायत के सभी Landslides का सर्वे Geological Survey of India से करवाने वारे।

निचार के दुनों, रांगों पत्थरिंग, रात्पा में अचानक दिसम्बर 2013 के बाद landslide होना शुरू हो गया है इसके कारणों का पता GSI से करवाया जाये।

जगदीश नेगी, निचार, किन्नौर
उद्योग विभाग

विभागीय उत्तर :- जिला किन्नौर के निचार उपमण्डल के दुनों क्षेत्र में मू-रखातन यारे सर्वेक्षण करने हेतु जिलाधीश किन्नौर से अनुरोध प्राप्त हुआ है। विभाग के मू-वैज्ञानी शाखा द्वारा इस का निरीक्षण किया जा रहा है तथा सर्वे रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने में लगभग एक माह का समय लगना संभावित है, तार्दाप्ररात इसे जिलाधीश किन्नौर को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेपित कर दिया जाए।

निर्णयः-विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

55. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भर्गाँर के लिए स्टॉफ लारे।

जन जातीय क्षेत्र भर्गाँर में अप्रै 2000 में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की नियुक्ति की गई। होकिन उनके लिए कांडु भी रट्टाफ नहीं दिया गया। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भर्गाँर का कार्य परियोजना अधिकारी आई०टी०डी०पी० के कर्मचारी अपने कार्य के इलाज कर रहे हैं जिससे कि परियोजना से सम्बन्धित कार्यों में काफी परेशानी आ रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भर्गाँर के लिए रट्टाफ की नियुक्ति की जाए ताके यिकासात्मक कार्य सुचारू रूप से चलाये जा सकें।

भजन ठाकुर, भर्गाँर पाला
राजारव

विभागीय उत्तर :— सम्बन्धित कार्यालयों से रिक्त पदों को भरने वारे प्रस्तावनाएं विभाग के पत्र दिनांक 17-10-2014 मांगी गई हैं, जैसे ही प्रस्तावनाएं प्राप्त होगी रिक्त पदों को भरने हेतु आगामी कार्रवाई जमल में लाई जाएगी।

निर्णयः—चर्चा उपरान्त मद को तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

56 1998 तक स्वीकृत नौतोड़ कब्जा पट्टा दिया जाने वारे।

1998 तक स्वीकृत नौतोड़ जिसमें प्रार्थियों द्वारा नजराना जमा किया जा चुका है और उस जगह पर स्थित वृक्षों का मूल्य जमा नहीं किया जा रहा है को कब्जा तथा पट्टा दिया जाए।

अमर चन्द, कल्पा, किन्नौर
राजस्व

विभागीय उत्तर :— उपायुक्त किन्नौर से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला किन्नौर में कुल 1028 स्वीकृत नौतोड़ प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लम्बित थे। इसके अतिरिक्त जिला किन्नौर में लम्बित सभी स्वीकृत नौतोड़ प्रकरणों में प्रधान सचिव(वन) की अधिसूचना दिनांक 17-07-2014 की अनुपालना में निपटाया जा रहा है।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

57. जन जातीय क्षेत्र भरमौर में पंचायत चुनाव वारे।

महोदय 2015 में पंचायत चुनाव होने हैं जिस समय पंचायत के चुनाव होते हैं वे दिसम्बर माह के अन्त में होते हैं उस समय कई बार भारी हिमपात होता है और उन दिनों जनजाति क्षेत्र भरमौर के लोग भी उन दिनों 60 प्रतिशत के लगभग नीचे कांगड़ा क्षेत्र को चले जाते हैं और जो पंचायत के उम्मीदवार होते हैं वे लोगों को कांगड़ा से लाते हैं और काफी पैसा खर्च हो जाता है। अतः महोदय से निवेदन है कि जन जातीय क्षेत्र भरमौर में पंचायत चुनाव सितम्बर माह तक करवाने की कृपा करें ताकि सभी लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सके व घर्फ़ की दहशत से बच सकें।

शुभकरण सिंह, भरमौर चम्बा
पंचायती राज

विभागीय उत्तर :— घर्ष 2015 में पंचायत के चुनाव जनजातीय क्षेत्र भरमौर में सितम्बर माह में करवाने वारे राज्य निर्वाचन आयोग से मामला उठाया जा रहा है।

निर्णयः—विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि निर्वाचन आयोग से जैसे ही तिथि सुनिश्चित होगी अवगत करवा दिया जाएगा। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

58. हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जन-जाति वर्गों के लिए आरक्षण वारे।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जन-जाति वर्गों के निधारित 7.5% आरक्षण सभी क्षेत्र में पूर्ण दिए जाने वारे पिछार व स्पष्ट नीति निधारण करने वारे। आरक्षित वर्गों को अभ्यासियों द्वारा सामान्य वर्ग के समकक्ष या अधिक अंक लेने की रिक्ति में उन्हे सामान्य वर्ग के तहत मान्यता (Consider) करने वारे विचार-विमर्श तथा अनुसूचित जन-जाति वर्ग का आरक्षण केवल उन्हीं पात्र अभ्यासियों को देने वारे जो सामाजिक ए ईकाइयिक रूप से पिछड़े हो।

राम सिंह नेगी, रोपा किन्नौर
कार्मिक विभाग

विभागीय उत्तर :— केन्द्र सरकार द्वारा श्रेणी – I व श्रेणी– II के पदों/ सेवाओं में अनुसूचित जन जाति को सीधी भर्ती/पदोन्नति में प्रदान किए जा रहे 7.5 प्रतिशत आरक्षण के बराबर ही प्रदेश सरकार भी आरक्षण का लाभ प्रदान कर रही है। जबकि श्रेणी– III व श्रेणी– IV जिनमें नियुक्तियाँ/भर्तियाँ रखनीय एवं क्षेत्रिय उम्मीदवारों से होती हैं, मैं भर्ती हेतु अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उनकी क्षेत्रिय जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्तमान में सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत तथा पदोन्नति में केन्द्र सरकार की नीति—अनुसार 7.5 प्रतिशत है। अतः अनुसूचित जन जाति के लोग इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में अक्षित वर्गों के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग के समकक्ष या अधिक अंक लेने की स्थिति में सामान्य वर्ग के तहत मान्यता का प्रश्न है, राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20–09–1998, दिनांक 19.02.2000 और दिनांक 04.01.2000 द्वारा सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार/लोग जो अपनी योग्यता/उत्कृष्टता के आधार पर (विना आरक्षण का लाभ लिए) चुने जाते हैं, की गणना नियुक्ति के प्रयोजन हेतु आरक्षित कोटे में भी की जाती है और उन्हें आरक्षित कोटे की अधिकता में अनारक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति किया जाता है। परन्तु ऐसी स्थिति में भी नियुक्ति उम्मीदवार आगामी पदोन्नति के पदों जहाँ पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है अपनी आरक्षित श्रेणी में आरक्षण के लाभ के पात्र रहेंगे। वर्तमान नीति के अनुसार जनजातीय क्षेत्र के समस्त मूल निवासियों को अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में निर्धारित आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है और अभी तक ऐसा कोई नितिगत निर्णय नहीं हुआ है जिसके अनुसार आरक्षण का लाभ अनुसूचित जनजाति के उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाए जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों।

निर्णयः—चर्चा एवं विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

59. Out Source के माध्यम से रोजगार देने वारे।

Out Source के माध्यम से रोजगार जो दिये जा रहे हैं उनका विज्ञापन द साक्षात्कार सम्बन्धित जन जातीय क्षेत्र में किये जाने वारे तथा जन जातीय अभ्यार्थियों को प्राप्तभिकता दिये जाने वारे विचार विमर्श किया जाए।

**अमर चन्द्र कल्या किन्नौर
कार्मिक विभाग**

विभागीय उत्तर :—कार्मिक विभाग द्वारा Out Source के माध्यम से रोजगार देने वारे कोई नीति नहीं है यद्यपि Out Source पर नियुक्तियाँ वित्त विभाग की नीति /सहगति से कोई भागी है। किसी भी सदर्म के संदर्भ नियमों में Out Source पर नियुक्तियाँ प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके दृष्टिगत इस गांधीगम द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करना व्यवहारिक नहीं है। अरा इस मदद पर कार्मिक विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

निर्णयः—अध्यक्ष गहोदय ने बैठक में निर्देश दिये कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग गे कार्य के गद्यनजार रखते हुए Out Source के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है अन्य विभाग भी आवश्यकतानुसार इसी प्रकार कार्यवाही करें। तदानुसार गद्‌द को रागाप्त कर दिया गया।

60. उदयपुर में खाद डिपो खोलने के बारे।
 माननीय मुख्य मन्त्री महोदय लाहौल में एक ही खाद डिपो गोम्थला नामक स्थान पर ही रथापित किया गया है जबकि उदयपुर ब्लॉक की 10 पंचायतों के लोगों को लगभग 100 कि०पी० दूर आना पड़ता है और भारी भरकम कैरिज देना पड़ता है। अतः महोदय से निवेदन है कि खाद का एक डिपो उदयपुर में खोला जाए।

प्यारे लाल, लाहौल स्पति
सहकारिता विभाग

विभागीय उत्तर :— इस सम्बन्ध में हिमफैड ने जिला लाहौल-रिप्टि में खाद का डिपो खोल रखा है तथा काजा में भी खाद का डिपो खोल रखा है। हिमफैड हिमाचल प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर खाद डिपो खोलती है। इसलिए संघ इस रिप्टि में नहीं है कि हिमफैड खाद के डिपो हर स्थान पर खोल दें। इसके साथ-साथ आपका ध्यान इफको के वितरण के बारे में भी लाया जाना अति आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश में इफको 40% खाद का वितरण राज्य में करती है। जोकि किसानों को एन०पी० के ० १२:३२:१६ तथा यूरिया 46% खाद की आपूर्ति करती है। इफको ने हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू तथा शिमला में सहकारी सभाओं को अपना सदस्य बनाया है उनके द्वारा किसानों को इफको के द्वारा भी खाद की आपूर्ति की जाती है। जिला लाहौल-रिप्टि में किसानों की मांग एन०पी० के ० १२:३२:१६ तथा यूरिया 46% है। इसलिए इफको के राज्य प्रबन्ध वितरण को निर्देश दिए जाए कि उदयपुर में कम से कम दो चार सहकारी सभाओं को अपना सदस्य बनाए ताकि उनके द्वारा किसानों को उपरोक्त खाद की आपूर्ति करें। एस०एस०पी० १६% तथा एम०ओ०पी० ६०% खाद की आपूर्ति हिमफैड द्वारा उदयपुर में की जाएगी।
निर्णयः—माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को उदयपुर में खाद का सब डिपो खोलने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

61. ग्राम Lossar Spiti में Kangra Central Bank की शाखा खोलने बारे।
 निवेदन है कि उपरोक्त समरत ग्रामवारी Lossar ने आपसे मांग की थी। Lossar, Chichong, Kholskar, Mundaskar, Kyomo आदि गांव में सादियों में व वर्ष भर लेन देन की बड़ी समस्या रहती है उनकी सिफ आपसे यही मुख्य मांग है अतः जनहित में आपसे अनुरोध है कि Lossar गांव में Kangra Bank की शाखा / पिसार पठल खुलवाने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

सोहन रिंह, काजा लाहौल स्पति
वित्त / सहकारिता विभाग

विभागीय उत्तरः—

वित्त एवं सहकारिता विभाग वस्तुरिप्ति रो चैटक में अवागत करवाएंगे।

निर्णयः—चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोरार में Kangra Central Bank की शाखा खोलने बारे पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए।

62. जन जातीय उप-योजना के तहत बजट को चिन्हित (earmark) न करने वारे।
 पिछले कुछ वर्षों से जन जातीय उप-योजना के तहत बजट को चिन्हित (earmark) पिल्या जा रहा है जिसके जन जातीय उप योजना का आवार घट रहा है जिसके

परिणामस्वरूप जन जातीय क्षेत्रों के विकास में काफी कमी आई है। BADP की राशि को TSP के 9% में जोड़ा जाना अनुचित है।

जगत सिंह ने गी, उपाध्यक्ष विधान सभा
योजना

विभागीय उत्तर :— योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुपालना करते हुए तथा वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य योजना की तीनों उप योजनाओं (सामान्य योजना/अनुसूचित जाति उप योजना तथा जन जातीय उप योजना) में समानुपातिक आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि का चिन्हांकन किया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि प्रदेश में चलाई जा रही अधिकतम रक्कीमों एवं कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ जनजातीय क्षेत्रों को भी प्राप्त हो, इसी परिदृष्टि से जन जातीय उप योजना के तहत बजट को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हांकित राशि भी जनजातीय उप-योजना का ही भाग है व जन जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ही व्यय की जा रही है। अतः इस योजना के आकार में कोई कमी नहीं आई है। जहां तक BADP की राशि को जन जातीय उप-योजना से न जोड़ने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि यह राशि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राज्य के योजना आकार को निर्धारित करते समय चिन्हांकित की जाती हैं जो कि सकल योजना का भाग रहती है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि केन्द्र सरकार से जो भी सहायता प्राप्त होती है याहे वह सामान्य योजना के अन्तर्गत हो या फिर जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए इस सहायता राशि को सम्बन्धित योजना/उप योजना का ही भाग माना जाता है।

निर्णय:—चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना विभाग यह प्रयत्न करेगा कि Earmarked राशि कम हो ताकि ITDPs को Divisible Plan Outlay अधिक मिल सके। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

विशेष आमन्त्रितों से प्राप्त मददे

- (1) RKMV में जन-जातीय छात्राओं की आवश्यकता अनुसार छात्रावास का निर्माण करने वारे

RKMV में जन-जातीय छात्राओं की संख्या में बहुत बढ़ि हुई है। आवश्यकता अनुसार छात्रावास का निर्माण करवाया जाए।

सरोज नेगी, कल्पा, जिला किन्नौर उच्च शिक्षा विभाग

विभागीय उत्तर :- इस सम्बन्ध में प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय आरोक्ते०एम०वी० जिला शिमला को निदेशालय के पत्र दिनांक ०१-१०-२०१४ द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए हैं।

निर्णयः— बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा विभाग को मामले में उचित कार्यवाही के लिंगदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

- (2) महाविद्यालय भरपूर के लिए भवन, विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करना व छात्रावास का निर्माण करने वारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर में राजकीय महाविद्यालय वर्ष 2005 से कक्षाएं चल रही है जो कि पुराने राहसील भवन में स्थित है जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। इस समय महाविद्यालय में कला संविधय भी कक्षाएं चल रही है परन्तु विज्ञान संकाय कक्षाएं अभी तक आरम्भ नहीं हुई जिस कारण विज्ञान के छात्रों को विज्ञान की पढाई के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। अतः सरकार से अनुरोद है कि शीधी राजकीय महाविद्यालय भवन व छात्रवास का निर्माण आरम्भ किया जाए तथा विज्ञान संकाय की कक्षाएं भी आरम्भ की जाए।

सुमना देवी, भरमौर, जिला चम्बा
उच्च शिक्षा / लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :-

लोक निर्माण:- इस विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय भरगोर के भवन के लिए कुल 880.00 लाख रुपये का प्रावधान है जिसमें विज्ञान की कक्षाओं का भी प्रावधान है। इसकी निविदाएं 3 यार आमत्रित की गई। अब इसका टैंडर दिनांक 28-07-2014 को खुला है जिसमें एकगाड़ी टैंडर तीसरी कॉल में प्राप्त हुआ है। इरा टैंडर के आवार्ड हेतु प्रक्रिया जारी है। जैसे ही इरा टैंडर की स्थीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही तुरन्त ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने हेतु आवार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसके इलादा तर्तगत में छात्रावास के भवन के निर्माण हेतु न तो उक्त विभाग हारा जगह उपलब्ध करपाई गई है और न ही इस तरीके कोई सजाल प्रावधान है।

उच्च शिक्षा विभाग वरत्रिधिति से दैठक में आवगत करवाएगा।।

निर्णयः—वर्चो उपरान्त तदानुसार गद को रागाप्त कर दिया गया।

- (3) जिला किन्नौर में BSNL, Airtel और Reliance के टॉवर लगाने सारे।

जिला किन्नौर में BSNL की Landline की सुविधा विलक्षुल न के बराबर है। Broad Band की सुविधा भी जिला मुख्यालय गे सुचारू स्तर से नहीं चलती है तथा BSNL का टाकर चागो नाको, ज्ञावेंग, वानस, रासग, पौंगी, टापरी, चांगन, भात, दैली आदि गाँवों में लगाया

जाये ताकि उक्त गाँवों को सही सुविधा उपलब्ध हो सकें और इसके साथ Airtel और Reliance को भी जिला किन्नौर में मोबाईल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आमन्त्रित किया जाना चाहिये ताकि समस्त जिला किन्नौर को मोबाईल Network से जोड़ा जाये।

सरोज नेगी, कल्पा जिला किन्नौर
सामान्य प्रशासन / दूरसंचार / सूचना एवं प्रौद्योगिकी

विभागीय उत्तर :—

दूरसंचार:— लैंड लाईन दूरभाष के बन्द होने का मूल कारण केबल चोरी एवं रोड कटिंग में ओ0एफ0सी0 का बार-बार खराब होना है किन्नौर में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 39 मोबाईल टावर लगाए गये हैं।

सामान्य प्रशासन / सूचना एवं प्रौद्योगिकी :— एयर टेल एवं रिलाइंस की मोबाईल सुविधा के सुझाव बारे विभाग स्थिति से बैठक में अवगत करवाएंगे।

निर्णय:—बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन / सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एयर टेल एवं रिलाइंस की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे मामला Trai से उठाने का निर्देश दिया। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(4) काजा BSNL Line को ठीक करने बारे।

महोदय काजा में न तो land line Phone ठीक चलते हैं और न ही Internet चलता है। अतः BSNL अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि उक्त दोनों सेवाएं काजा में सुचारू रूप से चलाए जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
सामान्य प्रशासन / दूरसंचार / विद्युत विभाग

विभागीय उत्तर सामान्य प्रशासन :—काजा में लैंडलाईन सेवा विजली बोल्टेज की कमी के कारण वाधित रहती है जबकि काजा में इंटरनेट सेवा अक्टूबर, 2014 में शुरू की गई है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विद्युत:—काजा के लिए विद्युत सप्लाई नाथपा से काजा 22 के0वी0 एच0टी0 लाईन द्वारा की जा रही है जिसकी लम्बाई लगभग 280 किमी0 होने के कारण बोल्टेज में कमी रहती है। 220 / 66 / 22 के0वी0 सब रसेन घोकटू का कार्य जोकि प्रगति पर है, के पूर्ण होने पर बोल्टेज की कमी नहीं रहेगी। रौंगटाँग पॉवर हाऊस जोकि बन्द पड़ा है, के ठीक होने पर भी बोल्टेज में सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त यह सूचित करना उचित होगा कि अगर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लि�0 की बोल्टेज पर्याप्त नहीं होती तो वी0एस0एन0एल0 अपने तौर पर डी0 जी0 सैट का प्रावधान कर सकता है।

निर्णय:—चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने रागान्य प्रशासन विभाग को गामले की जांच करने तथा उचित स्तर पर गामला उठाने के निर्देश दिए। तदानुसार गद को रागाप्त कर दिया गया।

(5) भरमौर से ग्रीगा-सिंयूर-गच्छेतर के लिए परिवहन निगम की जीप उपलब्ध करवाने बारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर के भरमौर से ग्रीगा-सिंयूर-गच्छेतर सड़क का निर्माण हो चुका है परन्तु यहां के लोग परिवहन रोपा तभी सुविधा से वंचित हैं जिस कारण उन्हें अपने जरूरी कार्य निपटाने हेतु आने -जाने में काफी कठिनाई का रामना करना पड़ता है। अतः सरकार रो

अनुरोध है कि भरमौर से ग्रीमा-सिंयूर-मच्छेतर तक परिवहन निगम की जीप सेवा को शीघ्र आरम्भ की जाए।

सुमना देवी, भरमौर, जिला चम्बा
परिवहन

विभागीय उत्तर :— अभी जीपों की अनुपलब्धता के कारण यहाँ जीप सेवा दे पाना सम्भव नहीं है। भविष्य में जैसे ही जीपों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा इन रुटों पर जीप सेवा प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

निर्णयः—विभाग ने बैठक में अवगत करवाया कि दो अतिरिक्त जापें उपलब्ध करवाई जा रही है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

- (6) भरमौर होली के मध्य बन विभाग द्वारा लकड़ी (इमारती) का डिपू उपलब्ध करवाने वारे।

जन जातीय क्षेत्र भरमौर में भरमौर से होली के मध्य बन विभाग का कोई भी इमारती लकड़ी का डिपू नहीं है जिसके कारण लोगों को भरमौर या होली क्षेत्र के लिए आना पड़ता है जो कि काफी दूर पड़ता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि गरोला में बन विभाग या एक इमारती लकड़ी का डिपू उपलब्ध करवाया जाए।

सुमना देवी, भरमौर, जिला चम्बा
बन

विभागीय उत्तरः— हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इमारती लकड़ी विदरण नीति को अधिसूचना दिनांक 26-12-2013 हारा अधिसूचित किया गया है। लोगों को उनके हक—हकूक के तहत टी०डी० में इमारती लकड़ी उपलब्ध करवाई जा रही है इसलिए भरमौर से होली के मध्य बन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी का डिपू खोलने का कोई उत्तिष्ठित्य नहीं दर्ज है।

निर्णयः— ऐसी मद पर चर्चा अनुवर्ती मद संख्या 17-18 पर हो चुकी है। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

- (7) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरोला के लिए ऐम्बूलेंस 108 की सुविधा प्रदान करने वारे।

जन जातीय क्षेत्र भरगौर के गरोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 108 की सुविधा से वर्चित है। इस केन्द्र के अन्तर्गत गरोला उल्लंगा व चन्हौता पंचायतें पड़ती हैं। यहाँ पर 108 की काफी जरूरत है क्योंकि भरगौर व होली से 108 को पहुंचने में समय लगता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि गरोला के लिए एक अलग 108 उपलब्ध करवाया जाये।

रुग्ना देवी, भरमौर जिला चम्बा
स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर :—राष्ट्रीय ऐम्बूलेंस सेवा के अन्तर्गत विभाग के पास इस समय कोइ भी अतिरिक्त याहन अथवा ऐम्बूलेंस नहीं है। जिसे की गरोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सपलब्ध करवाया जाय सके। हालांकि जो ऐम्बूलेंस भरमौर में उपलब्ध की गई है वह गरोला के आसपास के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहिया करता रही है एवं करता रहती है।

निर्णयः—चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष गहोदय ने अतिरिक्त गुख्य सचिव स्वास्थ्य को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए। तदानुसार मद को सामाप्त कर दिया गया।

(8) संगनम में चिकित्सक के रिक्त पद को भरने बारे।

महोदय पिन बैली में एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा वहाँ पर पिछले एक वर्ष से चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि PHC में चिकित्सक व अन्य स्टॉफ की नियुक्ति शीघ्र की जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
स्वास्थ्य

विभागीय उत्तर :— वर्तमान में पीएचसी संगनम में कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है तथा प्रयास किया जा रहा है कि चिकित्सकों की कमी को पूरा करने बारे प्रत्येक मण्डलवार को चिकित्सकों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं ताकि खाली पड़े चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ के पदों को भरा जा सके।

निर्णय:—बैठक में अध्यक्ष महोदय ने चिकित्सक के रिक्त पद को नये चिकित्सक द्वारा भरने के आदेश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(9) तंगती पुल के कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने बारे।

तंगती पुल के कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
लोक निर्माण

विभागीय उत्तर :— इस पुल का कार्य 13वाँ वित आयोग के अधीन स्वीकृत है। इस पुल की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अतिरिक्त जिला आयुक्त काजा के पत्र दिनांक 19-06-2007 द्वारा मूल्य 4.03 करोड़ की दी गई है। इस पुल के निर्माण के लिए छीदांग की ओर वाली एबॉटमैन्ट एवं एकॉरेज ब्लाक का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं तंगती पुल की ओर वाली एवॉटमैन्ट का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है तथा एकॉरेज ब्लॉक का कार्य प्रगति पर है। अब शेष कार्य (Supersstructure) के लिए 5.77 करोड़ रुपये की ३००पी०आर० विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत नावार्ड मद से बनाई है जिसे सलाहकार (योजना) हिसाचल प्रदेश सरकार को प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के पत्र दिनांक 09-10-2014 द्वारा भेज दी गई है।

निर्णय:— अध्यक्ष महोदय ने विभाग को पुल का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

(10) तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को बदलने बारे।

तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को बदलने पर अपने मन पसंद जागह पर तथादला किया जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
कार्गिक

विभागीय उत्तर :—हिंगावल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग ने कार्यालय झापन दिनांक 10 जुलाई, 2013 द्वारा राज्य सरकार के कार्गिकारियों के रथानातरणों के नियम वारे “वृहद मार्गदर्शी सिद्धान्त-2013” जारी थिए हैं। इन सिद्धान्तों के पंरा 16.1 में कठिन/जनजातीय/दुर्गंग/दूरस्थ क्षेत्रों में सामान्य अवधि पूर्ण करने पर रानवित अधिकारी/कर्मचारी को अपने रथानातरण हेतु एक से अधिक जिले में अपनी मनपसंद के 5 रटेशनों के नाम देने के विकल्प दिए गए। प्राचारान्पहले से ही विद्यागान है। यथाराम्भ यह प्रयास किया जाता है कि रानवित अधिकारी/कर्मचारी को उसकी पसंद के रटेशनों के बांग में से किसी एक रटेशन पर नियुक्त किया जाए जहाँ पर उसने पहले कार्य नहीं किया हो।

निर्णयः—विभागीय उत्तर के दृष्टिगत तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

- (11) पिन बेली में पंजाब नैशनल बैंक खोलने वारे।
पिन बेली में पंजाब नैशनल बैंक की शाखा खोली जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
वित्त

विभागीय उत्तर विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा।

निर्णयः—बिस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को पिन बैली में पंजाब नैशनल बैंक की शाखा खोलने वारे परीक्षण करने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

- (12) जमीन शीघ्र दिलवाने वारे।

ग्राम गियू वासी की जमीन तबादला जो धार करजम्पा में 25.52.52 हेक्टर सरकार के विचाराधीन है को शीघ्र अति शीघ्र कर किसानों को जमीन दिलाई जाए।

कु0 गतुक आंगमों, लाहौल स्पिति
राजस्व

विभागीय उत्तर :— उपमण्डलाधिकारी(ना०) केलांग जिनके पास उपायुक्त लाहौल स्पिति के सहायक आयुक्त का भी कार्यभार है, से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्बन्धित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू है व उपायुक्त द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति हेतु मामला वन विभाग के साथ उठाया गया है।

निर्णयः—बिस्तृत चर्चा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने वन विभाग को मामले को Ministry of Environment and Forest के सम्बन्धित कार्यालय से व्यक्तिगत स्तर पर उठाने के निर्देश दिए। तदानुसार मद को समाप्त कर दिया गया।

भाग-3

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों बारे वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2013-14 एवं 2014-2015 का अनुमोदन करने बारे ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ये राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों बारे तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में भी अपना अनुमोदन देने की कृपा करें।

जन जातीय सलाहकार परिषद् द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों बारे वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2013-14 एवं 2014-2015 को अनुमोदन प्रदान किया गया ।

जन जातीय सलाहकार परिषद की 44वीं बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची।

क्रमसंख्या	नाम	पद
1.	श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।	अध्यक्ष
2.	श्री ठाकुर सिंह भरमीरी, माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
3.	श्री जगत् सिंह नेगी, माननीय विधायक, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
4.	श्री रघु ठाकुर, माननीय विधायक, लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
5.	श्री राम सिंह नेगी, अधिवक्ता गाँव व डाकघर रोपा, तहसील पूह, ज़िला सदस्य किन्नौर।	सदस्य
6.	श्री प्रीतम सिंह नेगी, गाँव डाकघर पूह, तहसील पूह, ज़िला किन्नौर।	सदस्य
7.	श्री जगदीश नेगी, गाँव व डाकघर निचार, तहसील निचार, ज़िला सदस्य किन्नौर।	सदस्य
8.	श्री अमर चन्द अधिवक्ता, गाँव व डाकघर शोदारग, तहसील कल्पा, ज़िला किन्नौर।	सदस्य
9.	श्री प्रीतम सिंह नेगी, गाँव व डाकघर कोठी, तहसील कल्पा, ज़िला सदस्य किन्नौर।	सदस्य
10.	श्री नरेश नगी, गाँव व डाकघर रिपलो, तहसील पूह, ज़िला किन्नौर।	सदस्य
11.	श्री नावाग दोट्ट, गाँव शारखाग डाकघर खोकरार, तहसील कलांग, ज़िला लाहौल रिपति।	सदस्य
12.	श्री प्यारे लाल, गाँव व डाकघर टिणडी, तहसील उदयपुर, ज़िला सदस्य लाहौल रिपति।	सदस्य
13.	श्री सोहन सिंह, गाँव व डाकघर काजा, तहसील रिपति, ज़िला लाहौल सदस्य रिपति।	सदस्य
14.	श्री दोरजे छोपल, पूर्व प्रधान, गाँव व डाकघर लारा, तहसील काजा, ज़िला लाहौल रिपति।	सदस्य
15.	श्री किशन चन्द चौपड़, पूर्व प्रधान, ग्राम पचायत चारथारा गाँव, डाकघर करथास, तहसील किलाल, ज़िला चम्पा।	सदस्य
16.	श्री राम चरण, धूर्य अध्यक्ष उन राघ (woolfed) गाँव व डाकघर राघरम विलाल, तहसील विलाल, (पांगी) ज़िला चम्पा।	सदस्य
17.	श्री भजन सिंह ठाकुर, गाँव व डाकघर गरमार, तहसील गरमार, ज़िला राघरम चम्पा।	सदस्य
18.	श्री शुभ चरण, गाँव व डाकघर होली, उप तहसील होली, ज़िला सदरम चम्पा।	सदस्य

19	श्रीमति सुमना देवी, पत्नि श्री ओम राज, गांव व डाकघर सियुर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा हिंगो प्र०।	विशेष आमन्त्रित
20	कुमारी सरोज नेगी, पूर्व अध्यक्षता, पंचायत समिति कल्पा, गांव व डाकघर, कल्पा, जिला किञ्चन्नार हिंगो प्र०।	विशेष आमन्त्रित
21	कु० गतुक आंगनी पिन वैली, स्थिति, जिला लाहौल स्थिति, हिमाचल प्रदेश।	विशेष आमन्त्रित
22	श्री वी०र्गी० फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ज०जा०वि०) हिंगो प्र० सरकार।	सदस्य सचिव
